

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 1991

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 7 मार्च, 1991

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रन एवं उत्तर	(5)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रनों के लिखित उत्तर	(5)20
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(5)24
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव— भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के निवास स्थान पर हरियाणा सी0आई0डी0 कर्मचारियों द्वारा निगरानी करने की घटना से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी	(5)25
वाक आउटस	(5)58
वक्तव्य— खाद्य एवं पूर्ति मंत्री द्वारा राज्य में डीजल और पैट्रोल आदि की कमी सम्बन्धी	(5)60
बिजैनसे ऐडवाईजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पे T करना	(5)64

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव— सरकारी कार्य को करने के लिए गेर सरकारी दिन को बदलने सम्बन्धी	(5)67
वाक आउटस	(5)70
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव— कमेटियों के सदस्यों को नामजद करने के लिए अध्यक्ष महोदय को प्राधिकार देने सम्बन्धी	(5)70
वर्ष 1990–91 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस पर चर्चा तथा मतदान— (1) राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यव के अनुमानों पर चर्चा (2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(5)72 (5)72
बैठक का समय बढ़ाना	(5)80
वर्ष 1990–91 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(5)80

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 7 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैकटर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Anti Reservation Agitation

***1229. Sh. Ram Bilas Sharma, Sh. Muni Lal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any police officer has been held responsible for the burning of Govt. vehicles, buses and the buildings during the Anti-Reservation agitation in the State ?

प्रो० सम्पत्त सिंह (गृह मंत्री): नहीं, श्रीमान जी।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्षम महोदय, इस सदन में इस सरकार द्वारा यह स्वीकार किया जा चुका है कि पीछे हुए दंगों में प्रदे । को लगभग 42.6 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है और आज अपने जवाब में कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी आन्दोलन के दौरान सरकारी वाहनों, बसों और इमारतों के जलाने के सम्बन्ध में कोई पुलिस अधिकारी जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि नुकसान तो जरूर हुआ है। तो मैं यह

जानना चाहता हूं कि इनका पहले वाला जवाब गलत था या यह गलत है ?

प्रो० सम्पत् सिंहः स्पीकर साहब, न पहले वाला गलत था और न आज वाला गलत है और जहां तक हानि की बात है, हानि आज भी हुई है। इन्होंने यह पूछा था कि राज्य में आरक्षण विरोधी आन्दोलन के दौरान सरकारी वाहनों, बसों और इमारतों को जलाने के सम्बन्ध में कोई पुलिस अधिकारी जिम्मेवार ठहराया गया है कि नहीं। मैंने कहा है नहीं।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले सदन में कहा है कि 42.6 करोड़ रुपये की हानि हुई है। यह कोई छोटी सोटी रकम नहीं है। आर्य साहब का साफ सवाल था कि क्या यह सब कुछ पुलिस अधिकारियों की देख रेख में हुआ है या नहीं, क्या कोई इसके लिए पुलिस अधिकारी जिम्मेवार है ?

श्री अध्यक्षः भार्मा जी, इन्होंने कहा है नहीं। आप इसको इलेबोरेट ही कर रहे हैं। आप अपना सप्लीमेंटरी पूछें।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई साथियों ने कहा कि विपक्ष के नेता के घर को अम्बाला में जलाया गया। उस वक्त जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे, क्या वे जिम्मेवार नहीं थे ? क्या सरकार उनको दोशी नहीं मानती ?

प्रो० सम्पत् सिंहः स्पीकर साहब, मैं रिपीटिडली कह चुका हूं कि नुकसान हुआ है। सवाल करते वक्त कम से कम मैम्बर

साहेबान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वे चाहते क्या हैं ? स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए था। बार बार वहीं भाशणबाजी इन्होंने भुरू कर दी। अगर वे सीधा सवाल पूछेंगे तो सीधा व स्पष्ट जवाब भी दिया जाएगा। मैंने कहा कि बाकायदा 42.6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

डा० हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने कहा कि बाकायदा नुकसान हुआ है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सा ऐसा कायदा है जिस कायदे के मुताबिक नुकसान हुआ है ? इन्होंने स्पै ली बाकायदा भाब्द का इस्तेमाल किया है। जरा क्लीयर कर दें।

प्रो० सम्पत्ति सिंह: स्पीकर साहब, मेरा मतलब यह है कि नुकसान हुआ है।

श्री मुनी लाल: अध्यक्ष महोदय, स्टुडेंट्स अनरैस्ट का जो आन्दोलन पीछे चल रहा था या दूसरे कोई लोग आन्दोलन कर रहे थे तो यह सब डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रे न के सामने ही सब कुछ हो रहा था लेकिन मन्त्री जी कह रहे हैं कि आफिसर रिसपान्सीबल नहीं थे। आखिर वे लोग भी तो जिम्मेवार ठहराये जा सकते हैं जिनके सामने यह आन्दोलन चल रहा था।

प्रो० सम्पत्ति सिंह: स्पीकर साहब, हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर वहां की ऐडमिनिस्ट्रे न की तरफ से पुलिस अधिकारियों की डयूटी लगी हुई होती है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने अपने रिटन रिप्लाई में बताया कि किसी पुलिस अधिकारी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, न ही किसी अधिकारी ने कुछ जलाया है। अध्यक्ष महोदय, जलाने से ही नुकसान नहीं होता। रिसपान्सीबल अफसर जिसके सामने यह सब कुछ हुआ है, वह भी इस के लिये जिम्मेवार है। क्या इनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे यह जाहिर हो सके कि पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं ?

प्रो० सम्पत्ति सिंहः स्पीकर साहब, मेरा यह कहना है कि केसिज अव य दर्ज हुए हैं और लोगों को गिरफतार भी किया गया है। जैसे जैसे केसिज आगे चलेंगे, दोशी लोगों को चालान भी होगा और बाकायदा कोर्ट उन्हें सजा भी देगी। जहां तक पुलिस अफसरों की डयूटी का सवाल है। स्पीकर साहब, हो सकता है कि जहां पर पुलिस अफसर तैनात हुए हों, उन से परे, कहीं दूर ऐसी वारदात हो गई हो जिसको उन्हें देर से पता चला हो। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो दे आ के अन्दर आग लग रही थी और दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक दल लोगों को भड़काने में लगे हुए थे और बचाव के लिये जो मिल्ट्री की गाड़ियां सरकार ने लगाई थीं, उन लोगों के ऊपर ये लोग पत्थर मार रहे थे।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों के सामने गलत काम हुए थे या जिन्होंने

जलाने का काम किया था उनके प्रति केस दर्ज हुए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या किसी पुलिस अधिकारी के प्रति भी केस दर्ज हुआ है ?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब आ चुका है।

श्रीमती कमला वर्मा: जब अपोजी टन के नेता ने यह कहा है कि पुलिस अधिकारी के सामने उनका घर जलवाया गया तो उसके खिलाफ एक टन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्षः इसके बारे में तो मिनिस्टर साहब ने कह दिया था कि इस से टन में वे जवाब देंगे।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आरक्षण विरोधी मामले में कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और उनमें से कितने गिरफ्तार हुए ? क्या उस समय ग्रीन ब्रिगेड के लोगों के खिलाफ भी कोई टकायत आई ?

Mr. Speaker: This question relates to the police officers. Please do not generalise it.

प्रो० सम्पत्त सिंहः स्पीकर साहब, मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूं। ऐसे नुकसान के सिलसिले में 477 केस दर्ज हुए थे और 833 लोग गिरफ्तार हुए थे। जहां तक ग्रीन ब्रिगेड की बात है, उसको बदनाम करने की इन्होने पूरी कोटि टा की। उसका इसके साथ कोई मतलब नहीं है। वह तो दे टा भवित का

काम करती है और भान्ति कायम करने का काम करती है। ऐसा काम तो इनके लोग ही करते होंगे।

श्री अनिल कुमार विज़: स्पीकर साहब, यह तो वास्तविकता है कि उस दौरान इतने करोड़ रुपए की हमें हानि हुई। क्या उसके लिए किसी पुलिस अधिकारी या दूसरे अधिकारी की कोताही रही, क्या इस बात को जानने के लिए जांच करवाई गई?

प्र०० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, कोताही या नैगलीजैंस अलग चीज है और जिम्मेदारी ठहराना अलग चीज है। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक एस०पी० और एक ए०एस०पी० को नैगलीजैंस की वजह से हमने बाकायदा सख्त किया। उस मामले की इन्क्वायरी कमि अनर रोहतक डिविजन कर रहे हैं।

श्री वीरन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अभी गृह मंत्री जी एक सप्लीमैटरी के जवाब में बता रहे थे कि चूंकि जो ग्रीन ब्रिगेड है, वह बड़ा दे अभियान का काम कर रही है और दे अभियान की बड़ी भारी सेवा कर रही है। पिछले दिनों एक अखबार में श्री जय प्रकाश उप मंत्री पैट्रोलियम एंड कैमिकल्ज का बयान आया था कि हरियाणा के अन्दर ग्रीन ब्रिगेड नाम की कोई चीज नहीं है। अभी मंत्री जी ने जिस ग्रीन ब्रिगेड के बारे में कहा है, वह कौन सी ग्रीन ब्रिगेड है और उसका मुखिया कौन है, वह किस पार्टी के साथ काम कर रही है? उस बारे में जरा सरकार रो अनी डाले।

इसके साथ साथ मैं इसी संबंध में दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। गृह मंत्री ने कहा कि बी0जे0पी के लोगों ने मिल्ट्री की गाड़ियों पर पथराव किया। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मिल्ट्री की गाड़ियों पर पथराव करने वाले कौन लोग थे, क्या उनको आईडैटीफाई कर लिया गया है, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया है; यदि गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनको बी0जे0पी0 के साथ किस प्रकार का संबंध है और उसके बारे में सरकार के पास क्या कोई सबूत मौजूद हैं ?

प्रो० सम्पत्ति सिंह: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने ग्रीन ब्रिगेड का जिकर किया। मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि ग्रीन ब्रिगेड कोई रजिस्टर्ड बौडी नहीं है। यह जिस ग्रीन ब्रिगेड के बारे में जानना चाहते हैं, अगर वह नहीं होती तो खुद इनके नेता वी०पी० सिंह इलाहाबाद से चुनाव नहीं जीत सकते थे। इलाहाबाद के अन्दर डैमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाती। अगर वह ग्रीन ब्रिगेड नहीं होती तो इलाहाबाद में इनके नेता वी०पी० सिंह को कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ने देती, लेकिन उसी ग्रीन ब्रिगेड के लोगों ने उनको वहां से डैमोक्रेटिकली चुनाव लड़ाया था जिनकी तरफ आज चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी का इ आरा है, वरना वह वहां से चुनाव नहीं जीत सकते थे। कांग्रेस वाले उनको वहां से चुनाव नहीं जीतने देते। वहां पर अगर वह नहीं होते तो कांग्रेस रीगिंग करती, बूथ कैपचरिंग करती। उन लोगों ने वहां पर डैमोक्रेसी को बचाया था। उन्हीं लोगों ने इलाहाबाद में जाकर डैमोक्रेसी को बचाया था,

वरना वी०पी० सिंह वहां से चुनाव नहीं लड सकते थे। उन्हों लोगों के कारण उनका चुनाव जीतना सम्भव हो सका था। इसके अलावा, माननीय सदस्य ने बी०जे०पी० के बारे में कहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जिस वक्त मिल्ट्री का पलैग मार्च हो रहा था, तो उस पलैग मार्च के वक्त में अम्बाला के अन्दर एक पोलिटीकल जलसा करके इनके विधायक जलसे को ऐड्रेस कर रहे थे। जिस गैदरिंग को ये ऐड्रेस कर रहे थे, इन्होंने उस गैदरिंग को प्रोवोक किया और मिल्ट्री की गाडियों पर पत्थर बरसाए। वे कौन कौन लोग थे, किस पोलिटीकल पार्टी के थे, उनको लेबल क्या था? उस बारे में केस दर्ज है, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इन्वैस्टीगेशन चल रही है। अपने आप पता लग जाएगा कि उसमें कौन कौन भासिल थे।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जब भी आप समय देते हैं, हम सवाल करते हैं और उनको लिखित जवाब आता है। जब हम सप्लीमेंटरी करते हैं तो गृह मंत्री जी को यह आदत सी लग गई है कि ये हमें डांटने लग जाते हैं क्योंकि इनके पास पुलिस विभाग है। इन्होंने एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा था कि किसी पुलिस अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ लेकिन फिर भी सम्पति जली है। तो क्या उस समय सरकार काम कर रही थी? न तो किसी पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी ठहराई, न किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी ठहराई, तो सरकारी सम्पति कैसे जल गई? उस समय सरकार क्या कर रही

थी ? इतना नुकसान क्यों हुआ ? गृह मंत्री जी इस बारे में जवाब दें, केवल गालियां देने से आपकी जान नहीं बचेगी । (गोर)

प्रो० सम्पत्ति सिंहः स्पीकर साहब, मैंने कोई गाली नहीं दी और न ही गाली देने की मेरी आदत है । (गोर)

श्री राम बिलास भार्मा: नहीं, ताडने की आपकी आदत बन गई है । (गोर)

प्रो० सम्पत्ति सिंहः गालियां देने की आदत आपकी होगी मेरी नहीं है । स्पीकर साहब, यह बहुत अच्छी बात है, प्र न करना चाहिए चाहे हमें वह प्र न बुरा लगे लेकिन उसका जवाब सुनने का मादा भी इनके अन्दर होना चाहिए । मैंने बाकायदा इनके हर प्र न का जवाब दिया है, कोई भी ताडने की बात नहीं कही । स्पीकर साहब, आप यहां हाउस में बैठे हैं, अगर हमारी तरफ से कोई ताडने की बात कही जाएगी तो आप ही उसके लिए इजाजत नहीं देंगे और आप फौरन एक्सप्लेने अन काल कर लेंगे । यदि हमारी तरफ से कोई जवाब ठीक नहीं दिया जाता तो आप उसी वक्त कह सकते हैं कि आपका जवाब ठीक नहीं है । लेकिन हमने सभी सवालों के जवाब सही दिए हैं इसलिए इनको दर्द होता है कि जवाब सही कैसे आ रहे हैं ? स्पीकर साहब, मैंने सारे हाउस के सामने यह कहा है कि बाकायदा उस बारे में केस दर्ज किए गए हैं । लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है । माननीय सदस्य यह बात कैसे कह सकते हैं कि कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया गया ?

बाकायदा हमने जिम्मेदार भी ठहराए हैं। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया ? (गोर)

श्री राम बिलास भार्मा: अब तो आप कह रहे हैं लेकिन लिखित जवाब में तो आप नहीं में जवाब दे रहे हैं। (गोर)

(At this stage, many members rose to speak)

Mr. Speaker: Everybody should take his seat, please. (Interruptions) I would not proceed further unless and until you are satisfied.

प्रो० सम्पत्ति सिंह: स्पीकर साहब, मैंने पहले ही सवाल के जवाब में कहा है कि अपराधियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए हैं और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अब ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया ? (गोर) मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जयपुर में कम्यूनल रायटस के दौरान कितने लोग मारे गए, हिमाचल में कितने मारे गए ? (गोर) क्या ये अपने गिरेबान में मुँह डालकर बताएंगे ? (गोर)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यहां पर राजस्थान का सवाल कहां से आ गया ?

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, आजकल हरियाणा सरकार की सी०आई०डी० बहुत जोरों से काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय बसें जलाई जा रही थीं और वहां के डी०सी० ने उनको

रोकने की कोटि त की तो उस समय किसी पुलिस अधिकारी ने डी०सी० को यह कहा था कि हमें आदेत आए हैं कि यह धुंआ दिल्ली तक वी०पी० सिंह को दिखाया जाये। क्या इस प्रकार की कोई सी०आई०डी० की रिपोर्ट सरकार के पास आई है ?

Prof. Sampat Singh: It is all political stunt. स्पीकर साहब, हमारे पास इस किस्म की सी०आई०डी० की कोई रिपोर्ट नहीं आई और न ही कोई आदेत किसी की तरफ से दिए गए थे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने जब इनकी दुखती नस को पकड़ लिया तो इनको करंट लग गया और ये एकदम उछल पड़े और अब उधार इनको कल सैंटर में झटका लग गय है। इन्होंने कांग्रेस भासन के दौरान बूथ कैपचरिंग के जो एलीगे अन्ज लगाये हैं, मैं इस बारे इन्हें बताना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी बूथ कैपचरिंग करती तो कांग्रेस 1977 और 1987 में इनको हकूमत न देती।

Mr. Speaker: Please put relevant question. This question has already taken 18 minutes.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब लोक सभा के इलैक अन हुए थे तो क्या इन्होंने बूथ कैपचरिंग नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप इलैक अन कमी अन ने फरीदाबाद में 162 बूथों पर दोबारा वोट डालने के आदेत दिये थे। (गोर)

Mr. Speaker: This is no supplementary. Please take your seat. (Interruptions) I would not permit you to go irrelevant on this question.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं टू दा प्वायंट इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई फ़िकायत आई कि जब आरक्षण के दौरान नुकसान हो रहा था तो इन्होंने बी0पी0 सिंह को पंक्चर करने के लिए और ताऊ ने अपनी अहमीयत दिखाने के लिए यह सब कुछ करने की कोफिंता तो नहीं की ? क्या इतने सारे नुकसान के पीछे यही एक कारण तो नहीं था ? (गोर एवं विधन)

श्री अध्यक्ष: यह कोई सप्लीमैंटरी नहीं है क्योंकि यह पुलिस अफसर से सम्बंधित नहीं है। आप कृपया बैठें।

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि होम मिनिस्टर हाउस में एक बहुत ही जिम्मेवारी की पोस्ट पर बैठे हुए हैं लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात करके हाउस में गडबडी फैलाने की कोफिंता करते हैं। इन्होंने कहा कि अग्रक कुमार विज एम0एल0ए0 ने अम्बाला कैंट में जनता को ऐड्रैस करके प्रोवोक किया।

Mr. Speaker: Please put the question.

Sh. Suraj Bhan: Sir, I want to put the record straight. मैं गुजारि आ करूँगा कि जो गलत बातें रिकार्ड पर आई हैं, उन्हें रिकार्ड से निकाल दिया जाना चाहिए। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मनीराम जी, आप भी कृपा करके अपनी सीट पर बैठें।

डा० रघुबीर सिंह कादयन: स्पीकर साहब, दुर्भाग्य से इस प्रदे आ में तकरीबन एक महीने तक पथराव और आगजनी का कंटीन्यूअस प्रोसेस चलता रहा है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस दौरान 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस अर्से में कितने टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं और कितने लाठीचार्ज किए गए हैं।

Mr. Speaker: I do not think, it will be possible to reply.

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि आरक्षण विरोधी आन्दोलन का समर्थन कौन कौन सी राजनैतिक पार्टियां कर रही थीं, क्या सरकार को इसका पता चला ? यदि नहीं तो क्या इस हाउस की कमेटी बना कर इसकी इन्क्वायरी करने का फैसला सरकार करेगी।

Mr. Speaker: This question does not relate to the main question. Please take your seat. Next question please.

Welfare Schemes for downtrodden people

***1221. Sh. Rattan Lal Kataria, Sh. Suraj**

Bhan: Will the Minister of State for Tourism and Welfare be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to celebrate the next Birth Day of Bharat Rattan Dr. B.R. Ambedkar at the State level; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to introduce welfare schemes for the down trodden people of the State during this year; if so, the details thereof ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री श्रीकृष्ण हुड्डा):

(क) हाँ।

(ख) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास कम व्यवसायिक प्लाट के खरीदने तथा बनाने के लिए ऋण तथा अनुदान देने की योजना सरकार के विचाराधीन है। इस स्कीम का पूरा ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, यह वर्ष डा० अम्बेदकर भाताब्दी वर्ष है। मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या नारायणगढ में डा० अम्बेदकर की प्रतिमा को तोड़ा गया है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि रोहतक में जो डा० अम्बेदकर की प्रतिमा को तोड़ा गया है, क्या सरकार उस प्रतिमा को फिर से बनवाएगी?

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा:

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी का जवाब औब्जैक अनेबल है।

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, दरअसल बात यह है कि यह हमारी बात सुनना नहीं चाहते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह बाबा साहब भी मराव अम्बेदकर जी का जयन्ती वर्ष है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में भागिल करने पर विचार करेगी और जल्दी ही इस बारे में निर्णय लेगी ?

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा: यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री कृपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, बाबा साहेब का यह वर्ष 14 अप्रैल 1990 से भुग्य होकर 14 अप्रैल 1991 तक का सैंचरी सैलीब्रे अन्ज का वर्ष है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई योजना इसके लिये तैयार हुई है; और अगर नहीं हुई है तो कितना समय और लगेगा ? केवल एक महीना तो बाकी रह गया है, यह एनीवर्सरी खत्म होने वाली है।

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा: यह मामला सरकार के विचाराधीन चल रहा है। मैं कुछ एक बातें तफसील में आपको बता दूं जो सरकार इस बारे में कर रही है। बाबा साहब की जयन्ती के

उपलक्ष्य में जो योजना बनाई गयी है, उसके अन्तर्गत समारोह किये जायेंगे, प्रद नियां लगाई जायेंगी (व्यवधान एवं भाओर)

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 6 महीने पहले मैंने मुख्य मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था कि इस भाताब्दी वर्ष को मनाने के लिये, जिस तरह से हिन्दुस्तान में और सभी प्रदेश की सरकारों द्वारा एक कमेटी बनायी गई है, उसी तरह यहां पर भी बनाई जाये लेकिन आज तक मुझे उस पत्र का जवाब नहीं आया है और न ही कोई कमेटी इसके लिये बनाई गयी है।

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, इसके लिये कमेटी तो बनायी गयी है। (व्यवधान)

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। बाबा साहेब की जन्म भाताब्दी के सिलसिले में क्या हरियाणा सरकार आठवीं पंच वर्षीय योजना को बाबा साहेब के नाम डैडीकेट करके यहां पर गरीब और दरम्याने तबके के लोगों का उत्थान करने की कोर्फी तो करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा: स्पीकर साहब, इसके लिये सैपरेट नोटिस दिया जाये।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, सबको यह पता होगा कि डाक्टर भीमराव अम्बेदकर के नाम गांवों में जो हरिजन चौपालें

बनी हुई हैं। उनका नाम अब अम्बेदकर भवन रखा दिया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि अब तक कितने प्रति तात गांवों में यह अम्बेदकर भवन बना दिये गये हैं और बाकी के गांवों में इन भवनों को बनाने के लिये, क्या कोई टाईम बाउन्ड प्रोग्राम चलाया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा: स्पीकर साहब, सरकार की यह योजना है और जल्दी ही हरेक गांव में अम्बेदकर भवन बना दिये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया:

Mr. Speaker: This is not to be recorded.

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, एक बात माननीय मंत्री जी ने कही है कि बाबा साहेब की प्रतिमा को रोहतक के अन्दर तोड़ा गया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब इस महान पुरुष की प्रतिमा को तोड़ा गया तो क्या उसके बाद किसी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं ?

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा: सरकार इसकी अभी इंक्वायरी कर रही है।

10.00 बजे।

श्री कृपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, बाबा अम्बेदकर सैनटैनरी सैलीब्रे अंज एक साल पहले यानी अप्रैल 1990 में भुरु

की गई थी और ये सैलीब्रे अंज एक साल चलनी हैं। इनको चलते हुए ग्यारह महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक इस सरकार ने हरिजनों के लिए कोई नई योजना आरम्भ नहीं की। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इतनी भारी कोताही सरकार के पार्ट पर क्यों है ? दूसरा सवाल यह है कि क्या इन सैलीब्रे अंज के दौरान हरिजन और बैकवर्ड वलासिज के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में जो बैकलौग है, उसको पूरा किया जाएगा ?

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, हरिजन तथा बैकवर्ड वलासिज के लोगों के लिए जो कोटा फिक्स है उसको पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है और उसको पूरा किया जायेगा ?

श्री परमानन्द: अध्यक्ष महोदय, सरकार बता रही है कि अप्रैल 1990 से हम बाबा अम्बेदकर की सौवीं जन्म भाताब्दी मना रहे हैं और इसके लिए एक कमेटी बनाई हुई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान जब एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड में भर्ती की गई, इसी तरह से इंस्पैक्टर्ज की भर्ती एक्साइज एंड टैक्सै अन विभाग में की गई और पटवारियों की भर्ती की गई, क्या उस कमेटी ने यह देखने की कोटि अंज की कि इन सभी भर्तियों में फाड्यूल्ड कास्टस की वैकेन्सीज पूरी की गई है या जो बैकलौग है उसको पूरा किया गया है ?

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा: स्पीकर साहब, जो हुकम सिंह की सरकार है वह बैकवर्ड क्लासिज तथा हरिजनों के हित की सरकार है और हमारी सरकार इनकी तरफ पूरा ध्यान दे रही है।

Construction of Roads in Tohana Constituency

***1244. Comrade Harpal Singh:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in the Tohana Constituency :-

1. Hindalwala, Lakhwali Dhani road to Dhani Telan;
2. Budanpur to Jamalpur Shekhan;
3. Chamar Khera to Kandool;
4. Sahu to Saniyana;
5. Indachhoi to Kulan Dharsul Mandi;
6. Fatehpuri to Chander Kalan Mandi;
7. Diwana to Murpur Dhani'
8. Udaipur to Jakhal Mandi;
9. Bus Stand to Government High School, Samian;
and

(b) if so, the total amount allocated for the construction of the above said Roads together with the time by which these are likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) क्रमांक संख्या 1 से 4 पर अंकित सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है। क्रम संख्या 9 पर अंकित सड़क पहले ही बनी हुई हैं। भोश सड़कें क्रमांक 2, 3, व 5 से 8 तक का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ब) धन के अभाव के कारण क्रमांक 1 से 4 पर अंकित प्रासादीय अनुमोदित सड़कों के निर्माण के लिये राष्ट्रीय की अलाटमैट नहीं की जा सकी। इन अनुमोदित सड़कों के निर्माण का कार्य धन की उपलब्धि पर आरम्भ कर दिया जायेगा। इसलिये उपरोक्त दो स्वीकृत सड़कों के निर्माण के लिये समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। चूंकि भोश सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिये बजट आवंटन का प्राप्त न ही पैदा नहीं होता।

कामरेड हरपाल सिंह: मन्त्री महोदय ने बताया है कि क्रमांक 1 व 4 पर अंकित सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों सड़कों के लिए जमीन कब ऐक्वायर की गई थी, इनके लिए कब पैसा दिया गया और इन पर कब मिटटी डाली गई तथा अर्थ वर्क किस स्टेज पर है ?

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, क्रमांक 1 और 4 पर जो सड़कें हैं, उनमें पहली सड़क हिन्दलवाला, लखुवाली ढाणी सड़क से ढाणी टेलन तक है। इस सड़क पर अर्थ वर्क हो चुका है और 64 हजार रुपया खर्च आया है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि इस सड़क पर अर्थ वर्क हो चुका है। स्पीकर साहब, इस सड़क पर कोई अर्थ वर्क नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है कि अर्थ वर्क केवल फाइलों पर ही हुआ है। अफसर लोग फाइलों पर अर्थ वर्क दिखा देते हैं। पहले नम्बर पर जो सड़क है उस पर कोई मिटटी नहीं डाली गई है और क्रमांक 4 पर जो सड़क है, उस पर छः साल पहले मिटटी डाली गई थी। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इनकी जो इंफरमेन्ट है, वह किन सूत्रों से मन्त्री महोदय ने प्राप्त की है और ये दोनों सड़कें कब तक पूरी कर दी जाएंगी ?

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मैं मैम्बर साहब को यह बताना चाहता हूं कि साहू से सनियाना की रोड जो कि 3-4 किलोमीटर तक सैन्क न हो चुकी थी, उस पर 3 किलोमीटर तक मिटटी का काम हो चुका है और 1 लाख 99 हजार रुपया खर्च हो चुका है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय मेरे सवाल का उत्तर देने में टालमटोल कर रहे हैं मैंने यह पूछा था

कि उस सड़क पर अगर अर्थ वर्क हुआ है तो वह कौन से सन में हुआ है ?

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों पर काम चल रहा है। जब जब सरकार के पास पैसा आता है तब तब वहां पर काम करवा दिया जाता है लेकिन इस समय उस सड़क पर काम भुरु नहीं है लेकिन टोहाना की सड़कों पर काफी काम हो रहा है। स्पै ल रिपेयर के ऊपर लगभग 43.96 हजार रुपया खर्च किया गया है।

डा० रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत यह जानना चाहता हूं कि हर बार हाउस में ऐसे सवाल पूछते वक्त सरकार की ओर से यह क्यों कह दिया जाता है कि फण्डज की कमी के कारण फलां फलां काम नहीं करवाये जा सकते ? क्या ये बताएंगे कि ऐसी रोडज की कोई प्रिआरिटी लिस्ट सरकार की तरफ से बनाई गई है कि इस इस सड़क पर सबसे पहले काम करवाया जाएगा ? काम भुरु करने से पहले इन बातों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता ?

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, मन्जूर दुदा सड़कों के ऊपर लगभग 61 करोड़ रुपये का खर्च है लेकिन सरकार की ओर से केवल सड़कों की रिपेयर के लिए 6 करोड़ ही मिला है और इस पैसे को 90 के 90 हल्कों में बांटने की कोटि ता की जानी थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा हरेक हल्के को अलौट किया जाना

अनिवार्य था। अब ये खुद देख लें कि इतने थोड़े फण्ड में से कितना काम हो सकता है ?

श्री भगवान् सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आज तक हरियाणा सरकार ने कितनी सड़कों की प्रासानिक स्वीकृति दी है और उनमें से कितनी सड़कें अधूरी पड़ी हैं जिन पर काम भुर्स नहीं हुआ है ? इनके बाद मैं जो सड़कें स्वीकृत हुई हैं, उनमें से कितनी सड़कों पर काम भुर्स हो चुका है ?

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी कामरेड हरपाल सिंह जी ने सवाल किया था कि नम्बर 1 और 4 सड़कों पर कितना अर्थ वर्क हो चुका है तो मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया कि इन दोनों सड़कों पर काम हो चुका है। लेकिन हरपाल सिंह जी का कहना है कि नम्बर 4 सड़क पर आज से 6 साल पहले अर्थ वर्क हुआ था लेकिन नम्बर 1 सड़क पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं मन्त्री महोदय से आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों में से कौन गलत बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है ? यह सब कुछ सदन के सामने आना चाहिए। मन्त्री महोदय इसकी क्लैरीफिकेशन दें। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Kataria Ji, please be seated. This is a very important matter. Therefore, I want to get it clarified first. जगन नाथ जी सवाल यह है कि इलाके का एम०एल०ए० तो कहता है कि वह सडक अभी तक भुर्ग नहीं हुई और आपने कहा है कि वह बन चुकी है।

श्री जगन नाथः मैंने यह नहीं कहा कि वह बन चुकी है, वह बन रही है।

श्री अध्यक्षः चलो आपने कहा होगा कि वह बन रही है। क्या आप इस बात की जांच करवाने के लिए तैयार हैं कि आपकी बात में वजन है या इनकी में ?

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, नम्बर एक सडक के बारे में मैंने यह कहा था कि 64 हजार रुपए का अर्थ वर्क हो चुका है। नम्बर चार सडक चार किलोमीटर की सैंक तान है जिसमें से तीन किलोमीटर पर मिटटी का काम हुआ है और इस पर 1 लाख 99 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। मेरी तरफ से तो यह सच्चाई है कि इन पर इतना काम हो चुका है और उनकी सच्चाई यह है कि वे सडकें अभी पूरी नहीं हुईं।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री जी बता रहे हैं कि जो साहू से सनियाना सडक है, उस पर 1 लाख 99 हजार रुपए का खर्च हुआ है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि यह खर्च कौन से साल में हुआ था ?

श्री जगन नाथः यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा आबजरवे ान किया है। मन्त्री महोदय बाकी कामों में तो माहिर हैं परन्तु जो जवाब इन्होंने दिया है उसमें कह दिया कि धन के अभाव के कारण क्रमांक 1 व 4 पर अंकित प्राप्तासकीय अनुमोदित सड़कों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय अलाटमेंट नहीं की जा सकी। अब कह रहे थे नम्बर 4 सड़क पर 1 लाख 99 हजार रुपए खर्च किए हैं। इनमें से कौन सी बात सही है ? (गोर) यह से जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः ये भाव्य रिकार्ड न किए जाएं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, एक बहुत ही दुखदायक बात है। हमारे देश की परम्परा है कि हम नारी का बहुत सम्मान करते हैं। परन्तु पता नहीं भाई जगन नाथ तो क्या हो रहा है, जब भी बहिन कमला वर्मा जी सवाल पूछने के लिए खड़ी होती हैं तो ये ऐसी वैसी बात कर देते हैं। (गोर)

श्री जगन नाथः मैंने यह कहा था कि इस साल इन सड़कों के लिए प्रावधान नहीं हो सका। पीछे एक सड़क बनी थी (विघ्न) स्पीकर साहब, चौधारी वीरेन्द्र सिंह जेल से माफी मांग कर आया था (गोर)

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठिए।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, चौधारी वीरेन्द्र सिंह जी जेल से माफी मांग कर आए थे। (गोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि मैं जेल से माफी मांग कर आया था, यदि इस बारे में इनके पास कोई सबूत हैं तो ये बताएं और मैं इसी वक्त अपना इस्तीफा दे दूँगा। (गोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, उस समय माफी देने वाला मैं था और चौधारी वीरेन्द्र सिंह जी ने कोई माफी नहीं मांगी। (गोर)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। नैक्सट क्वै चन प्लीज।

Arm Licences

***1237. Sh. Mohammad Aslam Khan:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) the districtwise number of persons to whom Pistols/Revolvers/Rifles/Gun and Carbine licences were issued during the period from June 1987 to 31st Dec. 1990 in the State, separately; and

(b) the districtwise number of bogus arm licences seized from the anti social elements in the State during the period as referred to in part (a) above ?

Home Minister (Prof. Sampat Singh): A statement is placed on the Table of the House.

Statement

**Arm Licences issued during the period 1-6-1987 to 31-12-
1990**

Sr. No .	District	Pistol s	Revolver s	Rifl e	Gun	Total	Bogus licenc es Seized / Consfis cated
1	Ambala		203	44	295	542	Nil
2	Bhiwani		155	11	257	423	
3	Faridabad	Break up not readily available.				663	
4	Gurgaon		362	50	382	794	
5	Hisar		365	103	880	1348	
6	Jind		379	114	102 4	1517	
7	Karnal	2	85	33	217	237	
8	Kaithal		113	140	603	856	
9	Kurukshter a		39	63	310	412	

10	Narnaul		70	2	51	123	
11	Panipat						
12	Rohtak		324	36	343	703	
13	Rewari	9	12	4	47	72	
14	Sonipat	Break up not readily available.			516	2	
15	Sirsa		281	171	116 9	1621	
16	Yamunnagar		53	28	98	179	
G. Total						1010 6	

NOTE: Licences for carbines/Semi automatic weapons are not issued at the State level.

श्री मोहम्मद असलम खां: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिसार, जींद और सिरसा में इतने ज्यादा लाइसेंस क्यों दिए गए और अम्बाला तथा यमुनानगर जिलों में बहुत कम लाइसेंस क्यों दिए गए इसकी क्या वजह रही है ? गवर्नर्मैंट के पास अम्बाला और यमुनानगर जिले के बहुत लोगों की दरखास्तें लाइसेंस के लिए पैंडिंग पड़ी हुई हैं उनको कब तक लाइसेंस दे दिए जाएंगे ?

प्रो० सम्पत् सिंहः स्पीकर साहब, पिस्टल या रिवालवर का लाइसेंस लेने के लिए बाकायदा एप्लीके अन देनी पड़ती है। उसके बाद पुलिस उस लाइसेंस लेने वाले की बैरीफिके अन करती है। यदि वैरीफिके अन के मुताबिक लाइसेंस लेने वाला आदमी अमन भाँति रखने वाला पाया जाता है तो उसको लाइसेंस दे दिया जाता है। हो सकता है उन जिलों में पुलिस वैरीफिके अन पूरी नहीं हुई होगी इसलिए वहां पर कम लाइसेंस दिए गए होंगे। इसके अलावा, उन जिलों में यह भी हो सकता है कि लाइसेंस की डिमांड कम हो।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिसार, जींद और सिरसा के अन्दर कारबाईन और ए०के० 47 राइफल के लाइसेंस किस आधार पर दिए गए और किसकी सिफारि अ पर दिए गए ? लाइसेंस देने का क्राइटेरिया क्या है ?

प्रो० सम्पत् सिंहः स्पीकर साहब, यदि माननीय सदस्य मेन सवाल के जवाब में लगी हुई स्टेटमैंट पढ़ लेते तो यह सप्लीमैंटरी नहीं करते। स्टेटमैंट के अन्दर यह साफ लिखा है कि कारबाईन/सेमी आटोमैटिक हथियारों के लाइसेंस स्टेट गवर्नरमैंट नहीं देती। ऐसा किसी को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी से मेन सवाल के भाग ख में यह पूछा गया था कि जिलावार नाजायज

हथियार कितने पकड़े गए इनकी संख्या बताई जाए। भायद मंत्री जी यह बताना नहीं चाहते थे। इसलिए नाजायज हथियारों की जगह नाजायज लाइसेंस भाव्द लिख दिया। स्पीकर साहब, नाजायज लाइसेंस नहीं होते नाजायज हथियार होते हैं। मेरे पास दो नाजायज बंदूकों के नम्बर हैं जो आतंकवादी कार्यवाही में पकड़े गए थे। पुलिस ने इन्कवारी करते समय जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि ये हमें जेंपी० साहब ने दिए हैं। (गोम भोम की आवाजें)

Mr. Speaker: Please put the supplementary.

Comrade Harpal Singh: I am asking supplementary.

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे हथियार उनके पास कहां से आए ? किन लोगों से बरामद हुए और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? मैं उन दोनों बंदूकों के नम्बर बता देता हूं। एक बन्दूक का नम्बर 28670 है और यह भारत स्माल आर्म्ज प्राइवेट लिं० की बनी हुई है। दूसरी बन्दूक का नम्बर 9152 है और यह बन्दूक न्यू लाइट आर्म वर्क्स एक प्राइवेट फैक्टरी की बनी हुई है। इसके अलावा, उनसे 28 कारतूस भी मिले थे। जिनसे वह बंदूकें पकड़ी गई उन्होंने यह कहा था कि ये हमें जेंपी० साहब ने दी थीं। (गोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, कामरेड हरपाल सिंह हो सकता है। पूछना कुछ और चाहते हों और पूछ बैठे कुछ और।

जो मैन सवाल पूछा गया है उसका मैंने बाकायदा जवाब दिया है। मैन सवाल में पूछा गया है कि बोगस आर्म्ज लाइसेंस कितने पकड़े गए? उनका मैंने जवाब दिया है कि दो बोगस लाइसेंस पकड़े गए थें लाइसेंस आर्म अलग चीज है और लाइसेंस अलग चीज है। इसके अलावा, माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि दो नाजायज बंदूके पकड़ी गई थीं और पुलिस द्वारा पूछताछ करते समय उन्होंने जे०पी० का नाम लिया था। स्पीकर साहब, ऐसे मामलों में जिस किसी का नाम लिया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया होगा। आप इस तरह के सवाल करके पोलिटिकली कुछ न कुछ निकालना चाहते हैं कामरेडों ने कहीं वांटे होंगे, जब इस पर कार्यवाही होगी तब पता चलेगा। (गोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि प्रदे । में जो राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है और जिसका प्रबल सबूत लोकसभा चुनाव के दौरान भिवानी कान्स्टीच्यूएंसी में सामने आया (गोर)

Mr. Speaker: I am very sorry, Arya Ji, you are going out of the track.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अनअथोराइज्ड लाइसेंसों की जो प्रदीनी हुई थी, वे कितने लोगों के पकड़े हुए हथियार थे और इस केस

में कितने लोगों को पकड़ा गया था और जो लोग पकड़े गए थे उनके खिलाफ क्या कोई केस दर्ज हुआ है ?

Mr. Speaker: This is no supplementary.

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में हथियारों की संख्या बताई है कि सिरसा जिले में 1621, हिसार जिले में 1348, जींद जिले में 1517 और रिवाड़ी में केवल 72 हथियार दिए गए हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन तीन जिलों में अधिक हथियार क्यों दिए गए ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि ऐसे हथियार देने का क्या क्राइटेरिया है क्योंकि हथियारों की जिलेवाईज संख्या देखने से ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने अपने लोगों को ही ये हथियार दिए हैं ?

प्रो० सम्पत्ति सिंह: स्पीकर साहब, मैं अपने सदस्य साथी को सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि यह सवाल हथियारों का नहीं है बल्कि हथियारों के लाईसेंस दिए जाने का है। लाईसेंस लेना अलग बात है और आर्म्ज लेना अलग बात है। लाईसेंसी के लिए जरूरी नहीं कि वह हथियार जरूर लें। हर इलाके के जिन लोगों की डिमांड आती है, उसी हिसाब से ये लाईसेंस दिए जाते हैं। जहां तक रिवाड़ी जिले का सवाल है, यह अभी नया नया जिला बना है और बहुत छोटा है। इसलिए यहां पर इनकी संख्या कम होना स्वाभाविक ही है। दूसरे, जिन तीन जिलों का जिकर किया गया है, इस बारे में मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि ये बड़े जिले हैं और यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े लैण्ड लार्ड लोग रहते

हैं। उनकी अपनी जरूरत होती है इसलिए वे लाईसेंस लेते रहते हैं। उनके लाईसेंस लेने का एक कारण यह भी है कि ये लोग आवस में झगड़ते रहते हैं और इसी आपसी दु मनी के कारण ये लाईसेंस और हथियार लेते रहते हैं। ऐसे केसिज में अपने और पराये की कोई बात नहीं है। ऐसे लाईसेंस इ तू करने का काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का है और वही अपने लेवल पर इ तू करते हैं।

श्री रण सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमैट ने जिले वाईज कार्बाइन और सेमी एटोमैटिक हथियार लेने के लिए कितने लोगों की एप्लीकेशन सेन्टर गवर्नमैट को भेजी हैं ?

प्रो० सम्पत सिंहः हमारी गवर्नमैट ने ऐसे हथियार लेने के लिए एक दो लोगों की एप्लीकेशन को रिकमैंड किया था लेकिन गवर्नमैट आफ इण्डिया ने कह दिया कि स्टेट गवर्नमैट ऐसी कोई रिकमैंड नहीं करेगी और गवर्नमैट आफ इण्डिया ने कम्पलीट बैन लगा दिया है, इसलिए स्टेट गवर्नमैट आफ इण्डिया को ऐसी एप्लीकेशन को रिकमैंड करना छोड़ दिया है।

श्री सतबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि पानीपत जिले में एक भी आर्म्ज का लाईसेंस इ तू नहीं

किया गया ? क्या जान बूझ कर वहां पर ये लाईसेंस इ तू नहीं किए गए या जवाब देने में गलती रह गई ?

प्रो० सम्पत्ति सिंहः अध्यक्ष महोदय, पानीपत के लोग बड़े भान्तिप्रिय हैं, इसलिए उनकी तरफ से कोई मांग नहीं आई जिसकी वजह से वहां पर ये लाईसेंस इ तू नहीं किए गए। अगर डिमांड आएगी तो वहां पर भी लाईसेंस इ तू कर देंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हिसार जिले में 1348 लाईसेंस इ तू किए गए हैं। क्या मंत्री महोदय इन 1348 लाईसेंसों की संख्या कान्स्टीच्यूएंसीवाईज बताने का कश्ट करेंगे ताकि पता लग सके कि कौन सी कान्स्टीच्यूएंसी में कितने कितने लाईसेंस दिए गए हैं ?

प्रो० सम्पत्ति सिंहः स्पीकर साहब, इस समय कान्स्टीच्यूएंसीवाईज इन्फर्मेन्ट देना संभव नहीं है। ये बड़े सीनियर साथी हैं यदि ये सूचना कान्स्टीच्यूएंसी वाईज लेना ही चाहेंगे यह इनको घर भेर दी जाएगी।

डा० रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, जिस संख्या में लाईसेंस दिए गए हैं, उनके बारे में मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्टवाईज लाईसेंस लेने के लिए कितनी एप्लीकेशंज आई, कितने लोगों को लाईसेंस दिए जा चुके हैं और उनमें से कितनी एप्लीकेशंज पैंडिग पड़ी हैं ?

प्रो० सम्पत् सिंहः रूपीकर साहब, यह सूचना भी डिस्ट्रिक्टवार्ड बताना इस समय संभव नहीं है। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि इन तीन सालों में करीब 10 हजार लाईसेंस दिये गये हैं इससे पहले कि 2 सालों में यानि 1965-86 तथा 1986-1987 में तकरीबन 15 हजार लाईसेंस इू हुए हैं इसके बाद के तीन साल में करीब 10 हजार लाईसेंस जारी हुए हैं जो पिछले दो साल के वक्त से काफी कम हैं।

श्री सीताराम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो आर्ड लाईसेंस हरियाणा में दिए गए हैं, इनके अलावा उत्तर प्रदे या राजस्थान के लोगों द्वारा बोगस एड्रैस दे कर भी हरियाणा से लाईसेंस लिए गए हैं, यदि हां तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

प्रो० सम्पत् सिंहः आज तक ऐसी कोई फाकायत नहीं आई; अगर कोई फाकायत आएगी तो इस बारे जांच करवाएंगे।

Construction of Roads by the Market Committee, Narnaul

***1255. Sh. Kailash Chand Sharma:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the number of roads in kilometer, if any, constructed by the Market Committee, Narnaul during the year 1990-91; and

(b) whether the Govt. has received any scheme from Market Committee, Narnaul to drain out the water from the

Narnaul Mandi during the period referred to in part (a) above; if so, the details thereof ?

कृशि मंत्री (श्री कि जन सिंह सांगवान):

(क) हरियाणा राज्य कृशि विपणन मण्डल द्वारा मंडी समिति नारनौल के कार्यक्षेत्र में दो सड़कों, अर्थात् कोजिन्दा से कोजिन्दा की ढाणी तक (0.6 कि०मी०) और नगल स्यालू से मांडी तक (2.5 कि०मी०) के निर्माण का अनुमोदन किया हुआ है। इन दोनों सड़कों का कार्य अलाट किया जा चुका है तथा दूसरी सड़क पर कार्य आरम्भ हो गया है।

(ख) मंडी समिति नारनौल से हरियाणा राज्य कृशि विपणन मण्डल द्वारा एक योजना प्राप्त हो चुकी है। इस योजना को जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दो भागों में तैयार किया गया है। प्रथम भाग का सम्बंध पानी एकत्रित करने हेतु टैंक तथा पम्प चैम्बर के निर्माण से है। इस भाग के लिए बोर्ड द्वारा 386000/- रुपये की राटा के लिए 7.2.91 को प्रासकीय अनुमोदन किया जा चुका है। 133000/- रुपये की निहित राटा से नाले से पानी के निकास से सम्बंधित दूसरा भाग बोर्ड के विचाराधीन है। इस योजना के जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 31.12.1991 तक सम्पन्न होने की सम्भावना है।

श्री कैला । चन्द्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कोजिन्दा से कोजिन्दा ढाणी और गांव नंगल स्यालू से मांडी तक की दो सड़कों का जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी

से यह जानना चाहता हूं कि इन सड़कों के लिए कितनी राटि एलोट की गई है, इनके ठेकेदार कोन हैं और इन सड़कों के कब तक बनने की संभावना है ?

श्री कि न सिंह सांगवानः ठेकेदार या ऐजैन्सी का नाम तो इस समय नहीं बताया जा सकता। इस काम के लिए कितनी एमांडंट ऐलोट की गई है, यह बाकायदा लिखी हुई है।

डा० हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित एक सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने मार्किटिंग एग्रीकल्चरल बोर्ड की सड़कों को बनाने का आर्डर किया है। 23 फरवरी के ट्रिब्यून में छपा है कि 1400 किलोमीटर सड़कों को बनाने के लिए पैसा दिया, 300 किलोमीटर सड़क बनी और 1034 किलोमीटर सड़क का अर्थवर्क हुआ। इसके अतिरिक्त 4 करोड़ रुपये इन्जीनियरों से रिकवरी का आदेत दिया है, जो उनके रितेदार थे उनको ठेके दिए गए। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो पैसा 3 साल से मार्किटिंग बोर्ड का पड़ा है, इस पैसे से सड़कें कब तक बना दी जाएंगी ?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)ः सारे हरियाणा में सड़कों का काम चल रहा है, कहीं बन्द नहीं हुआ है। कौन सी सड़क का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया है, यह बताना तो इस समय

संभव नहीं है। कामरेड साहब, अखबार न दिखाएं, अगर कोई
कायत आएगी तो जांच करवाई जाएगी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मार्किटिंग
कमेटीज के पास बहुत पैसा है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से
यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इनको सड़कें बनाने
में इतनी देरी होती है ? कई मार्किटिंग कमेटियां ऐसी हैं जहां
बिल्कुल काम नहीं हुआ है। मैं मन्त्री जी से यह भी जानना चाहूंगा
कि क्या इन सड़कों को पी०डब्ल्य०डी० से बनवाने बारे विचार
किया जाएगा ?

श्री कि न सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय
सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो सड़कें
एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड द्वारा बनाई जाती हैं, यह जल्दी बनती
हैं। मैं यह बात माननीय सदस्य के नोटिस में लाना चाहूंगा कि
यदि इन सड़कों को पी०डब्ल्य०डी० के माध्यम से बनवाया गया तो
इसमें और भी देर लगेगी।

Mr. Spekaer: Questions hour is over please.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित

प्र नों के लिखित उत्तर

Karnal Oil Refinery

***1291. Sh. Lachhman Dass Bajaj:** Will the Chief Minister be pleased to state the present stage of the construction of Karnal Oil Refinery ?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): करनाल तेल भांधक कारखाने के लिए गांव बहोली जिला करनाल (अब जिला पानीपत) में इंडियन ऑयल कारपोरे ने द्वारा 2080 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। निर्माण कार्य अभी भुरू नहीं हुआ है।

Construction of Roads

***1361. Sh. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) the number of Link Roads constructed in District Yamuna Nagar during the year 1990-91; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct new link roads in Jagadhri Constituency during the year 1991-92; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन्नाथ):

(क) तीन।

(ख) जी नहीं।

Construction of Bridge

***1411. Sh. Bhag Mal:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a bridge on Nabipur Sangrani Road (near Naraingarh); and

(b) if so, the time by which the aforesaid bridge is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Bus Stand at Siwan

***1404. Sh. Buta Singh:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Bus Stand at Siwan; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Bus Stand is likely to be constructed ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वेद सिंह मलिक):

(क) जी हाँ।

(ख) बस स्टैंड के लिए भूमि अधिग्रहण की जा रही है। भूमि अधिग्रहण करने के प चात बस स्टैंड के निर्माण का कार्य फण्डज की उपलब्धि अनुसार भुरु किया जाएगा।

Exemption of Electricity Bills having Motors of 7½ H.P.

***1273. Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to exempt the electricity bills of tubewells having a motor of 7½ H.P. to the farmers in the State; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत् सिंह):

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) के संदर्भ में प्रन ही उत्पन्न नहीं होता।

Digging of Palri Minor and Badhwani Sub Minor

***1231. Sh. Ran Singh Mann:** Will the Minister of State for Home be pleased to state-

(a) whether ther is any scheme under consideration of the Govt. to emanate the Palri Minor and Sadhwana Sub Minor out of the Satnali Feeder; and

(b) if so, the time by which the construction of the said minors are likely to be started/completed ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत् सिंह):

(क) नहीं।

(ख) प्र न नहीं उठता।

Damage caused to Haryana Roadways Buses

***1225. Sh. Hira Nand Arya, Sh. Mohammad Aslam Khan, Capt. Ajay Singh Yadav, Sh. Ram Bilas Sharma, Sh. Muni Lal, Sh. Brij Mohan Gupta, Sh. Yogesh Chand Sharma:**
Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) the depotwise number of buses of Haryana Roadways damaged during the anti-reservation agitation in the State togetherwith the details/amount of loss suffered on that account in each depot separately; and

(b) the steps taken or proposed to be taken to replace the damaged buses of Haryana Roadways ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वेद सिंह मलिक):

(क) आव यक सूचना अनुबन्ध सी पर सभा पटल पर रखी जाती है।

(ख) (1) अधिकां बसें जिनकी मुरम्मत होनी थी या जिनको दोबारा बनाना था, मुरम्मत करके व दोबारा बाड़ी बना कर मार्ग पर चला दी गई है।

(2) पूरी तरह जली बसों के बदलाव की कोरि त जल्दी की जाएगी, बर्त राफि उपलब्ध हो।

अनुबन्ध – ‘सी’

क्र० सं 0	डिपो का नाम	नुकसान हुई बसों की संख्या	नुकसान की राटि
1	अम्बाला	43	245088
2	जीन्द	90	2972330
3	कैथल	13	1279556
4	सोनीपत	141	41921484
5	चण्डीगढ़	65	3014330
6	करनाल	224	1327398
7	यमुनानगर	13	306791
8	कुरुक्षेत्र	6	3370000
9	गुड़गांव	127	815884
10	रिवाड़ी	93	1373868
11	भिवानी	44	1469750
12	फरीदाबाद	90	7950650

13	रोहतक	121	7058561
14	हिसार	4	1340000
15	सिरसा	93	825985
16	दिल्ली	54	2671170
17	फतेहाबाद	44	961818
	कुल	1265	78904663

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमारा एक रूल 84 का मो अन था। उसका क्या बना ?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा।

श्री उदय भान: सर, मैंने भी एक काल अटैं अन मो अन करनाल में 4 करोड़ के घोटाले के बारे में दिया है। तीन दिन के अन्दर इतना पैसा खर्च हुआ है और अब बरसात का मौसम भी आ रहा है। वहां का सारा काम अफैकिटड है। अगर उस बारे में सरकार कोई बयान देना चाहे तो दे दे क्योंकि यह एक बहुत ही सैंसेटिव मैटर है। (Noise & interruptions)

Mr. Spekaer: That has been disallowed. Please take your seat.

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, आज के देनिक ट्रिब्यून में छपा है कि एक मंत्री ने थानेदार को थप्पड़ मारा है जो कि सरकारी मुलाजिम है। वह कौन सा मंत्री है जिसने ऐसा किया है, गृह मंत्री जी जरा बता दें।

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत् सिंह): ऐसी खबरें तो आप ही छपवाते रहते हो। (गोर)

श्री सूरज भानः क्या हमने छपवाया है ? यह बिल्कुल गलत है आप इसको कन्ट्राडिक्ट कर दो।

Mr. Speaker: Suraj Bhan Ji, please take your seat
(Interruptions)

(At this stage many members rose to speak)

Mr. Speaker: I would request everybody except Sh. B.D. Gupta to take his seat.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव-

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के निवास स्थान पर हरियाणा सी०आई०डी० कर्मचारियों द्वारा निगरानी करने की घटना से

उत्पन्न

स्थिति सम्बन्धी

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, हम यह जानना चाहते हैं कि दिल्ली में भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव

गांधी के निवास स्थान पर हरियाणा के सी0आई0डी0 कर्मचारियों द्वारा निगरानी करने की घटना से उत्पन्न स्थिति से सम्बंधित रूल 84 के तहत जो मो 1n कल आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, उसके ऊपर आपने क्या निर्णय किया है ?

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि इस संबंध में मेरे पास तीन चीजें आई थीं। सबसे पहले मेरे पास कालिंग अटैं 1n मो 1n आई थी जिसके बारे में मैंने कहा था कि वे आज के लिए ऐडमिटिड हैं। उसके बाद रूल 84 के तहत सूरज भान जी की एक मो 1n आई। उसके बाद कई दूसरे एम0एल0एज0 की तरफ से रूल 84 के तहत मो 1n आई। फिर ऐडजर्नमैंट मो 1n आई। मैंने कालिंग अटैं 1n मो 1n ऐडजर्नमैंट मो 1n और रूल 84 के तहत आई मो 1n को विकल्प कर दिया है तथा रूल 84 के तहत डिस्क 1n अलाऊ कर रहा हूं। परन्तु अब हमारे सामने आज के लिए दो ई रूज हैं। एक तो श्री कटारिया जी के काल अटैं 1n मो 1n पर फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर ने स्टेटमैंट देनी है और दूसरा यह ई रू है। अगर हाउस पहले वह लेना चाहे तो भी मैं तैयार हूं और अगर यह ई रू पहले लेना है, तो भी मैं तैयार हूं। लेकिन इसके लिए मेरी एक प्रार्थना है कि अगर रूल 84 वाली मो 1n पहले लेनी है तो इसके लिए एक घंटा अपोजी 1n को मिलेगा। उसके बाद गवर्नमैंट का जवाब होगा। इस एक घंटे में दो जनता दल के, दो बी0जे0पी के, एक कांग्रेस आई पार्टी का

और एक कामरेड बोल सकेगा। इस तरह से छः आदमी बोल सकेंगे। इससे ज्यादा नहीं बोल सकैंगे।

(At this stage Capt. Ajay Singh Yadav rose to speak)

Mr. Speaker: I would not permit you now. This is not the way. You always creat trouble (Interruptions)

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, आपने हमारी पार्टी को 10 मिनट का समय दिया है। हम 5-5 मिनट दोनों बोल लेंगे।

Mr. Speaker: Capt. Sahab, I would not permit more than one member from your party. I have said that I would permit two members of B.J.P., two members of Janata Dal, one member from Cong. (I) Party and one comrade. Not more than this.

Hon'ble members, I have received a notice of motion under rule 84 from Sh. Suraj Bhan and some other M.L.As. regarding situation created by the incident of surveillance by C.I.D. employees of Haryana at the residence of Sh. Rajiv Gandhi ex-Prime Minister of India etc. at Delhi. मैं इसे एडमिट करता हूँ। सूरज भान जी अपना नोटिस पढ़ दें।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, जिन मैम्बर्ज के काल अटैं अन मो अन्ज सबसे पहले ऐडमिट हुए थे, क्या उनको बोलने का मौका मिलेगा या नहीं। (व्यवधान व भाओर)

श्री अध्यक्ष: इस बात का आप आपस में फैसला कर लें कि कौन बोलेगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं। आपकी पार्टी अगर आपको न बोलने दे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। (व्यवधान व भाऊर) सूरजभान जी, आप अपना मो अन मूव करें।

(इस समय कई सदस्य अध्यक्ष महोदय से इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए अलाउ करने हेतु खड़े हुए।)

Mr. Speaker: Sorry, I would not budge an inch from my decision. Whatever I have said, I have said after thorough consideration.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने भी कालिंग अटै अन मो अंज दी हैं और आपने सब मो अंज को रूल 84 में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए उनका भी बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: आप न बोलिए, उनको बोलने दें। (गोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, हम दोनों को टाईम मिलना चाहिए।

Mr. Speaker: I would not permit you. I have permitted only one from you and I am not going to change my decision.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, आप हमारी पार्टी के एक की बजाए दो मैम्बर्ज को टाईम दे दीजिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, जिनकी काल अटैन अन मो अंज रूल 84 के तहत कंवर्ट की गई हैं, उनको भी टाईम मिलना चाहिए।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना तो आप मान ही लीजिए।

श्री अध्यक्षः कामरेड साहब, अगर आप एडजस्ट कर सकें तो पांच पांच मिनट दोनों बोल लें।

कामरेड हरपाल सिंहः ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः सूरज भान जी आप अपना मो अन मूव करें।

Sh. Suraj Bhan (Mullana S.C.): Sir, I beg to move-

That the situation arisen due to the functioning of Haryana C.I.D. (Intelligence) office at Delhi and recent arrest of two Haryana C.I.D. officials at the residence of Sh. Rajiv Gandhi, former Prime Minister in Delhi by the Delhi Police, be discussed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the situation arisen due to the functioning of Haryana C.I.D. (Intelligence) office at Delhi and recent arrest of two Haryana C.I.D. officials at the residence of Sh. Rajiv Gandhi, former Prime Minister in Delhi by the Delhi Police, be discussed.

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, पिछला भानिचरवार वास्तव में भानिचर ग्रह हिन्दुस्तान पर चढ़ गया। हरियाणा के दो सी0आई0डी0 ऑफिसियलज जिनके नाम राज सिंह और प्रेम सिंह हैं, जो हैड कांस्टेबल हैं और जिनमें से एक की पोस्टिंग रोहतक में और दूसरे की पोस्टिंग नारनौल में बताई गई है। वे देहली में श्री राजीव गांधी के मकान की निगरानी करते पकड़े गए। अध्यक्ष महोदय, किसी हैड कांस्टेबल की यह हिम्मत नहीं हो सकती कि वह एक भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के घर पर अपनी मर्जी से निगरानी करे। उन्होंने बताया है कि इंस्पैक्टर अमीर सिंह राणा के कहने पर वे निगरानी कर रहे थे। (इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं और मुझ पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई ऊपर का आदमी है। वह बड़ा ऑफिसर हो सकता है या कोई पौलिटी ट्रेन हो सकता है इनमें से कोई भी पर्दे के पीछे हो सकता है लेकिन इन दोनों को बलि का बकरा बनाया गया है। मैं यह जानता हूं कि इन दोनों हैड कांस्टेबलज की हिम्मत नहीं हो सकती कि एक महेन्द्रगढ़ से आकर और दूसरा रोहतक से आकर अपने आप वहां निगरानी करें। उपाध्यक्ष महोदय, देहली में हरियाणा भवन से कोई सौ गज पर सिकन्दरा रोड पर नाभा हाउस है। वहां पर सी0आई0डी0 का दफ्तर है जिसमें एक सौ

पचास आदमी काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह दफ्तर कब बना ? किसके हुक्म से यह दफ्तर बना ? उस दफ्तर को वहां बनाने की क्या जरूरत थी ? अगर जरूरत थी तो क्या इसके लिए केन्द्रीय सरकार की इजाजत लेने की जरूरत होती है ? अगर जरूरत होती है तो क्या केन्द्रीय सरकार की इजाजत ली गई ? उस दफ्तर पर आज तक कितना खर्च हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि वहां इस दफ्तर का क्या काम है ? वहां पर एक सौ पचास आदमी क्या काम करते हैं और किन लोगों की निगरानी करते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर तो यह समझा जा सकता है कि विरोधी दल के लोगों की निगरानी तो जरूरत करते होंगे। आज के जनसत्ता में छपा है कि ये लोग वी०पी० सिंह की निगरानी करते थे और इस वक्त जो प्रधान मंत्री हैं, उनका हरियाणा में भौंडसी में फार्म है, उनकी भी निगरानी करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो भाक है, कि कहीं हमारे मुख्य मंत्री की भी सी०आई०डी० तो नहीं कर रहे हैं

मुख्य मंत्री (श्री हुक्म सिंह): मेरी तो सारी जिन्दगी सी०आई०डी० होती रही है।

श्री सूरजभान: पहले की जिन्दगी से हमें कोई वास्ता नहीं है। हमें तो अब की स्थिति से वास्ता है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा भवन सी०आई०डी० का अडडा बना हुआ है। जैसा कि अखबार में छपा है वहां कुछ खास खास कमरों में कुछ यन्त्र रखे हुए हैं और कुछ ऑफीसर्ज के नाम भी दिए हैं। डिप्टी स्पीकर

साहब, उन कमरों की जब सफाई होती है तो वहां तैनात अफसर अपने सामने सफाई करवाते हैं ताकि वहां के जो यंत्र हैं, वे किसी के नोटिस में न आ जाएं। यह बहुत ही अलोकतांत्रिक और अनैतिक बात है कि हरियाणा भवन और दिल्ली में दूसरी जगहों पर ऐसा हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमें टेलीफोन दिये गये हैं पर हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमारे टेलीफोन टेप हो रहे हैं कि नहीं ? मुख्य मंत्री जी यह बताएं कि हरियाणा के अन्दर किस किस के टेलीफोन टेप हो रहे हैं ? जो होना नहीं चाहिये, वह हो रहा है। फिर कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि सी0आई0डी0 का विभाग हमारे पास है लेकिन हमने किसी को कोई हुकम नहीं दिया था कि राजीव गांधी जी पर निगरानी की जाये। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह एक अन कांस्टीट्यू अनल अथौरिटी ही है जो अपने लैवल पर हुकम देकर यह सब कुछ करवा रही है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि प्रोफेसर सम्पत सिंह जी बड़े ही ऐफी रिएन्ट मिनिस्टर हैं। पता नहीं वे दिल्ली और दिल्ली से बाहर के प्रदेशों में भी सी0आई0डी0 करवाते होंगे। क्या वे इसको ओन करते हैं कि मैंने उनको भेजा था ? अगर वे ओन करते हैं तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिये। अगर वे ओन नहीं कर रहे हैं और जैसा कि अखबारों में छपा है कि चौधारी भजन लाल यह सब कुछ करवा रहे हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि फिर वे मोस्ट इन ऐफी रिएन्ट हैं और फिर भी उन्हें रिजाइन कर देना चाहिये। उनको यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। (गोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, केवल मन गढ़न्त बातें इन सभी को

कवर अप करने के लिये यहां पर कही जा रही हैं कि वे अफसर छुटटी पर थे लेकिन छुटटी पर रहते हुए वे यह काम कैसे कर सकते हैं ? (और एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सै अन चल रहा है और अगर कोई जरूरी इंफर्म अन सरकार ने कहीं बाहर भेजनी हो तो उस बारे में पहले हाउस को पूरी जानकारी देनी चाहिये लेकिन सरकार ने बिना इस हाउस को इन्फार्म किये सैन्ट्रल सरकार को सूचना भेज दी जिस बारे में हमें तो अखबारों से जानकारी मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि सूचना देने से सरकार इन्कार नहीं कर सकती। मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि अगर इन्होंने कोई जरूरी सूचना बाहर भेजी थी तो कम से कम परसों हाउस में बता देते तो हाउस में इतना हंगामा न होता परन्तु इन्होंने ऐसा न करके हाउस को गुमराह किया है। यह हाउस की कनटैम्ट है कि हाउस को बताये बगैर इंफर्म अन बाहर भेजी गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय व गृह मंत्री महोदय इस बात का साफ साफ उत्तर दें कि इस तरह क्यों किया गया है ? इस हाउस की एक स्पै अल कमेटी गठित की जाये और उस कमेटी का अध्यक्ष विपक्ष की आरे से हो जो इस बात का न्याय करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जो मुददे मैंने उठाये हैं, मुख्य मंत्री उनका जवाब दे और हकीकत का पता लगाएं कि किन कारणों से ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज सारा हिन्दुस्तान हिल गया है। इसकी सारी

जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है। इस सारी बात की जांच हो और जो सच्चाई हो, वह यहां सदन के सामने लाई जाए।

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी): उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी अध्यक्ष महोदय ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए एक घंटे का समय हमें बोलने के लिए अलाट किया है। हम कोटि १ करेंगे कि उस एक घंटे के अन्दर अन्दर सभी अपनी अपनी बात समाप्त कर लें, चाहे हम दो सदस्य बोलें, तीन बोलें या चार बोले। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं जैसे अभी चौधारी सूरज भान जी ने बताया कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा सी०आई०डी० की दिल्ली के अन्दर कोई जुरिसडिक न नहीं है लेकिन वहां जासूसी की जाती है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण अब यह पकड़ा गया है। अगर ये दो सिपाही गिरफतार न होते तो भायद इस जासूसी कांड का भंडा फोउ न होता। जासूसी भी की है तो एक बहुत उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ के घर पर, चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंध रखता है। स्वयं चौधारी देवी लाल जी का दो दिन पहले वक्तव्य आया था कि इस प्रकार की जासूसी अनैतिक और अलोकतान्त्रिक है और किसी के यहां भी ऐसी जासूसी नहीं होनी चाहिए। चौधारी देवी लाल इसको कंडैम करते हैं और मुख्य मंत्री जी ने भी कल सदन में यह कहा कि सी०आई०डी० का विभाग मेरे पास है और मैंने कोई ऐसा आर्डर नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आदें तो किसका चलता है ? किसके आदें तो से वह दोनों कांस्टेबल वहां गए ? यह हो नहीं सकता कि सरकार के आदें तो के बिना कोई कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल वहां पर जाए। सारा दें तो उसको कंडैम करता है, सारी पार्टियों के नेता कंडैम करते हैं। उनको श्री राजीव गांधी की कोठी पर जाने के आदें तो जरुर किसी उच्च अधिकारी ने दिए हैं और उच्च अधिकारी को भी किसी पोलिटि आयन की जासूसी करने हेतु ऐसे आदें तो देने की क्या जरुरत पड़ी। इसमें जरुर किसी बड़े पोलिटि आयन का हाथ है। यह कौन बताए कि वह पोलिटि आयन कौन है ? यह काम सरकार है और सरकार इस बारे में जांच करे। जांच करके पता लगाए कि वह पोलिटि आयन कौन हो सकता है जिसके आदें तो से वे दोनों सी0आई0डी0 के कर्मचारी वहां पर गए। वहा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको सार्वजनिक रूप से कंडैम किया जाए और सजा दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण बात नहीं है। इस बात से हरियाणा प्रदें तो की सारे दें तो में बदनामी हुई है आप सारे हिन्दुस्तान के समाचार पत्रों को उठा कर देखें, उनके अन्दर हरियाणा प्रदें तो के बारे में क्या चर्चाएं हुई हैं। वैसे तो यह बात ठीक है, जैसा पाप इन्होंने किया था, वैसा फल भुगत लें। इन्होंने जैसा औरों के साथ किया था, वैसा इनके साथ भी हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, आज उधर जो भाऊर भाराबा सुनाई दे रहा है, यह एक बुझते हुए दिये की तरह है। जैसे बुझता हुआ दिया टिम टिम करता है, उसी तरह से यह सरकार कर रही है। अब इस

सरकार का दिया बुझने वाला है। जैसे मरता हुआ कोई आदमी सम्भाला लेता है उसी तरह से यह सरकार सम्भाला ले रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के अन्दर कितने ही जघन्य कांड हुए, कितने ही पाप हुए, कितने ही हीनियस क्राइम हुए, उनकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। अगर जांच हुई तो उनका कोई परिणाम नहीं निकला। कोई रिपोर्ट नहीं आई। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जितने जघन्य कांड हुए, उनकी जासूसी क्यों नहीं की गई ? गुप्तचर विभाग यहां काम क्यों नहीं करता ? अपनी स्टेट का काम छोड़ कर वह दिल्ली में सी0आई0डी0 करने के लिए जाए और अनाधिकार चेशटा करे और उसका कोई एक न न लिया जाए यह कितनी गलत बात है। मुख्य मंत्री का जवाब एक ऐसा जवाब है जो किसी को कंविन्स नहीं कर सकता। मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। मैं इनसे पूछता हूं कि मुख्य मंत्री जी आप क्या करते हैं, किस लिए यहां बैठे हैं ? सी0आई0डी0 की रिपोर्ट डेली मुख्य मंत्री के पास आती है। मैं भी दो बार मुख्य मंत्री रह चुका हूं इसलिए मुझे पता है। अगर सी0आई0डी0 की रिपोर्ट मुख्य मंत्री के पास नहीं आती तो किसके पास जाती है ? अगर इनके पास सी0आई0डी0 की रिपोर्ट आती है तो अभी तक वह रिपोर्ट इनके पास क्यों नहीं आई ? अगर इनके पास उस बारे में रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने उसकी परवाह क्यों नहीं की ? अगर परवाह नहीं की तो इनको यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन चूंकि ये मुख्य मंत्री हैं इसलिए इनका

यह कर्त्तव्य बन जाता है कि जब प्रदे ए के अन्दर कोई इस प्रकार की गतिविधि होती है तो उसका इनको पता है क्योंकि यह सदन के सामने जवाबदेह हैं। मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि मुझे उस बारे में मालूम ही नहीं है, उसके कोई आदे ए दिए गए या नहीं दिए गए बहुत गलत बात है। इसलिए यह सदन इस सरकार से और मुख्य मंत्री से इस्तीफा की मांग करता है। इतने इनएफिं एंट मुख्य मंत्री को यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी, आप मुख्य मंत्री जी के अधिकार की बात पर न जाएं। आपको बोलने के लिए समय मिला है आप उसी विशय पर बोलें जो इस समय डिस्कस हो रहा है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मुझे क्या बोलना चाहिए। आप हमें इस तरह पढ़ा नहीं सकते। (ओर) हमें पता है कि हम क्या बोलेंगे। क्या नहीं बोलना, वह भी मैं जानता हूं। मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है और उसकी क्या मर्यादा है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। (ओर)

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी, पढ़ाने वाली बात नहीं है, लेकिन आप जितना भी बोलें, मर्यादा में रह कर ही बोलें। (ओर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात मर्यादा से बाहर जा कर नहीं कह रहा। किसी का इस्तीफा मांगना कोई मर्यादा से बाहर की बात नहीं है। लोक तंत्र में तो प्रधान मंत्री तक का इस्तीफा मांगा जाता है। किसी का इस्तीफा मांगना

मर्यादा भंग नहीं है। आप मुझे मर्यादा मत बताइए। (गोर) मैं मर्यादा खूब जानता हूं, मैं अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाऊँगा। (गोर)

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आपको जो समय मिला है, उसमें अपनी बात जल्दी से जल्दी कहिए। (गोर)

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, इतने जघन्य कांड हों और उसके बाद भी किसी काण्ड की सरकार इन्कवायरी न करवाये और किसी को सजा न दे तो यह कहां का इन्साफ हुआ ? इसके विपरीत दिल्ली में जाकर सी०आई०डी० करे, यह कोई अच्छी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, (गोर) मैं यह कह रहा था कि किसी का इस्तीफा मांगना मर्यादा से बाहर की कोई बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर से हमारी कोई निजी दु मनी नहीं है। (गोर)

श्री उपाध्यक्षः आप मेरी बात सुनिए। मैं यह कह रहा हूं कि आप मर्यादा में रह कर ही बोलें। यह एक महान सदन है इसलिए आप सदन को डांटने की कोई तामत करिए। (गोर) आप बड़े आराम से अपनी बात कहिए। आपको बोलने के लिए पूरा समय मिला है। आपको बोलते हुए पहले ही 11 मिनट हो चुके हैं। इसलिए आप इधर उधर की बातों में जाने की बजाये अपनी बात कहिए। (गोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, आप न्याय के आसन पर बैठें हैं। इसलिए इस न्याय की कुर्सी पर बैठते हुए आप मुझ पर यह आरोप मत लगाइए कि मैं सदन को डांट रहा हूं।
(गोर)

पुपालन राज्य मंत्री (श्री कुलबीर सिंह मलिक): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से गुप्ता जी बोल रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। यह एक महान सदन है। महान सदन की कुछ परम्पराएं होती हैं। कुछ रुल होते हैं और कुछ अपने ढंग होते हैं। हमारे सी०ए० साहब ने अपोजी न को अपनी बात कहने का पूरा समय दिया है और यहां तक कहा है कि मुझे खु भी होगी अगर मेरा कोई क्रिटिसिजम करता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, क्रिटीसिजम हैल्दी होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कोई कानून अपने हाथ में ले ले। (गोर) अपोजी न की तरफ जो भाई बैठे हैं, उनमें एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री है और दूसरी तरफ कई भूतपूर्व कैबिनेट स्तर के मंत्री भी बैठे हुए हैं। (गोर) उपाध्यक्ष महोदय, ये आपकी कुर्सी को चैलेज कर रहे हैं। (गोर) मैं यह कहना चाहता हूं कि कल भी इन्होंने काफी भाओर किया था लेकिन इनकी जबरदस्ती यहां नहीं चलेगी।
(गोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इनको अभी तक यह नहीं पता कि प्वायंट आफ आर्डर क्या होता है। (गोर)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: गुप्ता जी, मैं जानता हूं कि प्वायंट आफ आर्डर क्या होता है। मैं सब कुछ जानता हूं। (गोर) मैं आपको भी पढ़ा सकता हूं। बाकी अब आपको जनता तो पढ़ा ही देगी। (गोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, परसों ही आपका चुनाव हुआ है। विपक्ष के नाते हमने अपना कैण्डीडेट खड़ा किया था। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: प्वायंट आफ आर्डर में चुनाव कहां से आ गया ? यह कोई प्वायंट औफ आर्डर नहीं है।

11.00 बजे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आप ही बता दीजिए कि प्वायंट आफ आर्डर क्या होता है ? मेहरबानी करके आप हमें डिक्टेट न करें। न तो हम स्टुडेंट्स हैं और न ही आप टीचर हैं। हमें डिक्टेट मत कीजिए। (विघ्न एवं भाओर)

श्री उपाध्यक्ष: मैं डिक्टेट नहीं कर रहा। मैं तो यह चाह रहा हूं कि हाउस की कार्यवाही बड़े आराम से चलनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष जी, कार्यवाही आराम से कैसे चलेगी ? हमने परसों माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील की थी कि इस मौके पर एक दूसरे के खिलाफ मिथ्या आरोप न लगाए जाएं हम नहीं बोले लेकिन मुख्य मंत्री जी ही स्वयं बोले ओर कहा कि

गुप्ता जी दल बदलू हैं। इन्होंने यह भी कहा कि ये बनारसी दास जी की जय बोला करते थे। (विध्न एवं भाओर) मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हाउस का कीमती टाईम बरबाद न हो, इसलिए अपने साथियों को टोका टोकी से रोकें। हम में से कोई गलत नहीं बोलेगा। अगर ये इनकी बात नहीं मानते तो फिर ये जानें और हम जानें। (विध्न एवं भाओर) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र भावदों के साथ अपनी बात कह रहा था मगर बीच बीच में इन्ट्रैन्ज हो रही हैं। (विध्न)

श्री अध्यक्ष: मैं सारे हाउस से प्रार्थना करता हूं कि बीच बीच में इन्ट्रैन्ज न करें, जो आनरेबल मैम्बर बोल रहा है, वे भी इस ढंग से बोलें कि किसी के सम्मान और भावना को कोई चोट न लगे। अपनी बात सोच विचार कर कहें। मैं यह बात एक आदमी के लिए नहीं कह रहा बल्कि सारे हाउस के लिए कह रहा हूं। मैं पिछले 18 मिनट से सुन रहा हूं कि बीच में टोका टोकी हो रही है। मैं एक बार फिर सब की सेवा में कहता हूं कि बीच में टोका टोकी न करें।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, अखरने वाली बात तभी होती जब किसी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं। मैंने किसी भी माननीय मन्त्रीगण या किसी सम्मानित

सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो यहां बैठे बैठे कहा गया कि एक करोड़ की कोठी खरीद ली। ये भाब्द किसने कहे, एक मंत्री जी ने, जिसके साथ 'मन्त्री' भाब्द लगा है। इस किस्म के आरोप तो ये लोग लगाते हैं और कहा हमें जाता है कि हम ऐसा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह सरकार इन ऐफिरियेन्ट है और अपना कर्तव्य निर्वा करने में सक्षम नहीं हैं। अगर यह सरकार सक्षम होती तो हरियाणा में मेरहम जैसे जघन्य काण्ड नहीं हुए होते। (विधन)

श्री अध्यक्ष: यह बात इससे ताल्लुक नहीं रखती। गुप्ता जी, यह एक स्पैसिफिक ई जु है और आप इसी ई जु पर बोलें।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, जासूस और गुप्तचर विभाग हरियाणा में तो अपनी डयूटी निभा नहीं सकते और वे दिल्ली में जाकर श्री राजीव गांधी के घर की सी0आई0डी0 करते हैं। यह बात कहां तक मुनासिब है ? फिर यह कहां तक उचित है कि मुख्य मंत्री के पास यह महकमा होते हुए, बिना उसकी इजाजत के ऐसा हो गया हो ? यदि उन्होंने ऐसा कोई आदे त नहीं दिया तो फिर किसने ऐसा आदे त दिया ? (विधन) सी0आई0डी0 के आदमी वहां पर क्या करने गए ? (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं अगर कोई गलत बात कहूं तो आप मुझे टोक देना और बता देना।

श्री अध्यक्षः मैं तो यह कह रहा हूं कि आप का टाईम खत्म हो रहा है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं कन्कल्यूड ही कर रहा था, अगर यह बीच में भाऊर न करते।

श्री अध्यक्षः आप कन्कल्यूड करें।

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपना कर्तव्य निभाने में समक्ष नहीं है। इसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। नहीं तो जैसे कि इस प्रस्ताव के मूवर विपक्ष के नेता चौधारी सूरज भान जी ने जो सुझाव दिया है कि हाउस की एक कमेटी बना दी जाये जो इस सारे मामले की जांच करेगी कि इस जासूसी का काम करने का आदेता देने वाला इस प्रदेश में कौन था, वह मान लिया जाए।
(व्यवधान व भाऊर)

श्री राम बिलास भार्म (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, अभी परसों ही मुख्य मंत्री महोदय ने गवर्नर एंड्रैस का जवाब देते हुए एक बहुत अच्छी बात कही कि लोक तन्त्र के अन्दर हम स्वस्थ आलोचना का स्वागत करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन चार दिनों से सारे देश की राजनीति में हरियाणा सरकार की चर्चा है। इसका कारण यह है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है, इसके प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। जो लोग संवेदन फील हैं, जो लोग राजनीति में अपनी जिम्मेवारी महसूस

करते हैं, उनके लिये भायद इस तरह की घटना एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस दे । की राजनीति में ऐस भी नेता हुए हैं जो अपनी जिम्मेवारी के प्रति काफी संवेदन गिल थे। श्रीमान लाल बहादुर भास्त्री जी जब रेल मंत्री थी, उनके समय में रेल की एक दुर्घटना हो गयी और विदन इन एन आवर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह कहा कि मेरी नालायकी के कारण ऐसा हुआ है। मैं रेलों का संचालन ठीक ढंग से नहीं कर सका। निर्दोश लोगों की जो जाने गयी हैं, उनके लिये सीधी जिम्मेवारी मेरी है। किसी रेलवे के ड्राईवर की या उसके गार्ड की कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसकी सीधी जिम्मेवारी मेरी है क्योंकि मैं इस महकमे का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। तीन आदमी जो सस्पैंड किये गये हैं, वे तो बेचारे कसूरवार ही नहीं थे। किसी अफसर को अपनी नालायकी के कारण कठघरे में खड़ा कर दो, यह बहुत ही गलत बात है। हम विपक्ष के नेता जब कहीं बोलते हैं तो सी०आई०डी० वाले कहां होते हैं हम आरोप लगाते हैं इसलिये सी०आई०डी० वहां पर रहती है। हम पे आब कहां पर करते हैं, खाना कहां पर खाते हैं, ठहरते कहां पर हैं, ठीक है, इन सब की सरकार को जानकारी होनी चाहिये। स्पीकर साहब, हम दे । द्रोही नहीं हैं। हम जो कुछ कर हरे हैं। जो कुछ कह रहे हैं, वह इस दे । और हरियाणा प्रदे । के हित में ही तो कह रहे हैं। जिन लोगों ने इनको चुनकर भेजा है, उन्हीं लोगों ने हमें भी चुन कर भेजा है। यह बात दूसरी है कि ये लोगों की समस्या को अपनी सरकार के माध्यम से सुलझाते हैं लेकिन हम उनकी समस्याओं को

उजागर करते हैं। हमारे घर जला दिये जायें, हमारे साथ ज्यादती की जाये लेकिन क्या हम कहें भी नहीं ? यह तीन आदमी जो सस्पैंड किये गये हैं, यह तो कसूरवार ही नहीं है हमारे मुख्य मंत्री महोदय तो बेचारे इनते भारीफ और भले आदमी हैं कि कल जब उनको यह बताया गया कि दैनिक ट्रिब्यून और दे ए के सारे अखबारों में यह बात छपी हुई है कि सी0आई0डी0 के तीन आदमी सस्पैंड कर दिये गये हैं तो गृह मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री के पास जाकर उनके कान में यह बताया था कि सी0आई0डी0 तो आप के पास है। इसलिये बात मेरे ऊपर नहीं आती, बात आपके ऊपर आती है।

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत्ति सिंह): यह भी कोई बात है ? अध्यक्ष महोदय, यह कैसी बात कर रहे हैं, क्या इनको यह भांभा देता है ? (व्यवधान व भांर)

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाये ।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह इतना इम्पौटेंट इतना अहम और राजनैतिक मुददा है जिसका सीधा असर हरियाणा पर पड़ता है। (व्यवधान व भांर)

श्री अध्यक्ष : आप रैलवैन्ट बोलें ।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, अगर आप स्वयं संतुश्ट न हों तो आप मुझे बता दें अन्यथा मुझे बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष : अगर आप इस तरह से बात करते रहे तो प्वायंट पर आने के बाद आप कहेंगे कि अभी मुझे और बोलने दिया जाए।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, हम प्रजातन्त्र के लिए जीवन का बलिदान भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : भार्मा साहब, यहां पर जीवन का बलिदान करने की जरूरत नहीं है। आप प्वायंट पर आइए।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हम उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। सदन चला रहा है। तीन कर्मचारी स्पैंड हो गए। केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई। आज अखबारों में बस बातों की चर्चा है। कम से कम सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई। आज अखबारों में सब बातों की चर्चा है। कम से कम सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। गलती स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। गलती स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। छोटे से परिवार चलाने वालों में से अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो वह आदमी अपनी गलत मान लेता है। गलती को स्वीकार करने वाला बहादुर आदमी होता है। परन्तु गलती करते जाना और उसको न मानना और अगर कोई उस गलती को बताए तो उस पर आरोप लगाते जाना कोई अच्छी बात नहीं है। स्पीकर साहब, कल के समाचार पत्रों ने एक जिम्मेदार प्रैस ने बहुत बड़ा आर्टिकल छापा

था कि दिल्ली में गुप्तचर विभाग पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है। स्पीकर साहब, गुप्तचर विभाग हर सरकार का होता है और यह ₹०आई०डी० करता है लेकिन यह नहीं होता कि किसी सिपाही को मरवा दिया जाए किसी छोटे कर्मचारी को सस्पैंड कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह घटना बहुत छोटी सी है, लेकिन छोटी से घटना हरियाणा के मौजूदा प्रभासन पर एक बहुत बड़ा दाग लगा गई है। पिछले डेढ़ साल से जो चल रहा था, उससे हरियाणा का कीर्तिमान गिरा है। लोगों का कत्ल हो रहा है। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मेहम में आठ लोग मारे गए, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अमीर सिंह मारा जाए, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। दूसरे और लोग मारे जाएं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उस समय जो गृह मन्त्री थे, उनके खिलाफ ₹०आई०आर० दर्ज है। उस पर कोई ऐक न नहीं। हरियाणा के उस समय के मुख्य मंत्री के खिलाफ ₹०आई०आर० दर्ज है लेकिन कोई ऐक न नहीं हुआ। पुलिस पर हरियाणा में बड़ा भारी खर्च हो रहा है। हमारी पुलिस में बहुत अच्छे औफिसर्ज हैं, बहुत अच्छे बहादुर सिपाही हैं लेकिन हमारी पुलिस में बड़ा असंतोश है। स्पीकर साहब, 28 फरवरी को मेहम में गृह मन्त्री का घोराव किया गया। दिलावर सिंह का बयान है कि हम से गलत डयूटी करवाई जाती हैं। स्पीकर साहब, अगर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे, तभी उसे गलत और सही बात का पता लगता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री ने इस जघन्य वारदात के लिए और इसकी

जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए, दे आ की मर्यादा रखते हुए, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं तो कहता हूं कि इनको भी अपना कसूर स्वीकार करना चाहिए। स्पीकर साहब, जब हम इस्तीफा की बात करते हैं, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है लेकिन हम किसी से दबेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष : भार्मा साहब, यहां दबने दबाने की तो कोई बात नहीं है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इस कांड की ज्यादा जिम्मेदारी तो सरकार पर है और इस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्पीकर साहब, इससे बड़ा अपराध हिन्दुस्तान की राजनीति में कोई नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहकर अपना स्थान लेता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो यह गुप्तचरी का काम दिल्ली में बहुत पहले से हो रहा है। केवल हरियाणा ही यह काम नहीं करता बल्कि दूसरे राज्यों के गुप्तचर विभाग भी यह काम करते हैं। बहुत पहले बहुगुणा जी के घर भी कुछ लोग पकड़े गए थे। इन्दिरा गांधी के घर भी कुछ लोग पकड़े गए थे और इस बारे में अखबारों में भी चर्चा आई थी। (गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह आज का सबसे ताजा उदाहरण है कि राजीव गांधी के निवास स्थान पर गुप्तचार विभाग के दो आदमियों को देखा

गया। मैं तो यह कहूँगा कि गुप्तचर विभाग का काम केवल हरियाणा तक ही सीमित नहीं रह गया है, मन्त्रियों के साथ जो गनमैन सी0आई0डी0 के तैनात होते हैं, घरों में वे भी जासूसी का काम करते होंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने भी भायद देखा होगा कि जब गवर्नर महोदय इस सदन में अपना अभिभाशण पढ़ने आये थे, तो ए0डी0सी0 के स्थान पर डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) विराजमान थे। तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह सदन भी जासूसी से नहीं बचा हुआ है जो कि बहुत ही गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली में इस प्रकार का अमला तैयार किया गया, उस वक्त दो तीन कर्मचारी सी0आई0डी0 के पकड़े गए, इस बात से मुख्य मंत्री महोदय इन्कार नहीं कर सकते और न ही वे इस बात से बरी हो सकते हैं। वे अपने आपको लोहियावादी कहते हैं, बड़े भारी समाजवादी कहलाते हैं। श्री गुलजारी लाल नन्दा, श्री लाल बहादुर भास्त्री व श्री चन्द्र और जी भी समाजवादी थे, उन्होंने भी नैतिकता के आधार पर अपनी गलती को माना था और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली थीं इसी प्रकार से अगर मुख्य मंत्री महोदय को इस सारे कांड की जानकारी नहीं थी तो वे गुनाहगार हैं इसलिए इस सूरत में उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। समाजवादी होने के नाते उन्हें अपने आप ही एक मिनट में अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अगर उनको जानकारी थी और

वे कुछ कर नहीं सके तो वे अयोग्य हैं। इस आधार पर भी उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिये। अगर वे अपने आप त्याग पत्र न दें तो राज्यपाल महोदय को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिये। (और एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं क्या बताऊं कि सी0आई0डी0 और पुलिस जो है, वह राजनीति का अपराधीकरण करने का एक संगठन बना हुआ है। जो असली अपराधी होता है, उसको पुलिस हाथ नहीं लगाती। मैं आपको मेहम और भिवानी में हुए कत्लों की याद दिलाना चाहता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता पर इतना अब य कहूँगा कि जिन बड़े लोगों का नाम धारा 302 के तहत कत्ल के मुकदमों में एफ0आई0आर0 में दर्ज है, उनको आज तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। वे राज कर रहे हैं। अगर हम उन केसिज में जांच की बात कहते हैं तो सरकार कह देती है कि हां जांच करेंगे। इनको तो तब पता चलेगा जब ये लोग चुनाव के दिनों में लोगों के सामने जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, चौधारी देवी लाल जी जिनको हम दे त व प्रदे त के नेता मानते हैं, उन्होंने भी कहा कि यह सारा काम चौधारी भजन लाल का ही है। वहीं यह काम करवा रहा है। चौधारी देवी लाल जी की बात तो मुख्य मंत्री महोदय, व गृह मंत्री महोदय मानते होंगे, वे तो गैर जिम्मेवारी की बात नहीं कर सकते। अगर इस बात का भी चौधारी हुकम सिंह जी को पता नीं तो भी उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिये। (और एवं व्यवधान) मिनट भी उन्हें अपने पद पर नहीं रहना

चाहिये। (ओर एवं व्यवधान) भारीफ तो भी होती है जिधर मरजी हांक लो। (ओर)

श्री अध्यक्षः यह भाब्द रिकार्ड न किया जाए।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं उस बारे में नहीं कह रहा। हमारे मुख्य मंत्री जो बहुत भले आदमी हैं और गऊ जैसे आदमी हैं, इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि हेगडे साहब जब कर्नाटक के मुख्य मंत्री थे, उस वक्त टैलीफोन टेप करने का मामला आया था। वह मामला साबित हुआ या न हुआ लेकिन उन्होंने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया था। मैं इनकी एक बात को ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनको यहां पर कोई डी0जी0पी0 नहीं मिला और दूसरे प्रदे । से लाना पड़ा। इनको अपनी पुलिस और एडमिनिस्ट्रे । न पर इतना अवि वास हो गया है कि हरियाणा सर्विसिज के आदमी को नहीं लगा सके। अगर इनको उन पर इतना अवि वास हो गया है तो उनकी यहां से छुटटी कर देनी चाहिए। यह प्रजातन्त्र में एक बहुत जघन्य अपराध है। जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसकी जिम्मेदारी या मुख्यमंत्री की है या गृह मन्त्री की है। इसलिए मैं इनसे कहूंगा कि ये चुपचाप चले जाएं तो इसी में इनका भला है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार के इस भार्मनाक कार्य का तीन दिन से

दें तो में भाओर मचा हुआ है और हरियाणा विधान सभा में भी पिछले दो दिन से इतना क्षोभ और आक्रोश है कि कोई कार्यवाही संभव नहीं हो सकी, इस भार्मनामक कार्य के कारण। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि मैं कल लगभग सारा दिन ही सदन में उपस्थित था लेकिन मेरे जाने के कुछ देर बाद एक आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। सत्ता पक्ष की एक सुनियोजित साजि तो है कि विपक्ष के एक एक आदमी के खिलाफ आरोप लगाये जायें। राम बिलास भार्मा जी के खिलाफ आरोप लगाये गये। विपक्ष के नेता चौधरी सूरज भान जी के खिलाफ आरोप लगाये गये। इसी प्रकार से चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के खिलाफ भी आरोप लगाये गये।

मैं अपनी बात पर ही आ रहा हूँ। मैं यह कहता हूँ कि मेरे बारे में जो कुछ इन्होंने कहा है, यह बिल्कुल निराधार है, गलत है, और बेबुनियाद है कि किसी व्यक्ति से पैसे लेकर मैंने लाईसैंस दिया ही। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ। मैं इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वे एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दें। जब से यह सरकार बनी है तब से लेकर आज तक के सारे कालोनाईजे तन के और सारे हुडडा के मामले की वह थोरो इंक्वायरी करे। उसमें जो जो भी दोशी पाया जाये, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें। मैं इस बात का चैलेंज स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ। मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं इनका चुनाव घोशणा पत्र जो है, उसके

अनुसार ये लोकायुक्त द्वारा जांच की घोशणा कर दें। मेरे मामले भी और दूसरे सारे मामले भी सारे इसके सुपुर्द कर दें और यह देखें कि इस हमास में कौन कौन नंगे हैं। इस किस्म के झूठे और निराधार आरोप लगा कर यह हमारी जुबान को बन्द करना चाहते हैं। यह जांच की घोशणा कर दें। लोकायुक्त नियुक्त कर दें। इसके अन्दर सारे मामले वीरेन्द्र सिंह जी का मामला सूरजभान जी का मामला भी और सारे मामले लोकायुक्त को सुपुर्द करें और देखें कि कौन कितने पानी में है। यह सारा पता लग जायेगा।

(व्यवधान व भाओर)

अभी गुप्ता जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोटि । की है या तो कहते कि मैंने वह लाईसेंस नहीं दिया या फिर अपनी इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते, लेकिन इस तरह से इन्होंने नहीं किया। आज भी वह ऐलीगे न स्टैण्ड करता है जिसको हम सही मानते हैं। जैसे इन्होंने स्थिति स्पष्ट की है, उससे कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। (व्यवधान व भाओर) फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में किसी कालोनी के विशेष आदमी को इन्होंने 450 एकड़ जमीन के लाईसेंस की रिन्युअल दी। ये खुद कहें कि मैंने रिन्युअल नहीं दी। स्पीकर साहब, इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। ये एक दफा अपनी जबान से कहें कि मैंने रिन्युअल नहीं दी।

(गोर एवं व्यवधान)

यह सारा केस फाइल पर मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, जिसको भी लाईसेंस दिया गया है वह सारा मामला फाइल पर

मौजूद है। सारा रिकार्ड इनके पास है। ये खुद इसकी इंक्वायरी कर लें और इंक्वायरी करने के बाद ये खुद बता दें। (गोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे। मैंने यह कहा था कि अनंगपुर गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम आर० कान्त है को, मुझे पता नहीं कि उस व्यक्ति का गुप्ता जी सरकार से क्या संबंध रहा था, 400 एकड़ जमीन पर कब्जा कराया था। उपाध्यक्ष महोदय, एक नम्बर पर कहा गया कि हरियाणा में श्री जैन द्वारा प्रस्तावित मनोरंजन पार्क की लागत लगभग 100–150 करोड़ रुपए की होगी। यह पार्क वि विख्यात डिजनी लैंड अमरीका की तरह का होगा। (विधन) आप एक मिनट सुनने की कृपा करें आपकी पार्टी भी इसमें आएगी। मैं रिकार्ड की बात बता रहा हूं आप सुनने की कृपा करें। यह सीरियस मैटर है, चौधरी बंसी लाल जी ने डिनाई किया है। फिर सी में कहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए 500 एकड़ जमीन देने के लिए यू०पी० सरकार से अनुरोध किया गया था और यू०पी० सरकार ने उन्हें इतनी जमीन दिल्ली यू०पी० बौर्डर के पास रिजर्व भी कर दी है। फिर आगे डी में क्या कहते हैं? श्री जैन ने इस विशय में भारत सरकार से भी विचार विमां किया है तथा भारत सरकार के पर्यटन सचिव ने इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए सभी सम्भव सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है। श्री बनारसी दास जी ने जाने से एक दिन पहले उस कालोनाईजर को लाईसेंस

दिया। (गोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, टम्ज एण्ड कंडी अन दो साल की थी लेकिन उनको बदल कर गुप्ता जी ने पांच साल किया जबकि वह केस कोर्ट में है।

मेरा व्यवस्था का प्र न है जिस पर हरेक को बोलने की इजाजत दी जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रोजैक्ट के लिए विदे फि सेवा प्राप्त करने के लिए विचार विम फ चल रहा है जिसको सम्भवतः भीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। आगे श्री जैन ने यह भी अनुरोध किया कि वे इस प्रोजैक्ट को हरियाणा में फरीदाबाद के निकट लगाना चाहेंगे जिसके लिए उनके पुत्र नरेन्द्र जैन ने एक प्रस्ताव औपचारिक तौर से सचिव पर्यटन को पहले ही भेज दिया है। (गोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि अगर सारे मामले की जांच करवादें तो बहुत कलई खुल जाएगी। अगर इन हालात में इलैक अन हुए तो दे ता की आम जनता पर बहुत बोझ पड़ेगा और दे ता की आर्थिक व्यवस्था गडबडा जाएगी।

श्री महा सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले तो इनके नेता यह कह रहे थे कि दे ता में चुनाव का माहौल नहीं है और अब ये कह रहे हैं कि चुनाव करा लिए जाएं। (गोर)

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः मैं यह कह रहा था कि उस समय दे । मैं चुनाव का माहौल नहीं था। अगर चुनाव होते तो दे । की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती (ओर) पिछले एक डेढ़ साल का जो समय है, उसमें महंगाई पहले से डेढ़ गुना बढ़ी है, हमारी सरकार ने शिक्षा के मामले में सचमुच में सराहनीय कार्य किया है और कर रही है। इसमें बहुत कानूनी पहलू हैं। मुत्तरका मालिकान की जमीन पंचायत के नाम से ट्रांसफर करवा दी और वह जमीन पंचायत से आगे बिक गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात की तह में जाएंगे ।

स्पीकर साहब, सदन में इस बात का भी जिक्र आया कि स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। अध्यापकों के पांच हजार पद खाली पड़े हैं। मैं हाउस को वि वास दिलाता हूं कि हम अध्यापकों के खाली पड़े पदों को बहुत जल्दी भरेंगे। जिस स्कूल में भी टीचर्ज की कमी है उस कमी को पूरा कर देंगे। एक बात स्कूलों को अपग्रेड करने के बारे में कही गई। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार जाते जाते एक बड़ी भारी गलत बात कर गई। बजट में पैसा नहीं है। बहुत मामूली पैसा है। उस सरकार ने वोट लेने के लिए स्कूल अपग्रेड कर दिए। पिछली सरकार ने जाते जाते 350 स्कूल अपग्रेड करने के आर्डर कर दिए। वह आर्डर हमें आकर रद्द करने पड़े। उस सरकार ने यह नहीं देखा कि बिल्डिंग है या नहीं है। जब कोई स्कूल अपग्रेड किया जाता है तो वह नौम्ज के मुताबिक अपग्रेड किया जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इन स्कूलों को

अपग्रेड करके इन्हें सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाया जाए। इसके साथ साथ मैं टैक्नीकल एक्षा के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने भी नौम्ज एक मुताबिक ही स्कूल अपग्रेड किए थे और वह आर्डर लागू भी हो गए थे। मैं इस सरकार से कहता हूं कि पिछली सरकार ने जो कोई स्कीम बनाई उसको मिटाओ नहीं। आपने तो आते ही मलियामेट कर दिया। आपने पिछली सरकार की स्कीमों के बारे में यह फैसला कर लिया है कि उन सभी स्कीमों को मिटा दो। मैं जानना चाहता हूं कि जो इंजीनियरिंग कालेज गुडगांव में खुलना था उसे कब तक खोलने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके पद पर रहते हुए सही जांच की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा सरकार को फिर सुझाव है कि वह अपने दायित्व को समझते हुए त्याग पत्र दे। इतनी बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान लेता हूं।

कामरेड हरपाल सिंह (टोहाना): स्पीकर साहब, इस महत्वपूर्ण सवाल पर कल से जोरों से चर्चा चल रही है। स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद और चुनावों के बाद कुछ परम्पराएं खड़ी की गई हैं, चाहे वे विधान सभाओं में खड़ी की गई हों या पार्लियामेंट में खड़ी की गई हैं, चाहे न्यायपालिका साईड में या कार्यपालिका साईड में खड़ी की हों मेरे कहने का मतलब यह है कि हर क्षेत्र में अच्छी अच्छी परम्पराएं खड़ी की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कृषि उद्योग निगम तथा हैफेड द्वारा

बनाई गई आईसोप्रोटूरान खरपतवार ना तक दवाई किसानों को प्राथमिक कृशि सहकारी समितियों (मिनी बैंकों) हरियाणा भूमि सुधार निगम, हरियाणा बीज विकास निगम, हरियाणा कृशि उद्योग निगम और सहकारी विपणन समितियों के द्वारा अनुदान पर बेची गई। कुल 900 मी0 टन आईसोप्रोटूरान संस्थागत समितियों व खुले बाजार के माध्यम से वितरित की गई। इस प्रकार इस वर्ष खरपतवार ना तक दवाई की कोई कमी नहीं आई।

बनाई गई खरपतवार ना तक दवाई की गुणवता को बनाये रखने के लिये हरियाणा कृशि उद्योग निगम ने 690 नमूने और हैफेड ने 430 नमूने लेकर अपनी प्रयोग गाला में इनको वि लेशण किया। कृशि विभाग ने भी हरियाणा कृशि उद्योग निगम व हैफेड की फैक्ट्रीयों से 28 नमूने (हरियाणा कृशि उद्योग निगम से 15 व हैफेड से 13) लिये। इन दोनों संस्थाओं के सभी नमूने सही पाये गये। इसके अतिरिक्त कृशि विभाग ने एक अभियान चलाकर 122 नमूने सहकारी समितियों व प्राईवेट ट्रेड के द्वारा भण्डारण की गई खरपतवार ना तक दवाई में से लिये गये। हैफेड और हरियाणा कृशि उद्योग निगम की फैक्ट्रीयों से लिये गये सभी नमूने सही पाये गये, केवल प्राईवेट ट्रेड के 6 नमूने निम्न स्तर के पाये गये। दोशी पाई गई सभी पार्टियों के खिलाफ मुकदमें दायर करने की कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

हरियाणा कृशि उद्योग निगम द्वारा बनाई गई खरपतवार ना तक दवाई की कम क्रिया गिलता के बारे में अम्बाला, करनला,

कुरुक्षेत्र तथा कैथल जिलों के किसानों से केवल 8 फीट कायतें प्राप्त हुई थी। इन फीट कायतों को कृषि विभाग और हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अधिकारियों द्वारा मौके पर देखे जाने पर पाया कि खरपतवार ना तक दवाई की क्रिया नीलता गुणवत्ता की कमी से नहीं, बल्कि इस खरपतवार ना तक दवाई की तकनीकी ढंग से प्रयोग न करने के कारण हैं कुछ केसों में खरपतरवार ना तक दवाई को कम मात्रा में डाला गया व कुछ केसों में खरपतवार ना तक दवाई को सूखे खेतों में प्रयोग किया गया व कुछ खेतों में धान की पराली को जलाये जाने के बाद इस्तेमाल किया गया।

अतः यह सही नहीं है कि खरपतवार का सही ढंग से नियन्त्रण नहीं हुआ है, और इसका गेहूं की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं इस महान सदन को यह वि वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार के प्रयत्नों से सभी जरूरी कृषि सामग्री जैसे उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, खरपतवार ना तक दवाई व बिजली व नहर के पानी की समय पर आपूर्ति किये जाने से इस वर्ष हरियाणा के किसानों द्वारा गेहूं की रिकार्ड उपज लेने की सम्भावना है। यही कारण है कि वे दवाओं का सही उपयोग नहीं कर पाते। मैं आदरणीय मन्त्री जी से आपके द्वारा यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस ओर तवज्ज्ञों दे रही है और किसानों को कोई ट्रेनिंग वगैरा दी जा रही है जिससे कि इस प्रकार की समस्या पैदा न हो और किसानों को दवाई की सही जानकारी

मिल सके और वे उसकी तकनीक भी जान सकें कि किस समय किस दवाई का उपयोग किया जाना चाहिए ? जब भी कोई नमूना फेल पाया जाता है तो प्रोसिक्यू अन की इजाजत ली जाती है और हम इजाजत देते हैं फील्ड अफसरों को कि केस प्रोसिक्यूट करें। जिन लोगों के नमूने फेल हुए हैं उनमें से कुछ के खिलाफ कार्यवाही की गई है और कुछ के विरुद्ध कार्यवाही हो जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। स्पीकर साहब, यह बड़े अफसोस की बात है कि इस प्रकार की घटनाएं हरियाणा प्रदेश में हो रही हैं। पिछले 3 दिन से सीआईडी के मामले को लेकर विपक्ष काफी भाओर मचा रहा है। पता नहीं कब से किन किन लोगों की सीआईडी करवाई जा रही होगी ? (विधन) हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो कर रहित बजट पेट किया है उसके लिए मैं इन्हें मुबारकवाद देता हूँ। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उसके बारे में हाउस के सभी साथी अच्छी प्रकार से जानते हैं। कांग्रेस के समय में बिजली की क्या हालत थी और अब क्या हालत है इसका भी सभी को अच्छी तरह से पता है। इस समय किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। सरकार की जो सही बात है उसे सभी को मान लेना चाहिए। अगर किसी बात पर कोई कमी सरकार की तरफ से रह गई है तो उसे भी सरकार ठीक करने के लिए तैयार है। बिजली के मामले में आज हमारे गांवों की हालत पहले की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय नेता चौधरी देवी लाल जी ने कर्जा माफी करने की घोशणा करके एक मिसाल सारे हिन्दुस्तान में कायम की और 266

करोड रुपये के कर्जे करीब 10.50 लाख लोगों के माफ हुए। इसी तरह से हमारी सरकार ने लोगों को बुढ़ापा पैं अन देना भुरु किया है और किसानों की जिन्सों के भाव पहले से अधिक दिए हैं। हरिजन महिलाओं को पहला और दूसरा बच्चा होने पर 300 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार से हरिजन चौपालें हर गांव में बनाई जा रही हैं और लड़कों के स्कूलों के लिये डबल मैचिंग ग्रान्ट और लड़कियों के स्कूलों के लिये तीन गुणा मैचिंग ग्रान्ट सरकार की तरफ से दी जाती है। इसी प्रकार से सरकार इस बात के लिये भी प्रांसा की पात्र है कि ओला वृश्टि से हुए नुकसान का मुआवजा अब किसानों को मिलने लगा है। यह काम आज से पहले किसी सरकार ने भुरु नहीं किया था। इस सारे काम का श्रेय चौधारी देवी लाल जी को जाता है। जो भी काम हुए हैं मैं समझता हूं कि उसका ठीक प्रकार से प्रचार नहीं हुआ और सरकार को जो या अपने कामों का मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा। या तो पब्लिक रिले अन डिपार्टमेंट की तरफ से ठीक प्रचार नहीं हुआ या हमारी आपसी तालमेल की कमी रही है। जिसकी वजह से हमारी सारी स्कीमों की जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। हम जो पब्लिक के नुमाइन्दे हैं अगर हम सभी पब्लिक के साथ इन टच रहे तो अच्छा है।

Mr. Speaker: Comrade Sahib, this is not the way.
You please take your seat.

कामरेड हरपाल सिंह: यह थोड़ा समय कल ले लेंगे।

Mr. Speaker: Comrade Sahib, I am very sorry, I would not permit you to speak like this. Please take your seat. I have already called upon Dr. Harnam Singh. He may please proceed.

डॉ हरनाम सिंह (गाहबाद): स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार द्वारा श्री राजीव गांधी की जासूसी का मामला जो नोटिस में आया है, उस मामले में तीन आदमियों को सख्ती से बदला दिया गया है। स्पीकर साहब, मैं इस बारे में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं पहली बात यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रायंट पर कोई डिस्प्यूट नहीं है स्पीकर साहब जहां आठ लाख लोगों को पैन-अन मिल रही हो, जहां इतने लोगों की संख्या इनवौल्व हो, वहां तो आप खुद जानते हैं कि अगर एक परस्ट्रेंट भी ऐरर मानेंगे तो उसमें भी कितने आदमी आ जाते हैं लेकिन सरकार बाकायदा हर साल उसकी इन्कवारी करवाती थी और जब ऐसे नामों का सबूत मिल जाता था तो उनका नाम डिलीट भी किया जाता था। ऐसी कोई बात नहीं कि हम कोई नई बात कर रहे हैं, इतने लाखों लोगों में गलतियां रह जाती हैं। यदि कोई अफसर गलती कर देता था या कोई दूसरा कर्मचारी गलती कर देता था तो नोटिस में आने के बाद गलत आदमी का नाम डिलीट कर देते थे।

सवाल तो नीयत का है, गलती तो हो सकती है। मेरे से भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है। सवाल तो यह है कि इनकी नीयत कैसी थी, मरे हुए लोगों की पैन-अन लेते रहे

हैं। गलती से तो एक बार कोई दूसरा आदमी ले जा सकता है लेकिन तीन साल लगातार लेते रहे।

यह तो मरे हुए की बात बता कर मैंने एक जगह की मिसाल दी है। इसके अलावा कितने कम उमर के लोग पैन टन ले रहे हैं और जो सही पात्र हैं उनको मिलती नहीं है। हम भानदार तरीके से एक सही सिस्टम बनाएंगे जिससे कि पैन टन के हकदार को ही पैन टन मिलें। आपने उमर के हिसाब से कहा कि हमने सब को पैन टन दे दी। तो क्या उनको मिलनी चाहिए? मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या हमको पैन टन मिलनी चाहिए? पैन टन गरीब आदमियों को मिलनी चाहिए जिनके पास साधन नहीं हैं जो जरूरत मन्द हैं और जिनका कोई हीला नहीं है। गरीब आदमी हरिजन हैं, बैकवर्ड हैं और दूसरे भाई छोटे छोटे जमींदार हैं। गरीब आदमी को पैन टन मिलनी चाहिए। क्या बड़े आदमी उस पैन टन को लेंगे? हम दोबारा से ऐप्लीके टंज इनवाइट करेंगे और लोगों के घरों पर फार्म पहुंचाएंगे। कोई प्रौब्लम नहीं होने देंगे और पिछली की हम जांच करेंगे। जिस अधिकारी ने गलत पैन टन दी है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। गलत पैन को काट कर सही आदमी को देंगे। उसकी एक पौलिसी और नौर्म बनाएंगे। जिनको यह मिलनी चाहिये उनको देंगे ताकि आम आदमी और गरीब आदमी की पैन टन मिल सके।

हाउस के लीडर कह रहे हैं कि हम आर्थिक आधार पर पैन टन करने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, एक आदमी जो 60, 65

या 70 साल का हो चुका है और कहीं अगर ये उसकी पैन न को उसके परिवार का आर्थिक आधार करेंगे तो यह उसके साथ ना इन्साफी होगी। (विधन) उसकी अपनी इंडिविजुअल इंकम को यदि आधार मानोगे तब तो ठीक है वरना चाहे कोई आई0ए0एस0 क्यों न हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ने हो उसका बाप भी अगर अपने तौर पर ऐलीजीबल है तो उसको पैन न देनी चाहिए। स्पीकर साहब, सवाल सम्मान देने का है। आज कल ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके पेरैंट्स अलग हैं। तो उन बूढ़ों का इंडिविजुअल आधार मानना चाहिए न कि उसके परिवार वालों का। हम 60 साल की आयु के बुजुर्ग को पैन देंगे और उसको तब तक पैन देंगे जब तक वह बुजुर्ग जिन्दा रहे। हम 100 रुपया महीना देंगे और चौधरी देवी लाल की तरह 10 परसेंट वापिस नहीं लेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरकार आम आदमी को दी गई पैन का 10 परसेंट सरकारी खजाने का पैसा वापिस ले ले ? चौधरी देवी लाल कहते थे कि मैं आपके पास 100 रुपये भेज रहा हूं इसमें से 10 रुपए आप मेरे पास भेज देना। यह बात आपके सामने है कोई गलत बात तो है नहीं। क्या सरकारी खजाने से कोई आदमी इस तरह से पैसा ले सकता है ? कोई आदमी पार्टी का पैसा दे करके तो कह सकता है भाई यह पार्टी का पैसा है पार्टी को वापिस करना है। यदि यह इतना आसान काम होता तो इन्होंने 8 महीने क्यों गुजारे ? हम इसको दोबारा से देखेंगे और हर महीने की 7 तारीख को पैन देंगे। जो आदमी पैन का हकदार है, पात्र है उसी को देंगे। अगर पिछली पैन बकाया

रहती है तो वह भी देंगे लेकिन हम सही तरीके से जांच करेंगे कि जो आदमी पैं अन ले रहा है वह जिन्दा है या नहीं है या 60 साल की आयु का है या नहीं है। यह जांच तो हम करेंगे

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के मुख्य मंत्री की अयोग्यता सिछ हो गई है इसलिए इनको इस सवाल पर इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, हिसार में कुछ गुण्डों द्वारा हमारी पार्टी के ऑफिस पर हमला हुआ है और इस बारे में मैंने कालिंग अटैं अन मो अन का नोटिस दिया था, उसका क्या बना ? (विघ्न)

Mr. Speaker: I have not received it as yet. जब वह मेरे पास आएगी मैं तभी उस पर कोई फैसला दूँगा।

कामरेड हरपाल सिंह: मैंने वह सुबह ही दी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: हरपाल जी, वह लेबरज द्वारा सम्बन्धित है, पार्टी के ऑफिस पर हमले के बारे में नहीं है। (विघ्न) That is not the case. Do not twist the matter and take your seat please.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात भी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी, क्या आप बजट पर बोलना चाहते हैं ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी प्रार्थना तो सुनिये। मैंने बजट पर बोलना है या नहीं बोलना है, इसे आप छोड़िये। (विधन एवं भाओर)

श्री उदय भान: गुप्ता जी, आप बैठिये मैं सारी बात स्पष्ट कर दूँगा।

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरे साथ यह बहुत ज्यादती है मेरे खिलाफ पहले भी आरोप लगाए गए थे लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया अब फिर मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए हैं लेकिन आप मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेने औन के लिए समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी, दुख की बात तो यह है कि आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। Would you please tell me whether you are speaking on budget or not ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, मैं बजट पर नहीं बोल रहा हूँ। (विधन एवं भाओर)

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, आप मेरी बात भी तो सुनिये। (विधन)

Mr. Speaker: Comrade Sahib, I would not permit you. It is altogether irrelevant. You please take your seat. (Interruptions).

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, भटटा मजदूरों की स्ट्राईक के बारे में हमने एक कालिंग अटै अन सो अन दी थी जिसकी वजह से जैसा हरपाल सिंह जी ने कहा है कि सी०पी०एम० के ऑफिस पर हमला हुआ है। क्या आप बताएंगे कि हमारे उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या बना ? (विध्न एवं भाओर)

Mr. Speaker: Arya Ji, this is not the way. Please take your seat. I would not permit you to speak like this and I cannot run the House in this manner.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरी एक रिक्वैस्ट है।

Mr. Speaker: There is no question of request. You are addressing me and seeing towards the press gallery. There is only one issue regarding unrest and beating of labourers which is under my consideration. No other issue is pending with me.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इस बारे में मुझे अभी टेलीग्राम मिला है और मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ।

Mr. Speaker: If you have received a telegram just now, you give a notice. It is most irrelevant to raise a matter like this. Please take your seat.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ यह बड़ा भारी अन्याय है। (विध्न) स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी भी यहां

पर विराजमान हैं। इन लोगों ने जब इल्जाम लगाए हैं तो उसका जवाब भी तो सुनें। (विध्न)

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री भागी राम): स्पीकर साहब, इन्होंने भी तो हम पर इल्जाम लगाए हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: मैंने अगर कोई आरोप लगाया है तो उसका जवाब दें ताकि स्थिति स्पष्ट हो। इनको कौन रोकता है ? (व्यवधान व भाओर) समय देने वाले तो स्पीकर साहब, आप हैं। मैं तो नहीं हूं। मेरी प्रार्थना यह है कि पहले तो यह कोई प्र न ही उत्पन्न नहीं होता कि मैं बजट पर बोलूंगा या नहीं बोलूंगा क्योंकि पर्सनल ऐक्सप्लेने अन के लिए अलग से प्रावधान है। (व्यवधान व भाओर)

Mr. Speaker: I am not going to hear it. I want to say that you can clarify your position in your budget speech and if you have not to speak on the budget then you can clarify it now.

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या यह पाबन्दी है ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर सर, यह तो चेयर को चैलैंज करने की बात है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, अगर आप मेरे ऊपर पाबन्दी लगाते हैं तो मैं बजट पर नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्षः यह पाबन्दी तो नहीं है। मेरा मतलब यह था कि अगर आपने बजट पर बोलना है तो you can clarify your position in your speech.

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, बजट पर तो बजट की ही बातें होती हैं। यह सारी बातें नहीं हीती हैं। लेकिन मैं बजट पर नहीं बोलूँगा। (व्यवधान व भाओर)

Mr. Speaker: All right. Please finish it within two minutes. (Interruptions & Noise)

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी): स्पीकर साहब, औन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेने ठन। मेरी प्रार्थना यह है कि मैं कल लगभग सारा दिन ही सदन में उपस्थित था लेकिन मेरे जाने के कुछ देर बाद एक आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। सत्ता पक्ष की एक सुनियोजित साजि ठ है कि विपक्ष के एक एक आदमी के खिलाफ आरोप लगाये जायें। राम बिलास भार्मा जी के खिलाफ आरोप लगाये गये। विपक्ष के नेता चौधरी सूरज भान जी के खिलाफ आरोप लगाये गये। इसी प्रकार से चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के खिलाफ भी आरोप लगाये गये।

Mr. Speaker: This is not the way and I won't permit it. आप केवल अपनी बात करें!

श्री बनारसी दास गुप्ता : स्पीकर साहब, मैं अपनी बात पर ही आ रहा हूँ। मैं यह कहता हूँ कि मेरे बारे में जो कुछ इन्होंने कहा है, यह बिल्कुल निराधार है, गलत है, और बेबुनियाद

है कि किसी व्यक्ति से पैसे लेकर मैंने लाईसैंस दिया ही। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं। मैं इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे एक इंक्वायरी कमी न बिठा दें। जब से यह सरकार बनी है तब से लेकर आज तक के सारे कालोनाईजे न के और सारे हुडडा के मामले की वह थोरो इंक्वायरी करे। उसमें जो जो भी दोशी पाया जाये, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें। मैं इस बात का चैलेंज स्वीकार करता हूं। दूसरी बात मैं एक और कहता हूं। मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं इनका चुनाव धोशणा पत्र जो है, उसके अनुसार ये लोकायुक्त द्वारा जांच की धोशणा कर दें। मेरे मामले भी और दूसरे सारे मामले भी सारे इसके सुपुर्द कर दें और यह देखें कि इस हमाम में कौन कौन नंगे हैं। इस किस्म के झूठे और निराधार आरोप लगा कर यह हमारी जुबान को बन्द करना चाहते हैं। यह जांच की धोशणा कर दें। लोकायुक्त नियुक्त कर दें। इसके अन्दर सारे मामले वीरेन्द्र सिंह जी का मामला सूरजभान जी का मामला भी और सारे मामले लोकायुक्त को सुपुर्द करें और देखें कि कौन कितने पानी में है। यह सारा पता लग जायेगा। (व्यवधान व भाओर)

Mr. Speaker: Gupta Ji, this is not the way and I won't permit it.

श्री बनारसी दास गुप्ता : स्पीकर साहब, आप इनको सलाह दें कि ये कांच के मकान में बैठकर दूसरों के ऊपर पत्थर न फैंकें।

Mr. Speaker: Gupta Ji, please take your seat. You wanted to explain your position which you have done. (Interruptions).

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, अभी गुप्ता जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोर्ट तो कहते कि मैंने वह लाईसेंस नहीं दिया या फिर अपनी इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते, लेकिन इस तरह से इन्होंने नहीं किया। आज भी वह ऐलीगे अन स्टैण्ड करता है जिसको हम सही मानते हैं। जैसे इन्होंने स्थिति स्पष्ट की है, उससे कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। (व्यवधान व भाओर) फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में किसी कालोनी के विशेष आदमी को इन्होंने 450 एकड़ जमीन के लाईसेंस की रिन्युअल दी। ये खुद कहें कि मैंने रिन्युअल नहीं दी। स्पीकर साहब, इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। ये एक दफा अपनी जबान से कहें कि मैंने रिन्युअल नहीं दी। (गोर एवं व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ता : स्पीकर साहब, यह सारा केस फाइल पर मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, जिसको भी लाईसेंस दिया गया है वह सारा मामला फाइल पर मौजूद है। सारा रिकार्ड इनके पास है। ये खुद इसकी इंक्वायरी कर लें और इंक्वायरी करने के बाद ये खुद बता दें। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हम इनकी जबान से सुनना चाहते हैं कि इन्होंने अस्तीफा देने से एक दिन पहले रिन्युअल दी या नहीं दी ? ये खुद बताएं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ता : आप इंकवायरी करवा लें, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठें। अब 1991–92 के बजट पर जनरल डिस्क टन रिज्यूम होगी। कल हाउस ऐडजर्न होने के समय श्री उदयभान जी बोल रहे थे। वे कृपया कंटिन्यू करें।

श्री उदय भान : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद वाली जमीन के बारे में जो कुछ मैंने कहा था मैं उसको दोहराना चाहता हूं क्योंकि जिस समय मैंने यह बात कही थी उस समय आप यहां नहीं थे। (गोर एवं व्यवधान) (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे। मैंने यह कहा था कि अनंगपुर गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम आर० कान्त है को, मुझे पता नहीं कि उस व्यक्ति का गुप्ता जी सरकार से क्या संबंध रहा था, 400 एकड़ जमीन पर कब्जा कराया था। उपाध्यक्ष महोदय, एक नम्बर पर कहा गया कि हरियाणा में श्री जैन द्वारा प्रस्तावित मनोरंजन पार्क की लागत लगभग 100–150 करोड़ रुपए की होगी। यह पार्क वि व विख्यात डिजनी लैंड अमरीका की तरह का होगा। (विघ्न) आप एक मिनट सुनने की कृपा करें आपकी पार्टी भी इसमें आएगी। मैं रिकार्ड की बात बता रहा हूं आप सुनने की कृपा करें। यह सीरियस मैटर है, चौधारी बंसी लाल जी ने डिनाई किया है। फिर सी में कहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए 500 एकड़ जमीन देने के लिए यू०पी० सरकार से अनुरोध किया गया था और

यू०पी० सरकार ने उन्हें इतनी जमीन दिल्ली यू०पी० बौर्डर के पास रिजर्व भी कर दी है। फिर आगे डी में क्या कहते हैं? श्री जैन ने इस विशय में भारत सरकार से भी विचार विमां किया है तथा भारत सरकार के पर्यटन सचिव ने इस प्रोजैक्ट को लगाने के लिए सभी सम्भव सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है। श्री बनारसी दास जी ने जाने से एक दिन पहले उस कालोनाईजर को लाईसेंस दिया। (गोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, टर्म्ज एण्ड कंडी अन दो साल की थी लेकिन उनको बदल कर गुप्ता जी ने पांच साल किया जबकि वह केस कोर्ट में है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रान है जिस पर हरेक को बोलने की इजाजत दी जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रोजैक्ट के लिए विदेशी सेवा प्राप्त करने के लिए विचार विमां चल रहा है जिसको सम्भवतः भीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। आगे श्री जैन ने यह भी अनुरोध किया कि वे इस प्रोजैक्ट को हरियाणा में फरीदाबाद के निकट लगाना चाहेंगे जिसके लिए उनके पुत्र नरेन्द्र जैन ने एक प्रस्ताव औपचारिक तौर से सचिव पर्यटन को पहले ही भेज दिया है। (गोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि अगर सारे मामले की जांच करवा दें तो बहुत कलई खुल जाएगी। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: साहेबान, मैं सबसे यह रिकवैस्ट करूंगा कि इस हाउस की गरिमा को बनाये रखने के लिए भान्ति रखें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ): उपाध्यक्ष महोदय, भिवानी के अंदर वै य हाई स्कूल में मास्टर ने पढ़ाते हुए बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ कि गुप्ता काल का अन्त क्यों हुआ था ? इस पत्र में सरकार की सहमति देते हुए कहा गया कि सरकार अब य इस प्रकार के अम्यूजमैट पार्क बनाने में रुचि लेगी जिसका आपने जिक्र किया है। तो इस प्रकार की इनकी छवित लोगों में है। (गोर)

श्री उदय भान: उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने उपाध्यक्ष के मामले में सचमुच में सराहनीय कार्य किया है और कर रही है। इसमें बहुत कानूनी पहलू हैं। मु तरका मालिकान की जमीन पंचायत के नाम से ट्रांसफर करवा दी और वह जमीन पंचायत से आगे बिक गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात की तह में जाएंगे।

स्पीकर साहब, सदन में इस बात का भी जिक्र आया कि स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। अध्यापकों के पांच हजार पद खाली पड़े हैं। मैं हाउस को वि वास दिलाता हूं कि हम अध्यापकों के खाली पड़े पदों को बहुत जल्दी भरेंगे। जिस स्कूल में भी टीचर्ज की कमी है उस कमी को पूरा कर देंगे। एक बात स्कूलों को अपग्रेड करने के बारे में कही गई। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार जाते जाते एक बड़ी भारी गलत बात कर गई। बजट में पैसा नहीं है। बहुत मामूली पैसा है। उस सरकार ने वोट लेने के लिए स्कूल अपग्रेड कर दिए। पिछली सरकार ने जाते जाते 350 स्कूल अपग्रेड

करने के आर्डर कर दिए। वह आर्डर हमें आकर रद्द करने पड़े। उस सरकार ने यह नहीं देखा कि बिल्डिंग है या नहीं है। जब कोई स्कूल अपग्रेड किया जाता है तो वह नौम्ज के मुताबिक अपग्रेड किया जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इन स्कूलों को अपग्रेड करके इन्हें सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाया जाए। इसके साथ साथ मैं टैक्नीकल फाक्शा के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने भी नौम्ज के मुताबिक ही स्कूल अपग्रेड किए थे और वह आर्डर लागू भी हो गए थे। मैं इस सरकार से कहता हूं कि पिछली सरकार ने जो कोई स्कीम बनाई उसको मिटाओ नहीं। आपने तो आते ही मलियामेट कर दिया। आपने पिछली सरकार की स्कीमों के बारे में यह फैसला कर लिया है कि उन सभी स्कीमों को मिटा दो। मैं जानना चाहता हूं कि जो इंजीनियरिंग कालेज गुडगांव में खुलना था उसे कब तक खोलने जा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट स्पीच में ला एण्ड आर्डर के बारे में पेज 17 पर खास तौर पर कहा गया है। इस बात को हम जरूर देख लेंगे अगर बी0एस0एफ0 को कोई आपत्ति होगी तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और यदि चन्द्र और जी को कोई आपत्ति होगी तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। बी0एस0एफ0 को इतने साल में जब कोई रुकावट नहीं आई तो मैं समझता हूं कि आगे भी नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई ऐसी बात है तो उसको दिखा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई मुददे उठे। सबसे पहले मैं महम के बारे में जिकर करना चाहता हूं। जिन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हैं उनको सर्पेंड किया है। सर्पेंड ही नहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भुरु की है। चाहे वह भिवानी का इलैक तन कांड है, चाहे वह मेहम का कांड है, जिन अधिकारियों के खिलाफ किसी दफा के तहत केस दर्ज हुआ है, सबके खिलाफ पूरी जांच करके कानूनी कार्यवाही की जायेगी, उन सबके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। किसी को माफ करने का कोई सवाल ही नहीं। जहां तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है वह तो करेंगे ही लेकिन सियासी आदमियों को यदि छोड़ देंगे तो यह बात कोई अच्छी बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन किन के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हैं। ये एफ0आई0आर0 हमारे समय की नहीं, इनके समय की हैं। भिवानी में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, डी0आई0जी0 खान के खिलाफ। मुकदमा नं0 147 दिनांक 22-11-89 – 307 आई0पी0सी0। इसमें धर्मवीर के खिलाफ भी है। लाला के खिलाफ भी है। एस0ए0 खान के खिलाफ भी है। (विघ्न) दूसरा मुकदमा नं0 492 है। यह दिनांक 22-11-89 का है। इसमें धर्मवीर है, उसका भाई राजवीर है और डी0आई0जी0 खान है। एक मुकदमा नं0 493 है। दिनांक 22-11-89 का 302 का है। यह धारा 148, 149 का है। इसमें चौधरी बंसी लाल जी और सुरेन्द्र सिंह जी हैं। मुकदमा नं0 108-48 दिनांक 12-11-89। इसमें चौधरी बंसी लाल जी, महेन्द्र सिंह और सुरेन्द्र सिंह जी का

नाम हैं। इसके अलावा मेहम कांड में मुकदमा नं० 75 दिनांक 1-3-90 है धारा 436, 342, 148, 149 और 427 आईपी0सी0। इसमें दोशी हैं महेन्द्र सिंह लाठर, सम्पत्ति सिंह, जयप्रकाश और श्री सुखदेव राज डी0एस0पी0। जिनके नाम एफ0आई0आर0 में दर्ज हैं। ये एफ0आई0आर0 उस समय की है जब ये गृह मंत्री थे। मेरे टाईम की नहीं है। फिर मुकदमा नं० 76 दिनांक 3-1-90 है जो जेरे दफा 302, 307, 149 और 148 है। इसमें अभय सिंह पुत्र ओम प्रकाश चौटाला, भाम और सिंह, डी0आई0जी0, सुखदेव राज डी0एस0पी0। मुकदमा नं० 164 दिनांक 8-7-90 जेरे दफा 302, 307 और 120बी के तहत है। इसमें ओम प्रकाश चौटाला, वाई0एस0नकई, करतार सिंह तोमर, जिले सिंह, बीर सिंह डी0एस0पी0 और ओम प्रकाश इन्सपैक्टर तथा प्रेम सिंह सब इन्सपैक्टर हैं। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सरकारी ऑफिसर को तो एक मिनट में सस्पैंड कर दें और उनके खिलाफ कार्यवाही कर दें और सियासी आदमियों को यदि छोड़ दें क्योंकि वह सियासी आदमी हैं तो ठीक नहीं है। जहां तक कानून इजाजत देगा हम उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे लेकिन जो लोग कानून की गिरफत में आएंगे चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसको माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 22 तारीख को जो मुकदमा दर्ज हुआ है वहां पर ग्रीन ब्रिगेड वालों की गोलियों से लोग मरे थे और धायल हुए थे। वह भी इन मुकदमों के साथ

भासिल करने की कृपा करें। उसमें सम्पत्ति सिंह, जयप्रकाश और श्री तोमर भासिल हैं। पुलिस ने हमारी रिपिटिड रिकवैस्ट के बाद भी वहाँ के एसोपी0, श्री तोमर ने इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया था और उल्टा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही है इस बारे में मैंने सुना तो है क्योंकि हिसार मेरा अपना जिला है। वहाँ पर गोलियाँ चलने से आदमी मारे गए। उसके बारे में भी हम जरूर दुबारा जांच करवाएंगे और जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही सरकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सुप्रिया कांड का भी जिक्र आया है। यह एक ऐसा कांड है जो इंसान का दिल दहलाता है। एक पुत्रवधु की जबकि स्टेट के चीफ मिनिस्टर चौधरी देवी लाल खुद हों और वे मौके पर भी हाजिर हों यदि हत्या हो जाये तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? मैं आपको बताता हूँ कि जब चौधरी देवी लाल जी अबूब भाहर में काला तीतर में ठहरे हुए थे तो उनको इस घटना की जानकारी दी गई। जहाँ पर वे ठहरे हुए थे वहीं पर उनको बताया गया कि आपके पोते ने आपकी बहू को मार दिया है तो वहाँ से चौधरी देवी लाल जी काफी गुस्से में चले और जब वे कार से उतरे तो 20 आदमी मौके पर खड़े थे और कहने लगे कि कड़ै है वह हरामजादा अभय सिंह, उसने हमारी बहू ने मार दियो बोल्यो (जिसने अपनी बहु को मार दिया है)। उस समय उनको पकड़ कर दूसरे आदमी अन्दर ले गए कि

बाहर आदमी सुन रहे हैं, घर का मामला है, मुझे कल हो जाएगी इसको पर्दे में रखो। फिर लोग अन्दर गए और जिन लोगों ने वहां देखा उन्होंने कहा कि साहब एक नहीं तीन तीन गोलियां चली हैं। एक गोली भी ऐसे में लगी है दूसरी गोली कुछ उसको लगी और कुछ चारपाई में लगी। तीसरी गोली उसको लगी। फिर कहते हैं कि खुदकी कर ली। मरने वाला कभी भी 3-3 गोलियां नहीं चला सकता। एक गोली माथे में मारेगा और उसके साथ ही उसका काम पूरा हो जायेगा। वहां पर तीन तीन गोलियां चली हैं और फिर कहते हैं कि पोस्ट मार्टम हमने करवाया है। उसके मां बाप को रात के तीन बजे लाया गया और फिर सुबह 7.00 बजे ही दाह संस्कार कर दिया। उसका पोस्ट मौटम कर्तव्य नहीं हुआ। मैं उसी के जनदीक इलाके का रहने वाला हूँ। मेरी सैकड़ों रि तेदारी उस इलाके में है। जगदी नेहरा जी वहां से आते हैं। एक मेरे भाई लछमन दास अरोड़ा जी भी वहां के रहने वाले हैं पोस्ट मौटम हुआ नहीं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उस केस में कुछ हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि खुदकी की अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ भी एफ0आई0आर0 दर्ज की जाती है और जांच की जाती है कि किन हालात में खुदकी हुई है और इसमें कौन दोषी है। ये उसकी जांच करवाते और बताते कि उसका कोई दोश था या नहीं। जब किसी का दोश नहीं पाया जाता तो एफ0आई0आर0 कैंसिल भी हो सकती है। एफ0आई0आर0 भी दर्ज न करें और पोस्टमौटम भी न करें और फिर बूढ़े मां बाप को बुला करके और उनको डरा धमका करके

अपनी बात मनवा लें। अभय सिंह का ससुर जो 80 साल का है, वह क्या करता ? उसने कहा कि कोई बात नहीं जो परमात्मा की होनी थी वह हो गई। वह देहाती आदमी है उसने कहा कि ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हमारी इज्जत बचाने के लिए अपनी दूसरी बेटी भी दे, नहीं तो लोग कहेंगे कि जरूर मार दी ? दूसरी बेटी के साथ भी इन्होंने रि ता कर लिया। लड़की की माँ अभी तक कहती है कि मेरी बेटी पर बड़ा जुल्म हुआ है। एक आदमी के पास इसका टेप है। मैं दावे के साथ तो इस सदन में नहीं कह सकता। उस आदमी ने मुझे बताया कि उसने इसे टेप करने की कोटि रुपये की। अभय सिंह की सास ने कहा कि मैं तो इस घर में डांगर भी कोना बैचूं। यह हमारी मारवाड़ी भाशा है। इसका मतलब यह है कि मैं तो इसके घर में पुरुष भी नहीं बैचूं बेटी देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस घर में तो मेरी बेटी की इस तरह से हत्या हुई है। स्पीकर सर, अगर ये बेर्इमान नहीं थे या बिल्कुल दूध के धोये थे तो इन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई। इनका फर्ज बनता था कि सी०बी०आई० से जांच करवाते। इन्हें अहसास होना चाहिए था कि “मैं प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हूं, कल को लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे इसलिए इसकी जांच सी०बी०आई० से करवाई जाए।” मेरे खिलाफ लोगों ने मेंमोरेन्डम दिया। मैंने खुद प्रधान मंत्री जी से कहा कि मेरे खिलाफ कमीशन बिठाईये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए नहीं तो लोग भांत मचाते रहेंगे। मैंने खुद कह कर कमीशन बिठवाया था और कमीशन ने मुझे निर्दोश ठहराया। अगर इनमें हिम्मत थी तो ये

कमी न बिठाते तथा इस बात को लोगों में साबित करके दिखाते कि चौधरी देवी लाल बिल्कुल बेकसूर हैं और हम भी मान जाते। कमी न बिठाते, सी०बी०आई० से ही इन्कवायरी करवा लेते फिर भी हम इन्हें निर्देश मान लेते। इनके खिलाफ करा न के और कई दूसरे सीरियस चार्जिज हैं क्या इन्होंने कहा है कि “मेरे खिलाफ कमी न बिठाईये।” अगर आज भी ये कमी न बिठाना मान लें तो फिर भी हम मान लेंगे कि ये बड़े ईमानदार हैं। स्पीकर साहब, हम साबित करके दिखाएंगे इन्होंने अपने 4 साल के भासन में किस तरह से और किस प्रकार के अन्याय और जुल्म लोगों के साथ किये हैं और किस तरीके से इन्होंने नाजायज सम्पत्ति बनाई है। सारे प्रदे न के लोग जानते हैं कि किस तरह का माहौल और किस तरह के हालात इन लोगों ने प्रदे न में पैदा किये। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ किस तरह से इन के छोटे बेटे जगदी ने खेत में रहने वाले एक गरीब आदमी की बीबी के साथ बलात्कार किया। इस बात को सारा दे न जानता है। अध्यक्ष महोदय, इस समय सारा सदन बैठा हुआ है, जगदी न के बारे में पता करवा लें कि वह 24 घण्टे भाराब के न ओ में रहता है। रात को पीकर सोता है और सवेरे बच्ची हुई बोतल से ना ता करता है। यह बात मैं आप को औन औथ कहता हूँ क्योंकि वह मेरे पड़ौस में रहता है। सवेरे ना ता भाराब से करता है, फिर दोपहर को पी लेता है और भास से फिर पीना भुरू हो जाता है। उसने उस गरीब औरत के साथ बलात्कार किया, उनको घर से नहीं निकलने दिया और फिर पुलिस वहां बैठी रही। बड़ी मुँह कल से

रात को छुप कर वह वहां से निकला और जगदी । नेहरा उसको साथ लेकर मेरे पास दिल्ली आए। उस गरीब आदमी ने मुझे बताया कि उसके साथ यह बुरा हाल हुआ है। हम लोग राश्ट्रपति से मिले। राश्ट्रपति जी को हमने पूरा ज्ञापन बना कर भी दिया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राश्ट्रपति की कितनी मर्यादा होती है और कहां तक वह किसी मामले में कार्यवाही कर सकते हैं। उन्होंने मामला नीचे गवर्नर्मैंट को भेजा और गवर्नर्मैंट ने उठा कर उसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया या फाड कर फैक दिया होगा।

अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिला चौधरी देवी लाल का खुद का जिला है लेकिन सिरसा के कितने ही पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज किए गए और अनेक पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। ये इन लोगों के कारनामे हैं जो कहा करते थे "सारे पत्रकारों ने ही दे । आजाद करायो है" आज ये कैसी भाशा का इस्तेमाल करते हैं। पत्रकारों का तो सम्मान होना चाहिए लेकिन इन लोगों ने पत्रकारों का यह सम्मान किया कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमें बना कर उन्हें जेलों में बन्द किया। गलत जगह ये टकरा गये थे। गुप्ता जी ने कहा कि यह दीया अब नहीं जलेगा। ऐसी बात नहीं है। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि यह दीया सदा जलता रहेगा और इसकी ली ओर भी दिन प्रति दिन तेज होती जाएगी। (तालियां)

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विशय में कुछ कहना चाहूंगा। (गोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मुख्य मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं और प्रार्थना करूँगा कि वे हरियाणा साहित्य अकादमी को एक सिफारिश लिख कर भेजें कि जब कभी भी कहानी राइटर्ज को इनाम देना हो तो (ओर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गलत कहानी गढ़ने वाली बात रिकार्ड न की जाए।

श्री बनारसी दास गुप्ता: दूसरी बात मैं उन्हें ये रिकवैस्ट करूँगा कि वे गृह मंत्री महोदय की तरह इररैलेवैंट न बोलें।

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, कल और आज दो दिनों से बहस चल रही है। हमारे विरोधी दल के साथी बोलें और उन्होंने कहा कि हरियाणा की सी0आई0डी0 के दो आदमी राजीव गांधी जी घर पर सी0आई0डी0 करते हुए पकड़े गए और गुप्ता जी ने सुझाव दिया कि मैं गृह मंत्री की तरह इररैलेवैन्ट न बोलूँ। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मैं कही भी किसी भी भान के खिलाफ एक लफज भी नहीं बोलूँगा ओर अगर मैंने किसी की भी भान के खिलाफ कोई एक लफज भी बोला तो मैं काफी मांगने के लिए तैयार हूं। वे बता दें। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि मैंने गुप्ता जी को दल बदलूँ कहा है। मैंने गुप्ता जी को कोई दल बदलूँ नहीं कहा। यह रिकार्ड की बात है। गुप्ता जी ने राम मनोहर

लोहिया जी की बात की, श्री जय प्रका ा नारायण जी की बात भी की और साथ ही समाजवादिता की बात भी कह दी कि अगर मैं उनका अनुयायी रहा हूं तो मुझे त्याग पत्र दे देन चाहिये। मैंने उनके बारे में यह कहा था कि गुप्ता जी कई पार्टीयों में रहे। कभी वे कांग्रेस में थे, कभी सो लिस्ट पार्टी में और अब वे जनता पार्टी में हैं लेकिन मैंने उनको दल बदलूँ कभी भी नहीं कहा बल्कि गुप्ता जी ने स्वयं इस सरकार के बारे में यह कहा कि इस सरकार के कोई सिद्धान्त नहीं हैं। तभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्पोर्ट ली है। स्पीकर साहब, मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है। आज भी मैं उनकी कद्र करता हूं जैसे पहले करता था। अगर मैंने कोई गलती की होगी, उनकी भान के खिलाफ कोई लफज कहा होगा तो मुझे वह मानने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भार्म नहीं है। मैं माफी मांगने के लिए उनके घर तक जाऊँगा। गुप्ता जी सिद्धान्तवाद की बात करते हैं और मैं तो उनके सिखाये हुए सिद्धान्तों की ही बात करता हूं। स्पीकर साहब, कल डिप्टी स्पीकर महोदय का इलैक ान हुआ तो इन भाईयों ने कांग्रेस पार्टी की स्पोर्ट ली। गुप्ता जी बता दें कि कांग्रेस की स्पोर्ट लेना उनका कौन सा सिद्धान्ता था और अपने आप को सिद्धान्तवादी कहना कहां तक उचित है? स्पीकर साहब, कल से काफी कुछ गलत बातें मेरे खिलाफ कही गईं, हम चुप चाप बैठे सुनते रहे, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। मैं इस असैम्बली में बता रहा हूं कि मैंने सारी जिन्दगी गालियां खाई हैं लेकिन भड़का नहीं। किसी ने और गालियां देनी हों तो दे लें। ये कहते हैं कि हम इस्तीफा दे

दें, इस बारे में सारी कहानी होम मिनिस्टर साहब ने बता दी है। (आर) स्पीकर साहब, मैंने कल भी सदन में कहा था कि हरियाणा सरकार ने किसी भी आदमी की डियूटी नहीं लगाई और न ही किसी उच्च पुलिस अधिकारी ने लगाई। यह अड्यन्त्र कांग्रेस के लोगों ने रचा ताकि दिल्ली की सरकार टूट जाए। खैर, चन्द्र ओखर जी ने इस्तीफा दे दिया। जब मेरे को इस बात का पता लगा तो मैंने उनसे कहा था कि आप पार्लियामेंट के मैंबरों की एक कमेटी बनाकर जांच करवा लें या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवा लें। अगर हमारे खिलाफ कुछ साबित हो गया तो मैं एक मिनट में इस्तीफा दे दूँगा। लेकिन इस्तीफा गुप्ता जी के कहने से नहीं दूँगा। मेरी पार्टी के लीडर कहें तो एक मिनट नहीं लगाऊंगा। (नहीं नहीं की आवाजें) स्पीकर साहब, इस कुर्सी पर अनेक आदमी आए और अनेक चले गए, यह किसी की जागीर नहीं है। और भी बातें मेरे खिलाफ कहीं गईं। हीरा नन्द जी ने तो यह कह दिया कि इनको भार्म नहीं और ये भोले हैं। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता। वीरेन्द्र सिंह जी ने, आर्य जी ने, राम विलास जी ने जो कुछ कहा मैं उसका स्वागत करता हूँ, इनकी बात का मैं बुरा नहीं मानता लेकिन जो महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा है वह बात चुभती है मैंने कल यह कहा था कि मेरे खिलाफ अगर कोई व्यक्तिगत आलोचना हो तो जरुर करें मैं उसका स्वागत करूँगा। स्पीकर साहब, जहां तक भार्म की बात है किसी को भार्म थोड़ी होती है और किसी को ज्यादा। भार्म बराबर नहीं होती। हीरा नन्द आर्य जी की भार्म कम है और मेरी ज्यादा है क्योंकि मैंने एक दिन

में दो तीन दल नहीं बदले। जहां तक सी0आई0डी0 की बात है, मेरे पीछे भी सी0आई0डी0 लगी रहती थी। यह कोई गलत बात नहीं है। मैं तो उनको कहा करता था कि आप लोग मेरे घर आ जाया करें। तो सी0आई0डी0 से क्या तकलीफ है। स्पीकर साहब, गुप्ता जी ने कल कहा कि इस कांड से दे 1 हिल गया है, तबाही मच गई है। स्पीकर साहब, बात गुप्ता जी जो कहते हैं, वह ठीक कहते हैं। 1976 में इन्होंने मुझे पकड़वा कर जेल में ठोक दिया था। मैं हाऊस में यह बात ईमानदारी के साथ कहता हूं कि गुप्ता जी के आदे 1 से मेरे घर में भी दो सिपाही सी0आई0डी0 के बैठे रहते थे। मेरे किसी वर्कर को मेरे घर में नहीं आने दिया जाता था। मेरे किसी मिलने वाले को भी मुझ से मिलने नहीं दिया जाता था। मेरे मजदूरों को मेरे खेत में नहीं जाने दिया जाता था। हमारे एक हरिजन लीडर श्री चन्द्र सिंह थे, वह बेचारे भगवान को प्यारे हो गए। वह मुझे हिसार जेल में मिलने के लिए चले गए। गुप्ता जी ने आदे 1 दिया कि उसको पकड़ कर जेल में ठोक दो, वह वहां क्यों गया। अध्यक्ष महोदय, उसको पकड़ कर गुप्ता जी के आदे 1 से 32 किलो भार की बेड़ी डाल दी गई। उसका पे आब बन्द हो गया। मुझे रोना आता है। जब गुप्ता जी दे 1 हिलने की बात कहते हैं। स्पीकर साहब, यह ठीक है कि गुप्ता जी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। दे 1 की आजादी के लिए इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। स्पीकर साहब हरियाणा का एक भी राजनीतिक आदमी नहीं छोड़ा था जिसके पीदे इन्होंने सी0आई0डी0 न लगाई हो। सूरज भान जी और वीरेन्द्र सिंह जी इल्जाम लगाएं तो लगाएं लेकिन

गुप्ता जी जैसे आदमी अगर इल्जाम लगाएं, जिन्होंने प्रजातंत्र का गला ही नहीं धोटा बल्कि उसकी हत्या ही कर दी हो, तो ठीक नहीं। इन्होंने अपने समय में हरियाण के अन्दर ऐसा कोई राजनीतिक आदमी नहीं छोड़ा जिसके पीछे सी0आई0डी0 न लगाई हो। आज कहते हैं कि दे 1 हिल गया। उस समय यह यहां पर जमा बैठा था। मैंने प्रधान मंत्री जी को कह दिया कि इस बारे में जांच करवाएं और इस बारे में जांच की रिपोर्ट यदि हमारे खिलाफ जाए तो मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगा, अपना इस्तीफा दे दूंगा। श्री राम बिलास भार्मा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बड़े भोले हैं, बावले हैं। मुख्य मंत्री जी को तो यह भी पता नहीं है कि उनके पास कौन कौन से महकमे हैं। कोई बात नहीं हम तो बावले हैं, जो सयाने थे वह उधार चले गए, जो इस कुर्सी के भूखे थे। जितने लोग हम बावले थे वह आज इधार बैठे हैं। गुप्ता जी मैंने जो बातें कहीं हैं, अगर वे आपको चुभी हों तो माफ करना। मैंने तो जो सच्चाई थी, वह कही है। कोई गलत बात नहीं कही।

(गोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं इनको उन बातों का जवाब दे दूं या बाद में दूं। (गोर)

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरत नहीं जवाब देने की। (गोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे साथ ज्यादती है। (गोर) आप मुझे बाद में टाईम दे देना। मैं इनको सारी बातों का जवाब दे दूँगा। (गोर)

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, ये बाद में कह लें जो कहना हो। स्पीकर साहब, गुप्ता जी ने हरियाणा के अंदर ऐसा कोई राजनीतिक आदमी नहीं छोड़ा जिसको जेल में न ठोका हो। मैं यह बात सदन के सामने कहता हूँ कि गुप्ता जी ने उस समय जेल में हमारे घर वालों को भी हमसे मिलने तक की इजाजत नहीं दी। आज कहते हैं दे त हिल गया। इन्होंने अपने समय में लोगों पर बड़े जुल्म ढाये और उनके साथ बड़ा अत्याचार किया। आज कहते हैं दे त हिल गया। गुप्ता जी हम तो प्रजातंत्र के रखवाले हैं आपकी तरह हम प्रजातंत्र की हत्या नहीं करते। मैं हाउस को यह वि वास दिलाता हूँ कि यदि इस बारे में कोई जांच हुई और उस जांच की रिपोर्ट हमारे खिलाफ गई तो मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगा, अपना इस्तीफा उसी वक्त दे दूँगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इस्तीफा दो। लेकिन मैं गुप्ता जी के कहने से इस्तीफा नहीं दूँगा। आखिर मैं मैं यही कहूँगा कि अगर किसी साथी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो या चुभी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ।

Mr. Speaker: This item is over. I will now take up next item.

वाक आउटस

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरे बारे में सी०एम० साहब ने कहा है इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया जाये। (ओर)

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, इन साथियों ने कल भी हाउस को चलने नहीं दिया था और आज भी इनका यही विचार लगता है। इसलिए आप कृपया हाउस के आज के बिजनैस को भुरू करवायें। (ओर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरे खिलाफ सी०एम० साहब ने आरोप लगाए हैं इसलिए आप मुझे अपनी बात स्पष्ट करने का मौका दें। (ओर)

Mr. Speaker: Gupta ji, I would not permit you. (Interruptions). I will not permit any body. Please take your seats.

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, यह तो मेरे साथ ज्यादती होगी क्योंकि आप मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं देना चाहते। (ओर)

Mr. Speaker: Gupta ji, you please take your seat. (Interruptions)

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, जिन बातों का जिकर इन्होंने किया है वह मेरे से ताल्लुक रखती हैं। यदि आप

मुझे अपनी बात स्पश्ट करने का मौका नहीं देते तो वह मेरे साथ ज्यादती होगी। (गोर)

Mr. Speaker: Everybody should listen please. I am not going to hear anybody in this respect now. (Interruptions). Nothing is to be recorded which is said without my permission.

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब,

...

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारि है अभी मुख्य मंत्री महोदय ने बोलते हुए स्वयं यह कहा है कि अगर बी0डी0 गुप्ता जी इस बारे में अपना जवाब देना चाहें तो बाद में दे सकते हैं। (गोर)

Mr. Speaker: No, I am not going to hear anybody now. (Interruptions).

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरी आपसे यही रिकवैस्ट है कि इन्हें बोलने का मौका दिया ही जाना चाहिए। (गोर)

Mr. Speaker: No further discussion on this matter now. (Interruptions).

Sh. Ram Bilas Sharma: Mr. Speaker, Sir

Mr. Speaker: Please take your seat and let me hear Ch. Verender Singh.

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यदि आप हमें अपनी बात स्पष्ट करने का मौका नहीं देते और बी0डी0 गुप्ता जी को अपनी बात स्पष्ट करने का मौका नहीं देते तो हम विरोध स्वरूप वाक आउट करते हैं।

(इस समय जनता दल के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, सी0आई0डी0 करते हुए जो दो कर्मचारी पकड़े गए हैं और जिस पर इतनी देर तक बहस हुई है, उस पर सरकार की ओर से जो जवाब आया है, वह एक झूठी कहानी पर आधारित है। हम इस जवाब से सन्तुश्ट नहीं हैं। (गोर)

Mr. Speaker: Ch. Mohinder Pratap Ji. This is not the way. (Interruptions). You please take your seat.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : सरकार की तरफ से सही जवाब नहीं आया है इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय कांग्रेस (आई) पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, आप हमारी बात को भी सुनिए। (गोर)

Mr. Speaker: Ram Bilas Ji, No further discussion on this subject now. (Interruptions)

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, मुझे अपनी बात कहने का मौका दें।

Mr. Speaker: Ram Bilas Ji, this is not the way. I will not give you time. Please take your seat.

श्री राम विलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने इस मामले पर जो जवाब दिया है, वह एक झूठी कहानी है। (गोर) सरकार द्वारा ठीक जवाब न दिए जाने के विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

वक्तव्य—

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री द्वारा राज्य में डीजल और पैट्रोल आदि की कमी सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनंदेश्वर मैम्बर्ज सर्वश्री रत्न लाल कटारिया और हीरा नन्द आर्य एम०एल०एज० की 4 तारीख को ऐडमिट की गई काल अटैं नं ८ मो १५ नं ० ६ और ९ क्रम नं: जो कि राज्य में भार्टेज आफ डीजल और पैट्रोल के बारे में थी, पर कल दिनांक 6.3.1991 को फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर ने स्टेटमैंट देनी थी लेकिन हाउस के ऐडजर्न छोने की वजह से नहीं दे सके थे। वे अब अपनी स्टेटमैंट दें।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री नर सिंह ढांडा): जनवरी, 1991 में खाड़ी युद्ध के फलस्वरूप जनता में अचानक थोड़े समय के लिए अवि वास पैदा हो गया था कि कहीं आव यक वस्तुओं का अभाव न उत्पन्न हो जाये। इस सन्देह के कारण कुछ लोगों ने गेहूं, डीजल आदि का भण्डार उनकी सामान्य आव यकताओं से अधिक मात्रा में करना भुरू कर दिया। यह अस्थाई रूप में कुछ अवधि के लिए कमी का कारण बना। फिर भी इस स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए जन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया गया। जन वितरण प्रणाली के तहत 6532 उचित मूल्य की दुकानें जिसमें से 2087 भाहरी क्षेत्र में तथा 4445 ग्रामीण क्षेत्र में आव यक वस्तुओं को जनता में पहुंचाने हेतु खोली हुई हैं। ये उचित मूल्य की दुकानें चीनी, गेहूं, चावल, खाद्यान्न तेल, मिटटी का तेल निः चत दरों पर बांटती हैं। डीजल तथा पैट्रोल राज्य में स्थित पम्पों द्वारा बांटा जाता है। स्थिति से निपटने के लिए जन वितरण प्रणाली को सुदृढ एवं गति लील बनाया गया। जन वितरण प्रणाली के तहत एवं खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धि को सुनिः चत किया गया है। राज्य की मासिक सामान्य गेहूं की एलोके टन 10000 टन है, परन्तु मास जनवरी तथा फरवरी 1991 में जन वितरण प्रणाली के तहत 50000 टन गेहूं जारी की गई। इसके अतिरिक्त 30000 टन गेहूं मास मार्च 1991 में जन वितरण प्रणाली के तहत वितरण करने हेतु ऐलोके टन की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए गेहूं तथा आटे की कीमतें असामान्य रूप में न बढ़ें, राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य से गेहूं तथा आटा बाहर भेजने बारे प्रतिबन्ध लगा दिया है। जमाखोरी को रोकने के लिए थोक तथा खुदरा विक्रेताओं के भण्डारण पर राज्य सरकार ने 250 किंवदल गेहूं एवं चावल तथा 50 किंवदल गेहूं एवं चावल की क्रम 1: भण्डार सीमा निर्धारित की है। गेहूं की सप्लाई को बढ़ाने के लिए मास जनवरी तथा फरवरी 1991 में 43000 टन गेहूं राज्य में स्थित फलोर मिल्ज, चक्कीज तथा व्यापारियों को जारी की गई। डीजल तथा पेट्रोल की सप्लाई भी बढ़ाई गई यद्यपि आरम्भ में भारत सरकार ने हाई स्पीड डीजल पर 20 प्रति लौटी कटौती लगाई थी परन्तु तुरन्त ही इस मामले को भारत सरकार से उठाया गया और सप्लाई की पुनः बहाल कराया गया। इसके अतिरिक्त 2298 किलो लीटर हाई स्पीड डीजल कृशि क्षेत्र के लिए भारत सरकार से प्राप्त किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त कृशि, औद्योगिक क्षेत्रों तथा जनता को नियमित तथा बिना बाधा डीजल तथा पेट्रोल की सप्लाई जारी रखने हेतु सामयिक कदम उठाये गए। जिला प्रभासन को आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी भिन्न-2 नियन्त्रण आदे गों को सख्ती से लागू करने के लिए कड़ी हिदायतें जारी की गई ताकि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि सुगमता से बनी रहे। हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त उठाए गए कदमों के फलस्वरूप राज्य में डीजल तथा पैट्रोल की कोई कमी नहीं है। अन्य आवयक वस्तुएं भी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध हो रही हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि खाड़ी युद्ध के कारण कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर डीजल और पैट्रोल का भण्डार कर रखा है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पैट्रोल/डीजल के गैर कानूनी भण्डार के लिए क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है या किसी ने अगेन्स्ट केस दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई या केस दर्ज किए गए हैं?

श्री नर सिंह ढांडा: अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ डीजल और पैट्रोल की ही बात कर रहे हैं। मैं इनको थोड़ा सा ब्यौरे से बता देता हूं जिसमें दूसरे खाद्यान्नों के वितरण के बारे में जिक्र है।

श्री अध्यक्ष: आप इन्हें इतना ही बताईये कि कोई केस दर्ज किया है या नीं किया है?

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, पैट्रोल और डीजल के लिए हरियाणा में लम्बी लम्बी लाईनें लगती हैं। किसानों को ट्रैक्टर तथा टयूबवैल्ज चलाने के लिए डीजल नहीं मिलता। कुछ

स्टाकिस्टस ब्लैक मार्किटिंग करने के लिए गैर कानूनी ढंग से इनका स्टाक करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। (विधन)

श्री अध्यक्षः आर्य जी, आप सवाल कीजिए डिटेल मत दीजिए।

श्री हीरा नन्द आर्यः इस स्टाक की वजह से डीजल और पैट्रोल की दिक्कत हो गई है। दूसरी ओर गैर कानूनी तौर पर फोर व्हीलरों और ट्रकों को राजनैतिक जलसाँ में इस्तेमाल करके हजारों लिटर पैट्रोल और डीजल नश्ट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः आर्य जी, आपने सवाल पूछा ही नहीं। आपका सवाल क्या है ?

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि जलसे करने पर जो हजारों लीटर और पैट्रोल इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे कामों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री नर सिंह ढांडा: अध्यक्ष महोदय, हीरा नन्द आर्य जी ने यह सवाल उठाया है कि तेल की कमी है, इसके लिए क्या स्टैप्स सरकार ने लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई तेल लेने के लिये जाता है, तो उसको यह पता चलता है कि इसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। थोड़ी सी किललत जरूर है इसीलिये हमने थोड़ा सा इसके लिये क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि किसान के ट्रैक्टर को कितना डीजल मिलेगा, ट्रक वाले को कितना मिलेगा

और फोर व्हीलर्ज वालों को कितना मिलेगा। इसके लिये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई आदमी कितना तेल ले सकता है इसके लिये कोई रुकावट नहीं है, कोई कितना भी तेल ले सकता है।

डा० हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैंने भी एक ध्यानाकश्चण प्रस्ताव आपके सामने रखा था कि गेहूं की सप्लाई में दिक्कत आ रही है और इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है।

श्री राम बिलास भार्मा: मेरा भी इसी विशय पर एक प्रस्ताव था, उसका क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष: आप दोनों के कालिंग अटैनन मोन्जन 0 1 और 19 इसी मोन्जन के साथ अटैच कर दिये हैं आप भी एक एक सवाल क्लैरिफिकेशन लेने के लिए पूछ सकते हैं और मंत्री जी आपको जवाब दे देंगे।

डा० हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, पहली तो बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो यह कहा है कि 50000 टन गेहूं जनवरी और फरवरी मास के लिये दी गयी है, यह ठीक नहीं है। जनवरी के लिये 10000 फरवरी के लिये 20000 और मार्च के लिये 30000 टन गेहूं जारी किया गया है। इतना गेहूं साढे छः हजार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से यानि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिये है। दूसरी बात यह है कि हरियाणा की आबादी डेढ़ करोड़ की है। जनवरी मास में एक किलो एक महीने

की गेहूं बनती है, फरवरी मास में दो किलो और मार्च के महीने में तीन किलो बनती है। यह इनकी सप्लाई की पोजी न है, अगर इनकी सप्लाई की पोजी न ठीक थी तो मसला अपने आप हल हो जाना चाहिये था लेकिन 5 रुपये किलो आटा बिका है। क्या 5 रुपये किलो आटा लेने वाले लोग पागल हैं या कोई और कारण हैं? यह बात हरियाणा सरकार बता दे। क्या इनके आठे में जहर है जो लोग 5 रुपये किलो वाला आटा खाते हैं।

श्री नर सिंह ढांड़ा: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि लोग कोई पागल नहीं हैं जिनहोंने हमको और तुमको यहां पर चुनकर भेजा है। जहां तक गेहूं की एलोके न की बात है, मैं महकमे की तरफ से यह बताना चाहता हूं कि पिछले सारे साल में 2770 टन गेहूं की एलोके न हुई है लेकिन हमारे लिये अब तीन महीनों के अन्दर ही 80000 टन गेहूं की एलोके न हो चुकी है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि हमारा हरियाणा प्रदे । एक कृशि प्रधान प्रदे । है। परन्तु आज गांव के अन्दर रा न का गेहूं मिलता नहीं है। जगह जगह से फाकायतें आ रही हैं। क्या मंत्री महोदय फूड एंड सप्लाई विभाग को टोन अप करेंगे? खास तौर पर रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और गुडगांव जिलों की फाकायतें हैं। इस बारे में क्या मंत्री महोदय कुछ करेंगे?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, जहां का यह जिक्र करते हैं, मैंने खुद वहां का दौरा किया है और वहां पर खुद डिपो होल्डर से बात की है। वहां पर उस समय यह पता चला था कि डिपो होल्डर कनक नहीं उठा रहा है। (विधन) यह पैंतावास की बात है। मैंने वहां पर खुद दौरा किया है और लोगों से पूछा है कि आप कनक क्यों नहीं ले रहे हो? यह दिसम्बर के महीने की बात है। उस समय बाजरे का भाव 220 रुपये बोरी का था और पी0डी0एस0 की गेहूं का भाव 250 रुपये था। उस वक्त उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। उसके बाद जनवरी में उन लोगों ने सौ बौरी कनक की मांग की। मैंने पूछा कि अब क्या बात है? तो वे कहने लगे कि अब बाजार में बाजरे का भाव 280 रुपए पहुंच गया है। लेकिन पी0डी0एस0 के गेहूं का भाव 2650 रुपए है इसलिए हमें गेहूं चाहिए। स्पीकर साहब, जिन लोगों ने कनक की मांग की है, उस सब को कनक दिया गया है। यह हो सकता है कि सारी मांग पूरी न कर पाएं हो। कई बार ऐसा होता है कि कौनफैड या प्राईवेट डीलर पैसा जमा नहीं कराते इसलिए वहां कनक नहीं पहुंचती लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कनक की कोई कमी नहीं है जितनी मांग करेंगे, उतनी कनक हम देंगे। सरदार हरनाम सिंह तो दो दो किलो की मांग कर रहे हैं, अगर वह चाहें तो मैं अस्सी अस्सी किलो भी दिलवा सकता हूं।

बिजनैस ऐडवार्ड्जरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पे T करना

श्री अध्यक्ष: अब मैं वेरियस बिजनैस के बारे बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया टाइम टेबल रिपोर्ट करता हूँ—

“The Committee met at 4.00 P.M. on Wednesday, the 6th March, 1991 in the Chamber of the Hon’ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday, at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

The Committee after some discussion, also recommends that the business from 7th March to 8th March 1991 and from 11th March to 15th March, 1991, be transacted by the Sabha as follows :-

Thursday the 7 th March, 1991 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Presentation and adoption of the Second Report of the Business Advisory Committee.
	3	Motion Under Rule 121
	4	Motion Under Rule 30
	5	Motion Under Rule 121 regarding suspension of Rules 228, 230, 230-B and 260-A.

	6	Discussion and voting on Supplementary Estimates for the years 1990-91.
Friday, the 8 th March, 1991 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Presentation of Budget Estimates for the year 1991-92.
Saturday, the 9 th March, 1991		Off day.
Sunday, the 10 th March 1991.		Holiday
Monday, the 11 th March 1991 (2.00 P.M.)	1	Question Hour.
	2	General Discussion on Budget Estimates for the year 1991-92.
Tuesday, the 12 th March, 1991 (9.30 A.M.)	1	Question. Hour.
	2	Resumption of general discussion on Budget Estimates for the year 1991-92 and reply by the Finance Minister.
Wednesday, the 13 th March, 1991 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	discussion and Voting on

		Demands for Grants on the Budget Estimates for the year 1991-92.
Thursday, the 14 th March, 1991 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Presentation of Assembly Committees Reports.
	3	Non-official business.
Friday, the 15 th March, 1991 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Motion under Rule 15 regarding non stop sitting.
	3	Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.
	4	Presentation of Assembly Committees Reports.
	5	The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates 1990-91.
	6	The Haryana Appropriation Bill 1991 in respect of the Budget Estimates for the year 1991-92.
	7	Legislative Business.

अब पार्लियामेंटरी अफयर्ज मिनिस्टर प्रस्ताव पे । करेंगे कि यह हाउस बिजनैस ऐडवार्ड्जरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडे अन्ज से सहमति प्रकट करता है।

गृहमन्त्री (प्रो० सम्पत्ति सिंह): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवार्ड्जरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडे अन्ज से सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे । हुआ—

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवार्ड्जरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडे अन्ज से सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः प्र न है—

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवार्ड्जरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडे अन्ज से सहमति प्रकट करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव—

सरकारी कार्य को करने के लिए गेर सरकारी दिन को बदलने
सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामेंटरी अफेर्ज विनिस्टर रूल 121 के तहत रूल 30 को सस्पैंड करने के लिए मो आन मूव करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir I beg to move-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 7th March, 1991.

Sir, I also move-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transaction on Thursday, the 7th March, 1991.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 7th March, 1991.

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transaction on Thursday, the 7th March, 1991.

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट 4 तारीख को पे ठ हुई थी। उस समय मैंने कहा था कि मुझे खद आ है कि नौन ऑफिसियल डे को ये ऑफिसियल डे में कन्वर्ट करेंगे और आपने मजाकिया तौर पर कुछ कहा जैसा कि आप कहते हैं। लेकिन मैंने तब भी अर्ज किया था कि नौन ऑफिसियल डे को ऑफिसियल डे में कन्वर्ट करने से जो मैम्बर्ज अपना कोई प्राईवेट रैजोल्यू अन मूव करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं उनके हकूक पर बड़ा भारी असर पड़ता है। स्पीकर साहब, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 15 तारीख तक सै अन चलना है और अगर इस बिजनैस के लिए या किसी और बिजनैस के लिए दो दिन और सै अन बढ़ा दिया जाए तो इसमें क्या अन्तर आ जाएगा। केवल इसलिए आज का दिन ऑफिसियल डे में बदला जा रहा है कि सै अन पन्द्रह तारीख तक जरूर खत्म करना है। मैजोरिटी इनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस मो अन को ये यहां पेर पास भी करा जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम हम आपसे यह ऐक्सपैक्ट तो करते हैं कि आप गवर्नर्मेंट को कहें, मुख्य मंत्री को कहें और मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी अफेयर्ज को कहें कि वे अपनी मैजोरिटी का दुरुपयोग न करें। जो नौन ऑफिसियल बिजनैस होना था उसको ट्रांजैक्ट होने दें, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमति प्रकट करता हूं। जो प्राईवेट मैम्बर्ज डे को सरकारी दिन में बदला जा रहा है, यह ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, आप के पास पांच प्रस्ताव आए हैं। मेरा कहना यह है कि ऐसी कोई प्राथा न डाली जाए जिससे आगे जाकर गलत असर पड़े। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि बिजनैस कम है और दूसरी तरफ नौन ऑफिसियल डे को ऑफिसियल डे में बदला जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको कन्वर्ट न करें। यह गलत रिवाज पड़ जाएगा। प्राईवेट मैम्बर्ज के जो पांच प्रस्ताव हैं, उनमें से जिसको आप ठीक समझें, एक को ले लें।

13.00 बजे |

कैप्टन अजय सिंह (रिवाड़ी): स्पीकर साहब, अभी राम बिलास भार्मा जी ने बोलते हुए जो कहा वह सही है कि नान ऑफिसियल डे को ऑफिसियल डे में कन्वर्ट नहीं किया जाना चाहिये। उनकी बात को मैं सही मानता हूं क्योंकि अगर नान ऑफिसियल डे को ऑफिसियल डे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो हमारे हक जिसके तहत मैम्बर साहब अपने इलाके की बातें रखना चाहते हैं, उनसे वंचित रह जाएंगे। हम अपने इलाके की बातों को फिर कहां कहेंगे ? स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने अलग अलग विशयों पर पांच रेजोल्यूशन दे रखे हैं इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से रिकवैस्ट करूंगा कि आज अगर हमें अपने

मुददों पर बोलने का पूरा समय न दिया गया तो हम अपने हक्कों को यूज नहीं कर पाएंगे। जिस काम के लिए हमें जनता ने यहां हाऊस में चुनकर भेजा है वह काम हम पूरा नहीं कर पाएंगे और हम इसके लिये जनता के साथ अन्याय ही करेंगे। इसलिये आज नान आफिं ट्रायल डे को आफिं ट्रायल डे में बदल कर सरकार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस मसले पर दोबारा विचार करें। बस इतना ही कहता हुआ मैं सरकार के इस मोठे न का विरोध करता हूँ।

श्री हीरानन्द आर्य (लोहारु): स्पीकर साहब, यह जो प्रस्ताव गैर सरकारी दिन को सरकारी दिन के रूप में बदलने के लिये आज यहां पर रखा गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। वैसे तो यह यह कोई नई बात नहीं है लेकिन जब जब भी इस सदन में ऐसी बात आई है, हमने सदा ही इसका विरोध किया है और अपने मन की बात को हमें आ ही आप तक पहुँचाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। आपका ध्यान हर हर वक्त दिलाते रहे कि गैर सरकार प्रस्ताव को सरकारी प्रस्ताव में नहीं बदला जाना चाहिये। उस वक्त तो हमें इस बात का पूरा पूरा वचन दिया जाता रहा है कि ऐसा नहीं होगा लेकिन आज जो काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदस्यों की ओर से आए और उनमें मैंने भी दो दिये हैं। एक प्रस्ताव तो जिसका हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिये उससे संबंधित है क्योंकि आज भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही

जा रहा है। अगर इस बात को स्पष्ट करने के लिये हमें यहां बोलने का पूरा मौका दिया जाता तो अच्छा था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और हमारे साथ अन्याय किया गया है।

वित्त मंत्री (श्री तैयब हुसैन): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि किसी का प्रस्ताव भी विद इन टाइम नहीं आया है। (गोर)

श्री राम बिलास भार्मा: यदि यह बात है तो स्पीकर सर, you have the authority to relax the time for admitting the resolution.

श्री हीरानन्द आर्यः: स्पीकर साहब, समय में है या समय से बाहर है, यह फैसला तो आपने ही करना है। (गोर)

Mr. Speaker: I am not discussing that matter now.

श्री हीरा नन्द आर्यः: स्पीकर साहब, यह वित्त मंत्री साहब जी के इखतयारात की बात नहीं है और न ही बी०ए०सी० की मीटिंग में ही ऐसा कोई प्रस्ताव था कि आज नान आफिं ट्रायल डे की जगह आफिं ट्रायल डे होगा। हमारी समझ में न मैं था और न ही मेरी पार्टी का कोई मैम्बर ही था। मेरी जानकारी के अनुसार अपोजी टन के लीडर ने इसका विरोध किया था। इसलिए मैं भी इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

डा० हरनाम सिंह (गाहबाद): स्पीकर साहब, चार तारीख को बी०ए०सी० की रिपोर्ट इस हाउस में पे । की गयी थी परन्तु उसमें यह था कि आज का दिन गैर सरकारी प्रस्ताव के लिये ही रखा गया है लेकिन अब यह प्रस्ताव कैसे आ गया ? मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि यह कैसे हो गया ? मैजोरिटी इनके साथ है और ये जैसा चाहेंगे करवा भी लेंगे लेकिन बात के बाहर सिद्धान्तों की है। डैमोक्रेसी में यह कोई । होती है कि मिल कर सारे काम किये जाएं। कहीं हरियाणा के हितों और सिद्धान्तों की अगर बात आ जाए तो और बात है लेकिन यहां पर सिद्धान्तों की कोई बात रही नहीं। यह तो डैमोक्रेसी के साथ प्रकार का धक्का है। मेरी रिकवैस्ट है और सुझाव भी है कि अगर इन दूसरे कामों के लिये इस असैम्बली सत्र को दो दिनों के लिये और बढ़ा दिया जाए तो क्या हर्ज है। बेहतर रहेगा कि अगर सै न बढ़ा दिया जाए और जो काम सरकार आज करवाना चाहती है वह उन बढ़ाये हुए दिनों के लिये निर्दिष्ट कर दिया जाए। इस दिन को गैर सरकार प्रस्तावों के लिये ही रहने दिया जाये। इन भाब्दों के साथ मैं इस मो । न का विरोध करता हूं।

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत्ति सिंह): स्पीकर साहब, सभी माननीय सदस्यों ने बोलते हुए यह कहा कि इस गैर सरकारी दिन को सरकारी दिन में कन्वर्ट नहीं करना चाहिये। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के भाई मुहम्मद असलम खां जी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने यह माना था। यह दूसरी बात है

कि इनके आपस में डिफरैन्सिज होंगे। इसको मुझे पता नहीं। कल जो बजट पे त होना है उससे पहले सप्लीमैन्ट्रीज पास होनी जरूरी है। एक दिन की ही तो बात थी। कल स्पीकर साहब, हम भी यही कोटि त करते थे कि कल का दिन जाया न किया जाये। स्पीकर साहब, आपने भी बहुत कोटि त की परन्तु यह लोग नहीं माने और भाओर भाराबा करते रहे। अब यह कहें कि मैंजोरिटी इस बात के लिए तुली हुई है ऐसी बात नहीं है। यह लोग तो चाहते थे कि कल का दिन भाओर भाराबे के कारण यूं ही फिलूल बातों में ही खाराब हो जाए और इस सदन का कुछ काम न हो सके। जान बूझ कर कल इन्होंने ऐसा वातावरण पैदा किया। (गोर) इसलिये मैं चाहूंगा कि यदि इस गैर सरकारी दिन को सरकारी दिन में बदल दिया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

Mr. Speaker: Question is-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 7th March, 1991.

&

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transaction on Thursday, the 7th March, 1991.

The motion was carried.

वाक आउटस

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, इन्होंने मैजोरिटी का नाजायज फायदा उठा कर आज के नान आफिं आयल डे को आफिं आयल डे में कन्वर्ट करवाने की यह सो अन पास करवाई है। इसलिए हम वाक आउट करते हैं।

(इस समय विरोधी पक्ष के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव—

कमेटियों के सदस्यों को नामजद करने के लिए अध्यक्ष महोदय को प्राधिकार देने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 regarding nomination of various Committees.

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the provisions of Rules 228, 230, 230-B and 260-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;
(iii) Committee on Public Undertaking; and
(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

for the year 1991-92 be suspended.

Sir, I also move-

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1991-92, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the provisions of Rules 228, 230, 230-B and 260-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Public Accounts;
(ii) Committee on Estimates;
(iii) Committee on Public Undertaking; and
(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

for the year 1991-92 be suspended.

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid

Committees for the year 1991-92, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker: Question is-

That the provisions of Rules 228, 230, 230-B and 260-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertaking; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

for the year 1991-92 be suspended.

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1991-92, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

वर्ष 1990-91 के सप्लीमैट्री ऐस्टिमेट्स पर चर्चा तथा मतदान—

(1) राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यव के अनुमानों पर चर्चा

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: आनंदेबल मैम्बर्ज अब वर्ष 1990-91 के सप्लीमैटरी एस्टिमेटस पर चर्चा होगी। जो आनंदेबल मैम्बर्ज, चार्जड आइटम्ज को डिस्कस करना चाहे, वे कर सकते हैं तथा पहली प्रैकिट्स के मुताबिक हाउस का टाईम सेव करने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमाण्डज नं 0 1, 3 से 7, 9 से 11, 14 व 15 और 20 से 24 पढ़ी तथा मूव की गई समझी जाएंगी। आनंदेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमाण्ड पर डिस्क अन कर सकते हैं लेकिन डिस्क अन स्टार्ट करने से पहले वे उस डिमाण्ड का नम्बर बता दें जिसको वे डिस्कस करना चाहते हैं। डिस्क अन के बाद डिमाण्डज हाउस की वोट के लिए पुट की जाएंगी।

That a supplementary sum not exceeding **Rs. 1427000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 1 – **Vidhan Sabha.**

That a supplementary sum not exceeding **Rs. 1427000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 1 – **Vidhan Sabha.**

That a supplementary sum not exceeding **Rs. 115739000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 3 – **Home.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 136778000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 4 – **Revenue**.

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 13004000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 5 – **Excise & Taxation**.

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 201054000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 6– **Finance**.

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 380462000** for revenue expenditure and **Rs. 1053000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 7 – **Other Administrative Services**.

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 156288200** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 9 – **Education**.

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 51017400** for revenue expenditure be granted to the Governor

to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 10 – **Medical and Public Health.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 22940960** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 11 – **Urban Development.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 8467000** for revenue expenditure and **Rs. 490977000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 14– **Food and Supplies.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 43714000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 15 – **Irrigation.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 20** for revenue expenditure and **Rs. 2000000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 20– **Forest.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 62100680** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 21
– **Community Development.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 227460000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 22 – **Co-operation.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 115585000** for revenue expenditure and **Rs. 30861000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 23-
Transport.

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 3300000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 24
– **Tourism.**

श्री रतन लाल कटारिया (रादौर, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, अभी इस महान सदन के सामने 207 करोड़ 64 लाख रुपए की अनुपूरक मांगे हाउस की मंजूरी लेने के लिए पे १ की गई हैं। इस बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा जो कि राजस्व विभाग से संबंधित हैं। इस डिमाण्ड पर बोलते हुए मैं इस सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि मेरे जिले यमुनानगर के अन्दर एक ही सब डिवीजन है। मेरे जिले में रादौर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ जठलाना और मुस्तफाबाद के एरियाज को

मिला कर एक उप मण्डल बनाया जा सकता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि रादौर के साथ जठलाना और मुस्तफाबाद के एरियाज को मिला कर रादौर को उप मण्डल बनाया जाए। जो बबैन का क्षेत्र है उसके चारों तरफ लगभग 100 गांव हैं इसलिए बबैन को उप तहसील का दर्जा दिया जाए। जहां पर सरकार ने प्रदे 1 के विकास के लिए इतने पैसे खर्च किए हैं। अगर उसी तरह से पैसा खर्च करके इस क्षेत्र का विकास कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।

श्री अध्यक्षः कटारिया साहब, यह तो वह पैसा है जिसके लिए ऐस्टिमेटस कमेटी ने सक्रूटनी के बाद अपनी ऐप्रूवल और रिपोर्ट दे दी है।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, यह पैसा तो 31 मार्च तक खर्च होना है।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मैं मांग नम्बर 3 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह डिमांड होम डिपार्टमैंट से संबंधित है। इस मांग में पुलिस विभाग पर खर्च किए गए पैसे के बारे में मंजूरी ली जा रही है। स्पीकर साहब, बबैन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके 40 परसैंट गांव यमुनानगर जिले में चले गए हैं और 60 परसैंट कुरुक्षेत्र जिले में रह गए हैं जिसके कारण उन गांवों के लिए पुलिस स्टेनों की अव्यवस्था हो गई है। यदि उन गांवों के लोगों को पुलिस स्टेन में किसी काम के

लिए जाना पडे तो उनको बहुत परे आनी होती है क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जो यमुनानगर जिले में पड़ते हैं और यदि उनको पुलिस स्टे अन में जाना पडे तो वह कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। इसी तरह से कुछ गांव ऐसे हैं जो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ते हैं यदि उन गांवों के लोगों को पुलिस स्टे अन जाना पडे तो वे यमुनानगर में जाएंगे। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बबैन में एक फुल फलैज्ड पुलिस स्टे अन बना दिया जाए ताकि उस एरिया के लोगों को कोई दिक्कत न हो। अब उन गांव वालों को 20–20 किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, अब आप बैठिए। बाद में बजट पर बोल लेना।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, अगर आप बजट पर बोलने का मौका देने के लिए कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमैटरी ऐस्टिमेटस आये हैं मैं उन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, अखबारों में आया है कि जो एच०सी०एस० के पैपर्ज हुए उनमें मास चीटिंग हुई है और इस तरह से इस साईड में जो पैसा खर्च किया गया है वह बेकार में ही खर्च किया गया है। जो सरकार अपने सिटिजन्ज की रक्षा नहीं कर सकती तो वह और क्या कर सकती है ?

स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं० 4 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। इस डिमांड के तहत भी काफी पैसा खर्च किया गया है। इस बारे में मैं अपने हल्के के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे हल्के की भी ओलावृश्टि से काफी फसल खराब हुई है लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा दिए जाने बारे मौके पर जाकर गिरदावरी नहीं हुई है। इसलिए इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 5 पर बोलना चाहता हूँ। इस डिमांड के तहत भी काफी पैसा खर्च किया गया है। इसमें आफिसर्ज के टी०ए० / डी०ए० पर भी बहुत अधिक पैसा खर्च किया हुआ दिखाया गया है। इन डिमांड के बारे में एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जो सेल्ज टैक्स बैरियर्ज हैं उन पर काफी लूट मच रही है इसको सरकार आज तक कन्ट्रोल नहीं कर पाई है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां जो लूट मचाई जा रही है उसको रोका जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 3 पर बोलना चाहूँगा। इस डिमांड के तहत भी बहुत अधिक पैसा खर्च किया गया है। लेकिन सरकार का कानून और व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मेरे हल्के रिवाड़ी की हालत बहुत ही खराब है। वहां पर आए दिन डकैती और मर्डर हो रहे हैं लेकिन इस तरफ सरकार को कोई ध्यान नहीं है। वहां पर हालत यहां तक आ

पहुंची है कि हमारी महिलाएं आजादी से अपने खेतों में काम करने नहीं जा सकती। इस डिमांड के तहत जो पैसा मांगा जा रहा है वह फिजूल में ही मांगा जा रहा है। अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल हो तो बात समझ में आने वाली है। जो समस्या मैंने इस बारे में अपने हल्के की बताई उसको ध्यान में रखते हुए मेरे हल्के की कानून व व्यवस्था की तरफ सरकार को वि शेष ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० ८ के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। मेरे हल्के के अंदर 1987-88 और 1988-89 में रिवाड़ी से रामगढ़ भगवानपुर नहर पर एक पुल बनाने का आ वासन दिया गया था। हाउस में इस बारे में दो बार आ वासन दिया जा चुका है लेकिन उस पर अभी तक काम भुरु नहीं हुआ है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरफ ध्यान देते हुए इस पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक ऐसी समस्या की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस तरफ आज तक किसी ने नहीं दिलाया है। पानीपत से अम्बाला तक जो जी०टी० रोड पर फोर लेनिंग का काम होना था वह अभी तक नहीं हुआ है। वहां पर आए दिन ऐक्सीडैट्स होते हैं और काफी नुकसान होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पानीपत से अम्बाला तक जी०टी० रोड की फोर लेनिंग का काम जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 10 पर बोलना चाहता हूं। इस डिमांड के तहत मैंने सेन्टरी बोर्ड की प्रोसिडिंग्ज देखी है। उसकी रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि रिवाडी क्षेत्र और महेन्द्रगढ़ जिले के लिए बहुत कम पैसा दिया गया है।

स्पीकर साहब, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आने वाले बजट में हमारी जो 3.47 करोड़ रुपये की पानी की योजना है उसके लिए सरकार पैसा रखे ताकि हमारे इलाके के लोगों की पानी की समस्या दूर हो सके।

डिमांड नं० 14 फूड एण्ड सप्लाईज के बारे में है। इसमें ट्रेब्लिंग ऐक्सपैंसिज बहुत ज्यादा रखे गये हैं। गेहूं साढे पांच रुपये किलो के हिसाब से ब्लैक में बेचा जा रहा है और सरकार का इस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। बड़े बड़े डिपो होल्डर्ज गेहूं की ब्लैक कर रहे हैं लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चैक करने के लिए नहीं जाता। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अगली बात मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं। हमारे इलाके में जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनमें पानी बहुत कम आता है। लाधुवास, बालावास और बालियर खुर्द के टेल पर होने के कारण उनमें पानी नहीं आता या बहुत कम पानी आता है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ माईनर्ज और डिस्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट बना कर मैंने माननीय इरीगे न मन्त्री जी को भेजी है।

लेकिन इरीगे अन मिनिस्टर की ओर से मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है कि वह लिस्ट उन्हें मिली या नहीं।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं० ४ जो कि एक्सार्इज के बारे में है, पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। यह बड़े ही भार्म की बात है कि आज महात्मा गांधी के देश में भाराब की बिक्री को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। (विधन)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, अब आप बैठें, आपने काफी टाईम ले लिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, आपने जो बोलने के लिए मुझे समय दिया है उसके लिये मैं धन्यवाद करता हूँ तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, यह विशेष प्रोविजन है कि जितना पैसा बजट में सैक अन होता है, उससे अगर एक्सट्रा खर्च हो जाता है तो उस खर्च की मीट विद करने के लिये हाउस में अनुपूरक अनुमान के रूप में पेश किया जाता है। जो पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है ऐसा प्रावधान है कि उस पर बाद में विचार विमोचित करके उस खर्च को हाउस द्वारा पास किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह खर्च तो हो चुका होता है इसलिए इस पर ज्यादा बोलना कोई लाभदायक नहीं है। इस मामले में लोक प्रतिनिधि अपनी समस्याओं को तो नहीं रख सकते लेकिन जो ज्यादा खर्च हुआ है, उसको

नोटिस में लाते हुए सरकार को अपने सुझाव दे सकते हैं। इस संबंध में मैं भी अपने 2-3 सुझाव देना चाहूँगा और माननीय मुख्य मंत्री जी तथा संबंधित मंत्री से अपेक्षा करूँगा कि वे इस ओर जरूर गौर करेंगे। सबसे पहले मैं मांग संख्या 2 पर बोलना चाहूँगा। इसमें टोटल 6 लाख 9 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है। लोक सेवा आयोग और हरियाणा सर्विसिज सलैक एन बोर्ड के लिए मैं समझता हूँ कि और भी ज्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है लेकिन इनकी इमेज लोगों के बीच में ठीक रहनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमी एन और हरियाणा सर्विस सिलैक एन बोर्ड में जो कमियां आई हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। भर्ती के लिए जो एग्जाम्ज लिए जाते हैं उनमें नकल की प्रवृत्ति में बढ़ावा आया है, जिसे रोका जाना चाहिए। इस बारे में मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि जब 10वीं और 8वीं कक्षा के एग्जामज होते हैं तो एक बच्चा अगर एग्जाम देने वाला होता है तो 20 व्यक्ति उसकी सपोर्ट में वहां खड़े होते हैं और अध्यापकों द्वारा भी नकल करवाने में मदद की जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि नकल की जो प्रवृत्ति है, उसे रोका जाना चाहिए। 10वीं और 8वीं कक्षा में नकल करने की प्रवृत्ति आगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमी एन और हरियाणा सबोर्डिनेट सर्विसिज सिलैक एन बोर्ड में भी बनी रहती है जिस कारण दे ए और प्रदे ए को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि वहां पर क्षेत्रों के साथ भी और योग्यता के साथ भी किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया पूरा

नहीं करके इस तरह से नौकरी दिलवाने का प्रयास किया गया है। अगर सही पूछा जाए और अगर आप इजाजत देंगे तो दो दिन के बाद जब दोबारा सदन मिलेगा तो मैं हजारों एफीडैविट आपकी सेवा में दे सकता हूं जिससे यह पता चलेगा कि हजारों लाखों रूपये इस माध्यम से इकट्ठे किये गये हैं और इस तरह से उसकी मिटटी प्लीत की गयी है कि एस०एस०एस० बोर्ड पर किसी का कोई यकीन ही नहीं रह गया है। अगर आज आपने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमी अन के माध्यम से भी वही सिफारि बाजी से और नकलबाजी से नौकरियां देनी हैं तो इसका क्या फायदा है। उसमें योग्यता के आधार पर बिल्कुल नौकरियां नहीं दी जाती बल्कि उनकी उपेक्षा कर दी गयी है। मैं यह समझता हूं कि यह हरियाणा प्रदेश के लिये बड़ा ही दुर्भाग्य का विशय है। निर्मित चतुर्थ रूप से मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिये। वहां पर एफीडैविट का यहां तक हाल है कि आप देखें कि वहां पर आउट आफ कोर्स पेपर्ज आये हैं। बहुत से प्रभावी हमारे राजनीतिज्ञ हैं, उनके रिले अन्ज को योजनाबद्ध तरीके से नकल करायी गयी, मेरा कहना यह है कि निर्मित चतुर्थ रूप से हमें इसकी मर्यादाओं को मेनटेन करने का प्रयास करना चाहिये। अगर वह ऐसा कर सके तो उनका यह सबसे बड़ा योगदान होगा।

इससे आगे मैं मांग संख्या 3 के बारे में कहना चाहता हूं जो गृह विभाग के बारे में है। इसमें संबंधित मद सं 2055

पुलिस की है। इसमें जिला पुलिस, रेलवे पुलिस, के खर्चाजात के बोर में मांग रखी गयी है। इसके बारे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ कि हाउस का अधिकांश समय आजकल देर में जो गतिविधियां हो रही हैं, उनके बारे में और हरियाणा में कानून व्यवस्था बनाये रखने से सम्बंधित रहा है। मैं अपने गृह मंत्री और मुख्य मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूँगा कि हरियाणा पुलिस की भूमिका इस तरह से बननी चाहिये थी कि वह आम आदमी को सुरक्षा प्रदान कर सके लेकिन आज 40–45 साल की आजादी के बाद भी जनता पुलिस को रक्षक नहीं समझती है। वह यह नहीं समझती कि पुलिस हमें सुरक्षा प्रदान करेगी जबकि उनकी सुरक्षा का दायित्व पुलिस का है। मैं बहुत से माननीय सदस्यों से आयु में छोटा हूँ लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जिस प्रकार से जनता का इस पर से वि वास उठता जा रहा है, उसका परिणाम अराजकता के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को इस बात को बड़ी गम्भीरता के साथ लेना चाहिये। आज पुलिस का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, वह सर्वविदित है। जिस तरह से उसका राजनीतिकरण कर दिया गया है, वह भी सबको पता है। आज हमारे उच्चस्थ पुलिस अधिकारी बलात्कार के केसिंज में उलझे हुए हैं। अखबारों में भी इस बारे में कई बार आया है। कोसली के अन्दर कांड हुआ है, कालका और पंचकूला के अंदर भी इस तरह के कांड हुए हैं। उनके ऊपर चर्चा करके मैं सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें आधारभूत तौर पर

यह सोचना होगा कि इस तरह से जब पैसे लेकर पुलिस को भर्ती किया जायेगा और उसका राजनीतिकरण किया जायेगा तो उनसे हम अपेक्षाएं कैसे रख सकते हैं ? कल को यह फांसी का फंदा हमारे गले में भी पड़ सकता है।

Mr. Speaker: Rawat Ji. Please wind up now.
(Interruptions)

श्री भगवान सहाय रावतः अभी तो मैं केवल दो मिनट ही बोला हूँ।

श्री अध्यक्षः अगर आपके दो मिनट इतने लम्बे हैं तो धंटा कितना लम्बा होगा। (गोर) Please wind up.

श्री भगवान सहाय रावतः अब मैं मांग सं० 4 के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, इसमें प्राकृतिक आपदाओं के लिये कुछ प्रोवीजन किया गया है। इसमें कोई भाक नहीं है कि यह सरकार दे । मैं और प्रदे । मैं किसानों की सरकार होने का दावा भरती है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि निर्दि चत रूप से इस सरकार को इस और ज्यादा ध्यान देना चाहिये। अभी हमारे इलाके में जबरदस्त ओले पड़े हैं, उसके लिये भी कुछ सोचना चाहिये। आप किसानों की सरकार होने का दावा करते हो। ओलों के कम्पनसे अन को 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दें तो ठीक होगा। (Noise & Interruptions)

Mr. Speaker: Rawat Ji, you please take your seat now.

Sh. Bhagwan Sahai Rawat: Speaker Sir

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded whatever Bhagwan Sahai Rawat now says as I am not going to give him any more time.

Now, Sh. Bhagmal will please speak.

श्री भाग मल (सढौरा, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, यह जो सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेटस सदन के सामने आये हैं, मैं इनके ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा। मैं बिलिंडरज एंड रोडज, ऐजुके न, मैडीकल, पब्लिक हैल्थ और इरीगे न के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। ये जो डिमांडज हमारे सामने आयी हैं, ये वैसे तो हमें पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, यह तो पास करनी ही पड़ेगी क्योंकि यह पैसा तो खर्च हो चुका है, पास करना जरूरी भी है लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की एक दो बातें कहना चाहता हूँ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस की सहमति हो तो आधा घंटे का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, आधे घंटे की जरूरत नहीं है, 10 मिनट में ही काम खत्म हो जायेगा।

श्री अध्यक्षः ऐसे हैं कि टार्फ म आधे घंटे के लिए ऐक्सटैंड कर लेते हैं अगर पहले काम खत्म हो गया तो पहले हो जायेगा।

आवाजेः ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः हाउस का टार्फ म आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

वर्श 1990–91 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस पर चर्चा

तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री भागमलः अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं की तरफ होम मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिलासपुर में मरवाखुर्द एक जगह है वहां पर उग्रवादी आए और उनके सथ मुठभेड़ में पिछली बार हमारे दो नौजवान हैड कांस्टेबल मारे गए। वे केयरलैसनेस की वजह से मारे गए, वरना वे न मारे जाते और उन उग्रवादियों को गिरफतार किया जा सकता था। बाद में पता चला कि उन उग्रवादियों में से एक मारा गया और दूसरा कहीं गिरफतार हो गया। स्पीकर साहब, अब बिलासपुर में यह स्थिति पैदा हो गई है कि वहां पन्द्रह दिन में दो डकैतियां पड़ी हैं। वहां पर जो एस०एच०ओ० बैठा है, पता नहीं वह क्या करता है। लोग उसे पर्सनली मिले लेकिन डकैती का कोई कलू नहीं मिला है। वहां लोगों की जान व माल की कोई रक्षा नहीं हो रही है। मैं वहां रात को गया और आज ही सुबह

आया हूं। मुझे पता लगा है कि कोई चोरी का केसी वहां पकड़ा है। चोर भी पकड़े गए हैं और कुछ माल भी बरामद हुआ है लेकिन जिन लोगों से माल मिला है पुलिस उनको गिरफतार नहीं कर रही। अगर उनको गिरफतार कर लिया जाता तो उनसे कुछ पता लग सकता था। गवाह वे हो सकते थे लेकिन जिन लोगों से माल मिला है एस०एच०ओ० ने उन लोगों को तो छोड़ दिया लेकिन दूसरे आदमियों को इस केस में इम्पलीकेट कर रहा है ताकि उनसे पैसा वसूल किया जाए। मेरा सीधा ऐलीगे न है कि वहां के एस०एच०ओ० ने पैसा लेने के लिए मार्किट बनाई हुई है। मुझे पता नहीं किसके इसे से बनाई हुई है। उसको अगर कुछ कहा जाता है तो वह कहता है कि आप जो चाहें कर लें हमारे ऊपर कहने वाले बहुत बैठे हैं। स्पीकर साहब, डकैती का अभी कुछ भी माल नहीं मिला है। स्पीकर साहब, इससे पहले भी एक डकैती पड़ी थी। पुलिस कहती है कि वह डकैती नहीं थी। लेकिन कुछ आदमी यमुनानगर की पुलिस ने ट्रेन में चढ़ते हुए पकड़ लिये थे। उनके नाम वैसे ही कुछ नहीं है और जो कुछ थोड़ा बहुत है अगर वह भी डकैती में चला जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता। हम पुलिस को हर हालत में सहयोग देते हैं लेकिन पुलिस सहयोग नहीं करती। सढ़ौरा में भी एक वाक्या हुआ था। वहां का एस०एच०ओ० ठीक था। जब वह इन्वैस्टिगेशन कर रहा था तो उसको बदल दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो अच्छे आदमी हैं उनको बार बार न बदला जाए। अगर कोई उसकी फ़िकायत होती है या हम फ़िकायत करते हैं तो बदल दें लेकिन वैसे अच्छे

आदमियों को न बदला जाए। अब मुझे पता लगा है कि पहले वाले एस0एच0ओ0 को वहां भेज दिया है। बार बार अच्छे आदमी को बदलने से लोगों को परे आनी होती है। जो लोग खराब हैं उनके खिलाफ सख्त ऐक अन होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ—

श्री अध्यक्षः बस आप बैठिए।

श्री भागमलः स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा कुछ और कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं बैठिए।

श्री भाग मलः बहुत अच्छा जी। आपका धन्यवाद।

डा० हरनाम सिंह (गाहबाद): स्पीकर साहब, आपका बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब, मैं सप्लीमेंटरी ऐस्टीमैटस के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले डिमाण्ड नं० ३ जो होम की है और जिसका हैड 2055 है के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उस हैड में स्पै अल पुलिस के लिए 6612000 रूपया रखा गया है। स्पीकर साहब, स्पै अल पुलिस हरियाणा में है यह बात हमारे नोटिस में तो नहीं है। ऐक्सप्लेनेटरी नोट में भी इसके बारे में कुछ नहीं लें मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब में जिस तरह के हालात हैं उनमें तो वहां पर पोलिटीकल लोगों के लिए स्पै अन पुलिस रखी हुई होगी लेकिन अगरे हरियाणा में भी ऐसा है तो इसका जिक्र ऐक्सप्लेनेटरी नोट में आना चाहिए था। स्पीकर साहब,

हमारी पुलिस के बारे में कई तरह की चिकायत है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक संगीन वाक्या की ओर होम मिनिस्टर का ध्यान दिलाना चाहता हूं। लाडवा में एक वाक्या हुआ और पुलिस ने उसको कोई नोटिस नहीं लिया। वहां पर हड्डताल हुई। वहां पर दो दिन तक थाने का घोराव किया गया। हम तीन एम0एल0एज0 वहां पहुंचे और उसके बाद फैसला हुआ।

स्पीकर साहब, माधी का दिन था। इस्माइलाबाद के गुरुद्वारे में हम सभी लोग इकट्ठे हुए। गुरुद्वारे के ग्रंथी को पुलिस पकड़ कर ले गई। उस ग्रंथी का घर गुरुद्वार में है। वहां की एक कमेटी पुलिस के पास गई और जैसा कि पुलिस करती है उस ग्रंथी की पिटाई की गई और पिटाई करके उसकी बुरी हालत की गई। वे लोग मेरे पास आए। मैंने एस0पी0 को लिखकर दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैंने होम मिनिस्टर को लिखा। होम मिनिस्टर ने कहा कि मैं टेलीफोन पर बात करूंगा। पता नहीं कि टेलीफोन हुआ है या नहीं हुआ। 4 तारीख तक तो कोई कार्य नहीं हुई थी। मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी सीरियस बात है। पावर्ज का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

स्पीकर साहब, दूसरी बात डिमांड नं0 4 पर कहना चाहता हूं जिसमें नैचुरल क्लैमिटी रिलीफ फण्ड से सम्बद्धित कुछ रामि मांगी गयी है। 12 करोड़ 75 लाख रुपये की रामि की मांग है। इस फायनैंस लायल इयर के समाप्त होने में केवल 24 दिन रहते हैं। ओला वृश्टि व दूसरे नुकसान को पूरा करने के लिये

केवल 67 लाख रुपया ही दिया और साथ कह दिया कि अगर कोई ऐसी घटना फिर और हो गई तो और पैसा दे देंगे। मैं यह नहीं कहता कि नैचुरल क्लेमिटी आने वाली है लेकिन इतना ही कहूंगा कि इसके लिये कोई पैसा रखा नहीं गया है।

इससे आगे डिमांड नं० 6 जो कि विडोज की पैं अन और ग्रेचुटी के बारे में है, इसके बारे में मैं केवल यही कहूंगा कि इसको विजोलाइज पहले ही कर लेना चाहिये था।

इसके बाद मैं डिमांड नं० 10 पर कुछ कहूंगा। सैन्ट्रल ग्रांट्स, वाटर सप्लाई एण्ड सेनीटे अन की स्कीम के लिये सरकार ने ग्रान्ट दी है और सरकार ने साथ कहा कि 31 दिसम्बर 1991 तक हम सभी गांवों में पानी दे देंगे। रुडकी गांव में लाडवा हल्के में एक सैनीमाजरा पंचायत है वहां पर पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत हैं इसी तरह से बहुत सी और पंचायतें भी हैं जहां पानी की बड़ी किल्लत है। पैसा अगर सरकार द्वारा लिया जाता है तो कम से कम उस पैसे को खर्च भी अब य किया जाना चाहिये ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें न हों। बस इतना ही कह कर अपना स्थान लेता हूं।

वित्त मंत्री (श्री तैयब हुसैन): मोहतरिम स्पीकर साहब, जो जो बातें यहां पर मैम्बर साहेबान ने कहीं हैं, वे सारी की सारी मैंने नोट कर ली हैं और जो अलग अलग महकमों के मुतालिक

जो जो फिरकायतें हैं, वे हम उन्हीं महकमों को जरुरी कार्यवाही के लिये भेज देंगे।

ओला वृश्टि से हुए नुकसान के बारे में अजय सिंह जी ने कहा लेकिन उनको तो चौधरी देवी लाल जी का मात्कूर होना चाहिये कि यह स्कीम तो चौधरी देवी लाल जी ने ही बनायी थी। यह स्कीम चालू है और चालू रहेगी।

पब्लिक हैल्थ की बात भी स्पीकर साहब, रिवाड़ी के बारे में कही गयी। हमारी पूरी कोटि टा होगी कि हम जल्द से जल्द सारी स्टेट के अंदर पानी का प्रोवीजन कर पाएं। स्टेट के अंदर जो जो इस तरह की दिक्कतें रही हैं हम उनके बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हैं और हमारी यही कोटि टा होगी ताकि सारी स्टेट को जल्द से जल्द पानी मिल सके। फोर लेनिंग की बात भी यहां पर कही गयी। इस बारे में कई मैम्बर साहेबान ने अपने अपने विचार रखे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस काम के लिये हरियाणा सरकार की ओर से कोई विलम्ब नहीं रही लेकिन राजमार्ग बनाने का काम ठेकेदारों के विवाद के कारण रुक गया है। इस विवाद को सुलझाने के प्रयास किये जो रहे हैं और भारत सरकार तथा विवेक बैंक के अधिकारियों से इस बारे में भीघ निर्णय लेने का अनुरोध किया जा रहा है। हरियाणा में बल्लभगढ़ से उत्तर प्रदेश बार्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का फौर लेन बनाने का कार्य ठेकेदारों को दे दिया गया है। यह परियोजना एक यन-

विकास बैंक की मदद से भुरु की जा रही है और इसे चार वशों से पूरा किया जाएगा।

फूड एण्ड सप्लाईज के बारे में ढांडा साहब ने पहले ही बड़ी तफसील के साथ बता दिया है। पुलिस के बारे में हाउस में सारी बातें होम मिनिस्टर साहब के द्वारा आ ही चुकी हैं लेकिन जिस तरीके से माननीय सदस्यों ने इस बारे में बातें कहीं हैं, वे सही नहीं हैं।

भागमल जी ने कहा कि डकैती का माल बरामद हो गया है। इसके लिए तो उनको खु नी होनी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे कल काम माल की रिकवरी करने का होता है और वह हो गया है। जहां तक एस०एच०ओ० को लगाने की बात है यह तो जिले के एस०एस०पी० का काम है, उसने फैसला करना है कि किसको कहां पर लगाना है। विधायक इस मामले से अपने आप को अलग रखें ताकि प्रान्त में ला एंड आर्डर ठीक रह सके।

रावत जी ने पब्लिक सर्विस कमी न के बारे में कहा। मैं समझता हूं कि यह बात नहीं है। यह तो 27 फरवरी को चले गए थे और आज ही आए हैं। रावत जी पहले फैक्टस का मालूम करें। वह अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ओला वृश्टि के मामले में हमारे रैवेन्यु मिनिस्टर साहब ने बता ही दिया था। यह खर्च तो वह है जो पहले ही खर्च हो चुका है और ऐस्टिमेटस कमेटी से पास हो चुका है। इसलिए इस बारे

में लम्बी चौड़ी बात कहने की जरुरत नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इन डिमांडज को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 1427000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 1 – **Vidhan Sabha.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 115739000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 3 – **Home.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 136778000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 4 – **Revenue.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 13004000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 5 – **Excise & Taxation.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 201054000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 6- **Finance**.

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 380462000** for revenue expenditure and **Rs. 1053000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 7 - **Other Administrative Services**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 156288200** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 9 - **Education**.

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 51017400** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 10 - **Medical and Public Health**.

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 22940960** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 11 – **Urban Development.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 8467000** for revenue expenditure and **Rs. 490977000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 14– **Food and Supplies.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 43714000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 15 – **Irrigation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 20** for revenue expenditure and **Rs. 2000000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 20– **Forest.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 62100680** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 21
– **Community Development.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 227460000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 22 – **Co-operation.**

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 115585000** for revenue expenditure and **Rs. 30861000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 23-
Transport.

That a supplemenatary sum not exceeding **Rs. 3300000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1991 in respect of Demand No. 24
– **Tourism.**

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल सुबह 9.30 बजे तक ऐडजर्न
किया जाता है।

***13.43 बजे |**

(तत्प चात सदन भुक्रवार 8.3.91 प्रातः 9.30 बजे तक
स्थगित हुआ।)